खण्ड-102, अंक-4
गुरूवार, 8 ज्येष्ठ, शक संवत् 1874
(29 मई, 1952 ई0)

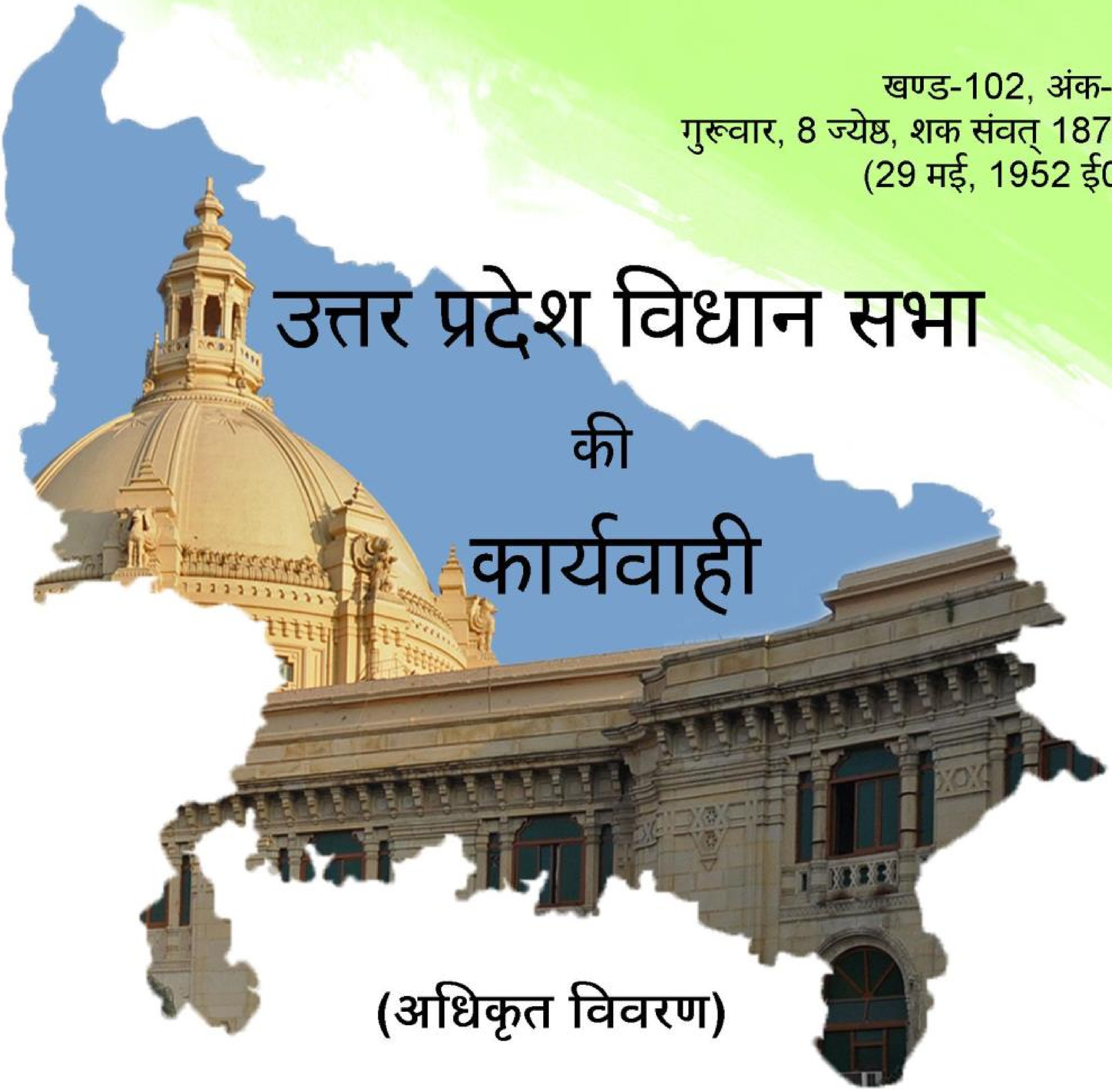

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 102 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २९ मई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६७)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल लतीफ़, श्री मुहम्मद
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आनन्दस्वरूप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उलफत सिंह चौहान, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किदरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलासप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खयालीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गणेशप्रसाद [illegible]वाल, श्री
गिरजारमण, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सागर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम [illegible], श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धरमसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
[illegible] बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद, श्री
बलवन्तसिंह कुंवर, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बशीरअहमद, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार,
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतदीन, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फ़र हुसैन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुश्ताक अली खाँ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह यादव, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, कुंवर
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री

रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री (कुण्डा)
रामस्वरूप, श्री (दूधी)
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहरष यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद, मिश्र, श्री
विजय शंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भर सिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद ,श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिव राजबलीसिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवरामराय, श्री
शिव वक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राय, श्री
शिवसरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरुप सिंह, श्री
श्याममनोहर, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईद जहां मख़्फ़ी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुलवाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सियाराम गंग वार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुगनचन्द्र, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरूजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हामीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्टाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्रामपंचायतों के मंत्रियों का वेतन

*१--श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायतों के मंत्रियों के बकाया वेतन की अदायगी के लिये लगभग १४,०००,००० रुपये मंजूर हुये थे ?

माननीय श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)--जी हां, १४,२५,००० रुपये केवल ३० जिलों के लिये स्वीकृत हुये थे ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--वे तीस जिले कौन से है जहां पंचायत मंत्रियों के लिये वेतन दिया गया था ?

माननीय श्री मोहन लाल गौतम--इसमें रकमें तो नहीं दी गयी हैं कि किस जिले को कितना दिया गया है, लेकिन जिलों के नाम ये हैं--

मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, बदायूं, कानपुर, झांसी, बनारस मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, रायबरेली, सीतापुर, खेरी, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--जिन २० जिलों के लिये रुपया नहीं दिया गया वह किस कारण से नहीं दिया गया है ?

माननीय श्री मोहन लाल गौतम--जिन ३० जिलों को यह रकम दी गयी थी उसमें पहाड़ी जिले हैं जहां पंचायतों की आमदनी नहीं है। इनमें पूर्वी और पश्चिमी जिले भी सम्मिलित हैं जहां कि गांव सभाओं के अधिकारी अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण कर वसूल करने में असमर्थ थे। जिन २१ जिलों को नहीं दिये गये वहां ये कारण उपस्थित नहीं थे, इसलिये उनको नहीं दिया गया।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या माननीय मंत्री यह कृपा करके बतलायेंगे कि जो जिले बाकी रह गये हैं उनके मंत्रियों के वेतन मिल चुके हैं ?

माननीय श्री मोहन लाल गौतम--नहीं, ऐसा नहीं है। उन जिलों में मंत्रियों के वेतन बाकी हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार यह विचार कर रही है कि उनको भी शीघ्रातिशीघ्र वेतन दिया जाय ?

माननीय श्री मोहन लाल गौतम--यह सारा मसला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन २० जिलों में कौन से कारण हुये हैं जिनसे मंत्रियों के वेतन नहीं मिले ?

*२--श्री राम नारायण त्रिपाठी--यदि हां, तो क्या यह रकम प्रदेश के विभिन्न जिलाधीशों के पास भेज दी गयी है ?

माननीय श्री मोहन लाल गौतम--यह धन प्रदेश के विभिन्न संबंधित जिलाधीशों के पास भेज दिया गया था।

माननीय श्री मोहन लाल गौतम—पंचायतों के पास इतना धन नहीं है। जो उन्होंने टैक्स लगाये हैं वह सब वसूल नहीं हुये, इसलिये उन्हें वेतन नहीं मिल सका।

श्री महीलाल—क्या सरकार की जानकारी में यह है कि शेष जिलों में कुछ गांव सभायें ऐसी हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आ जाती हैं और वहां की ग्राम सभाओं में भी टैक्स वसूल नहीं हुआ है तथा मंत्रियों के वेतन देने में दिक्कत हो रही है ?

माननीय श्री मोहनलाल गौतम—जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन २१ जिलों में भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां मंत्रियों को वेतन नहीं मिले हैं और यह दिक्कत जो अभी सदस्य साहब ने कही है वह भी हमें मालूम है।

*२—**श्री राम नारायण त्रिपाठी**—सरकार ग्राम पंचायतों के मंत्रियों के १९५२-५३ के वर्ष के वेतन के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

माननीय श्री मोहन लाल गौतम—ग्राम पंचायत मंत्रियों के १९५२-५३ के वर्ष के वेतन की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—जहां जहां गांव पंचायतों द्वारा लगाये हुये टैक्स वसूल नहीं हुये हैं वहां पर वसूली के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

माननीय श्री मोहन लाल गौतम—जहां यह टैक्स वसूल नहीं हुये हैं वहां शासन ने ग्राम-सभाओं के इस कर को वसूल करने के लिये कुर्क अमीनों की नियुक्ति के लिये आदेश दिये हैं। उन्हें यह भी आदेश दिये हैं कि यथासंभव वे कुरकी न करें और अनुरोध से काम चलावें।

शनिवार, ३१ मई, १९५२ को सभा का उपवेशन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मन्त्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ (२) के अनुसार शनिवार के दिन इस सदन की कोई बैठक नहीं होनी चाहिये, किन्तु सदन के सम्मुख विचार करने योग्य अधिक कार्य होने के कारण सदन यह निश्चय करता है कि शनिवार, ३१ मई १९५२ ई० को इस सदन की बैठक होगी।

मैं अब भी यह प्रस्ताव करता हूं कि कल तक सदन का काम पूरा हो जायगा। अगर कल काम पूरा हो गया तब तो ३१ मई को यहां बैठक करने की जरूरत न होगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ३१ मई को बैठक करने से सभी को फायदा होगा और सबको उसके बाद घर जाने का मौका मिल जायगा जहां वे अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे। यहां के सदस्यों की यह भी इच्छा है कि यथासंभव काम जल्दी किया जाय। इससे उनकी भी वह अभिलाषा पूरी हो जायगी।

माननीय अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री से मैं यह कहूंगा कि नियम २२१ के अनुसार जब तक नियम ११ (२) स्थगित न हो जाय तब तक चूंकि इस किस्म का प्रस्ताव भवन में उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिये प्रस्ताव में अगर वे यह शब्द मिला दें कि "नियम स्थगित किये जांय और इस सप्ताह में ३१ मई के दिन भवन का अधिवेशन हो" तो उचित होगा।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं और अपने प्रस्ताव में इतना और जोड़ता हूं कि "नियम २२१ स्थगित किया जाय और इस शनिवार को सदन की बैठक हो।"

राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं उस चीज को उठाया जो हम चाहते थे, इसलिये हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। नियम ११(२) के अनुसार किसी शनिवार और पब्लिक हालीडे [सार्वजनिक छुट्टी] में कोई बैठक इस भवन में नहीं होगी, ऐसा निश्चय इस भवन

[राजा वीरेन्द्र शाह]
ने किया था, इस प्रस्ताव से हमें यह भय मालूम होता है कि कहीं इसका दुरुपयोग न किया जाया करे। इसलिये अगर माननीय मुख्य मंत्री जी का यह विचार है कि जब कल काम खत्म न हो तो परसों बैठक होगी, तो जब कल काम खत्म न हो तो कोई सदस्य कल भी प्रस्ताव कर सकता है कि काम खत्म न होने की वजह से इस तारीख को बैठक होनी जरुरी है और तब श्रीमान् आप उस नियम को सस्पेंड (निलम्बित) कर सकते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव के रूप में आने से हमें भय मालूम होता है कि आगे भी ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं और इस तरह से हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स (मूल अधिकारों) का इनक्रोचमेंट (व्याघात) होगा।

माननीय अध्यक्ष--इस संबंध में अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह निश्चय करे कि इस प्रकार का प्रस्ताव भवन के सामने विशेष आवश्यकता में आ सकता है या नहीं आ सकता है। एक तो उसमें रोक यह है। कुछ तो अध्यक्ष के ऊपर इस बात में विश्वास होना चाहिये। दूसरे भवन को भी उसके पश्चात् अधिकार है कि जो प्रस्ताव आवे, उसे वह उचित न समझे तो उसको नामंजूर कर दे? जब ये दो तरह की रोक हैं तो मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य को भय क्यों मालूम होता है। उन्हें निर्भय होना चाहिये। इसमें कोई विशेष महत्व की बात नहीं है, इसलिये यह कोई उचित आपत्ति नहीं है।

(कुछ देर पश्चात्)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११(२) के अनुसार शनिवार के दिन इस सदन की कोई बैठक नहीं होनी चाहिये, किन्तु सदन के सम्मुख विचार करने योग्य अधिक कार्य होने के कारण सदन यह निश्चय करता है कि नियम ११ (२) को इस सप्ताह में स्थगित कर दिया जाय और नियम २२१ के अंतर्गत शनिवार, ३१ मई, १९५२ ई० को इस सदन की बैठक हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--इस प्रस्ताव का अर्थ इतना ही है कि यदि काम कल पूरा न हुआ तब परसों बैठक होगी और अगर कल पूरा हो गया तब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष--यह तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० की, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मातलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४९ पर)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष--अब माननीय मालगुजारी मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार किया जाय, विवाद जारी होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे इस भवन के माननीय सदस्य जो खजुरहट के हैं, उन्होंने यह कहा कि अगर यह विधेयक पास हो गया तो मुकदमेबाजी होगी और व्यर्थ की परेशानियां होंगी और यह संविधान के अनुरूप नहीं है, इसलिये सरकार इसे वापस ले ले।

संविधान के अनुच्छेद १९ के क्लाज (५) को अगर वह ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उनको स बात का पता चलेगा कि जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है वह संविधान के अनुकूल है। उन्होंने अनुच्छेद १९ के सब-क्लाज (एफ) को पढ़कर सुनाया जिसमें यह है कि--

"All citizens shall have the right to acquire, hold and dispose of property." [सब नागरिकों को सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार होगा।]

इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि जब तक उनकी जमींदारी क़ायम है तब तक उन्हें इस बात का अधिकार है कि अपनी जमीन को जैसे चाहें वैसे डिसपोज़ आफ (व्ययन) कर सकें। यह बात सही है, परन्तु इस सरकार को भी यह अधिकार है कि अनुच्छेद १९ के क्लाज (५) के अनुसार ऐसा कानून बना सके कि अगर कोई ऐसा कार्य जमींदार का या किसी का पब्लिक इंट्रेस्ट (जनहित) के खिलाफ जाता है तो सरकार उसे क़ानून से रोक सके।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य 'सरकार' के बजाय इस सदन" को कहें तो ज्यादा उचित होगा। क़ानून बनाने का अधिकार तो इस सदन को है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं सही [किये लेता हूं। तो इस सदन को यह अधिकार है कि संविधान के अनुच्छेद १९ के क्लाज (५) के अन्तर्गत ऐसा कानून बना सके जो पब्लिक इंट्रेस्ट में हो।

"Nothing in sub-clauses (*d*) (*e*) and (*f*) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of a Scheduled Tribe."

[उक्त खंड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितों के संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो, वहां तक उसके प्रवर्त्तन पर प्रभाव अथवा वैसे निर्बंधन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी।]

"In the interests of the general public" [साधारण जनता के हितों में]

जो आया है इससे हमारे माननीय सदस्य को पता चलेगा कि यह पब्लिक इंट्रेस्ट में है। जमींदारी विनाश ऐक्ट के अन्दर लिखा हुआ है कि जमीदारी के खात्मे के बाद उस सारी गांव की जमीन का मालिक जो परती हो या जंगल हो, गांव समाज होगा और इस गांव समाज के सदस्य वे भी हो सकेंगे जो आज जमींदार कहलाते हैं और तब वह भी उस जमीन के उसी तरह से मालिक होंगे जिस तरह से कि और किसान और मजदूर होंगे। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा ११७ का भी मैं हवाला देना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इस सदन के पुराने सदस्य माननीय वीरेन्द्रशाह की मदद लें, जो अच्छी तरह जानते हैं कि उन विषयों पर किस प्रकार से चर्चा हुई और क्या-क्या अधिकार गांव समाज को दिये गये। धारा ११७ इस तरह से है --

"धारा ४ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर किसी समय राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से (जो इस अध्याय में आगे चलकर निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा)--

(१) समय विशेष पर किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ अन्य सभी भमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं,

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

(२) गांव की सीमाओं के भीतर स्थित सब जंगल,

(३) रास्ते, बाग या आबादी में, अथवा खेतों की मेड़ों पर, स्थित पेड़ों को छोड़ अन्य सभी पेड़,

(४) सार्वजनिक कुयें,

(५) मीनाशय,

(६) ऐसी भूमि पर जिसे धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तक लागू होते हों, लगने वाली हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेले,

(७) तालाब, पोखर, निजी नाव-घाट, जल प्रणालियां (Water channel)। रास्ते और आबादी के स्थल (Abadi sites),

जो मंडल में स्थित हों और इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हो गये हों, उस मंडल के लिये स्थापित गांव समाज में निहित हो जावेंगे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में किसी गांव में उस भूमि का क्षेत्रफल, जिसमें खेती न होती हो, गांव समाज की साधारण आवश्यकताओं से अधिक हो, तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि उक्त भूमि के किसी भाग का, इस धारा के अधीन गांव समाज में निहित हो जाने से अलग रखे और ऐसी आनुषंगिक और पारिणामिक (Incidental and consequential) आज्ञायें दे, जो आवश्यक हों,

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि किसी समय पूर्वोक्त कोई भूमि या वस्तु राज्य सरकार हस्तगत कर ले तो गांव-समाज को उस प्रतिकर के अतिरिक्त जो उसे उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किये गये किसी विकास कार्य के निमित्त प्राप्य हो, हस्तगत किये जाने के निमित्त इस प्रकार कोई और प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न वह पायेगा।'

तो आश्चर्य है कि उनको यह बात कबूल करने में पता नहीं क्यों कठिनाई हो रही है कि वेस्ट (निहित) होने के बाद वह जमीन जिसके ट्रांस्फर (संक्रामण) को रोकने का इस विधेयक के जरिये प्रयत्न किया जा रहा है

राजा वीरेन्द्र शाह--आपकी आज्ञा से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। अभी माननीय द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने इंडियन कांस्टीट्यूशन का जो आर्टिकिल १९ (५) पढ़ करके सुनाया, ...

माननीय अध्यक्ष--यह वादविवाद आप खड़ा कर रहे हैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह--मैं प्रश्न ही कर रहा हूं कि उन्होंने एक बात नहीं पढ़ी।

माननीय अध्यक्ष--आप संकेत कर दीजिये, वह पढ़ देंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह--आपने यह नहीं पढ़ा "एग्जिस्टिंग ला", यानी जो मौजूदा कानून है उसी को बना सकते हैं, नया नहीं बना सकते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् मैं यह निवेदन कर रहा था कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून की धारा ११७ को देखते हुये यह बिलकुल स्पष्ट है कि पब्लिक इंट्रेस्ट में यह आवश्यक है कि ऐसी जमीनों का ट्रांस्फर रोका जाय। जब सुप्रीम कोर्ट तक इस बात का फैसला हो चुका है कि जमींदारी विनाश कानून एक मुनासिब कानून है तो उसके बाद यह विधेयक सामने आया है जिसमें २१ मई तारीख रखी गयी है। विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार है--

"१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (१९५० ई० का अधिनियम सं० १) की वैधता के विरुद्ध आक्षेप के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट की आज्ञा के विरुद्ध निवेशित अपीलें खारिज हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने अपना यह निश्चय घोषित कर दिया है कि १ जुलाई, १९५२ ई० से जमीदारी प्रथा का अन्त कर दिया जायगा। उस छोटी सी अवधि में जिसमें मध्यवर्ती भूमि पर काबिज रहेंगे इस बात की आशंका है कि वे यू०पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अधीन भूमि व्यवस्था से सम्बद्ध अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे और इस प्रकार जमींदारी विनाश के पश्चात् कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे और कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था को भारी क्षति पहुंचायेंगे।"

यह उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार का कानून आये। बहुत से हमारे सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य और दूसरे सदस्यों ने इस बात को भी दिखलाने की कोशिश की कि इसके पहले जो पट्टे हुये हैं जमींदारों की तरफ से या जो इस प्रकार की जमीनें उठा दी गयी हैं उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिये और कोई कमीशन बिठलाया जाय। मैं सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों की इस भावना का स्वागत करता हूं कि जब इस सदन के द्वारा जमींदारी तोड़ने का निश्चय किया गया तो उसके बाद जमींदारों ने यह समझा कि अब जमींदारी खत्म होने वाली है, इसलिये उन्होंने जमीनों को उठाना शुरू किया और यहां तक उठाया कि कोई तालाब नहीं रह गया जिसमें जानवर या चिड़िया पानी पी सकें और कोई जमीन खाली परती नहीं रह गयी। उन्होंने अपने अधिकारों का मुक्तहस्त से दुरुपयोग किया। लेकिन प्रश्न यह है कि मैं सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों के विचारों का स्वागत करते हुये भी उनसे यह निवेदन करूंगा कि इस बिल के उद्देश्य के अन्तर्गत उनका प्रपोजल (प्रस्थापना) नहीं आता। आप कोई भी ऐसी बात, आप कोई भी ऐसा संशोधन उपस्थित नहीं कर सकते जो इस उद्देश्य से बढ़ा चढ़ा हो या उद्देश्य से बाहर की चीज हो। आप कोई भी ऐसी व्यवस्था पैदा नहीं कर सकते जो संविधान के प्रतिकूल हो, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब स्पष्ट रूप से उद्देश्य में यह कहा गया है कि उस छोटी सी अवधि में, जिसमें मध्यवर्ती भूमि पर काबिज रहेंगे, इस बात की आशंका है कि वे यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, के अधीन भूमि व्यवस्था से संबंधित अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, तो वह अवधि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और पहली जुलाई तक, जब कि जमींदारी का खात्मा होगा, निर्धारित कर दी गई है। इस अवधि के अन्तर्गत जो ट्रांसफर्स होंगे उन्हीं के लिये यह कानून बनाया जा रहा है। तो इस अवधि के बाहर आपको अधिकार नहीं है कि इस कानून में कोई संशोधन के जरिये या किसी और प्रकार से कोई चीज उपस्थित कर सकें।

इसमें संदेह नहीं कि जमींदारों ने पट्टे किये हैं। थोड़ी सी बचत इसकी भी की गयी है जैसा कि हमारे पूर्व माननीय माल मंत्री, जो अब उद्योग मंत्री हैं, ने हवाला देते हुये इस जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था कानून की धारा २१२ का हवाला दे कर बताया कि चरागाह, श्मशान भूमि, खलिहान वगैरह के अगर पट्टे किये गये हैं तो गांव सभा को अधिकार है कि उसके खिलाफ नालिश करे और ऐसे पट्टे मंसूख करा दे। लेकिन जैसा हमारे सोशलिस्ट भाई चाहते हैं आम तरीके पर कोई कमीशन बैठाया जाय और तमाम ट्रान्सफर्स की जांच करे यह मुमकिन नहीं है। हमारे माननीय नेता विरोधी दल श्री राज नारायण ने तो जोश में आकर यहां तक कह दिया कि उनकी मर्जी के मुताल्लिक यह कानून नहीं है, इसलिये वे इसका विरोध करते हैं। अगर उनके अनुरूप यह चीज नहीं है और कायदे से वह हो नहीं सकती तो जितना है उसका उन्हें स्वागत करना चाहिए। अब तो सांप निकल गया और केवल लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं है। अब वे जमीनें किसानों के कब्जे में चली गयीं और अब अगर उसमें छान-बीन की जाय तो जमींदारों ने तो बड़ी बड़ी रकमें नजराने के रूप में ले ही ली हैं और जमीनों को उन्हें सौंप दिया है तो कोई फायदा

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

नहीं निकलेगा, क्योंकि जमींदारों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और किसानों के हाथ से वह जमीन, जिसको उन्होंने मेहनत करके जोता है, जिसमें रुपया लगाया है, निकल जायेगी। तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं होने का। इससे तो किसानों का ही नुकसान होगा। इसके साथ ही साथ यह मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त यह कानून अपनी शक्ल अख्तियार कर रहा था उस वक्त जमींदार अपनी जमीनों के मालिक थे और उन्हें पूरा हक था। कानून बनने के बाद ही हम जन-हित में यह चीज कर सकते हैं। उसके पहले हम उनको रोक नहीं सकते थे। इसलिये जो थोड़ी बहुत हम रक्षा कर सकते हैं उसका हमें प्रयत्न करना है, क्योंकि अब जबकि जमींदारी विनाश कानून पास हो गया, तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि जमींदार साहबान की तरफ से यह समझा जायगा कि अब तो जो भी थोड़ी बहुत परती या जंगल आदि हैं, उन पर जमींदारी खत्म होने के बाद उनकी मिल्कियत नहीं रहेगी। तो हक जो थोड़ा ट्रांस्फर (संक्रामण) का बचता है उसके जरिये से अगर नामिनल (नाममात्र का) मुआविजा भी उनको मिल जाय तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक जाती हुई खत्म होने वाली चीज से थोड़ा भी फायदा उठाने के लिये अपने दोस्त अहबाब के नाम ही या अपने खानदान वालों के नाम अगर पट्टा लिखना शुरू कर दिया तो जो जमीन गांव समाज को मिलने वाली है, वह मिल नहीं सकेगी और एक दिक्कत पैदा होगी। वह अपने गुस्से को उतारने के लिये सारी जमीनों को नेस्तनाबूद करने की फिक्र करेंगे, बर्बाद करने की फिक्र करेंगे। इसी संबंध में समय आने पर मैं एक संशोधन उपस्थित करूंगा। मैंने एक संशोधन इसी ख्याल से दिया कि वह जिन जमीनों पर काबिज अब तक नहीं हुये हैं उनको भी चाहेंगे कि नाम करने के लिये अपने हल उसमें चलायें और काश्तकार बन जायें। वह चाहेंगे कि जमीनों को उठा कर उनसे जो कुछ भी बर्बाद करते बने करें। पहले तो नजराना भी ले लेते थे, अब नजराना भी वसूल नहीं करेंगे। तो इस तरह से इस कानून का आना लाजिमी है। जब एक कानून सुप्रीम कोर्ट से फैसल हो गया कम से कम उसके बाद हमें इस विधेयक को रखने की गुंजाइश है। एक माननीय सदस्य का यह ख्याल है कि जिस रोज से फैसला हुआ, उसी वक्त से कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? तो यह तो नामुनासिब चीज है, क्योंकि किसी को इस तरह से धोखे में ले लेना भी अच्छा नहीं है। अगर किसी काश्तकार ने किसी जमींदार से २१ मई के पहले जमीन ली, पट्टा करा लिया, रुपया दिया और आज उसको हम नाजायज करें, तो वह काश्तकार इस लिये मारा जायगा कि वह कहेगा कि हमको पता भी नहीं था कि ऐसा कोई कानून आने वाला है। २१ मई को यह विधेयक उपस्थित हुआ, लिहाजा लोगों को पता चल गया कि ऐसा एक कानून आने वाला है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारका प्रसाद मौर्य से यह पूछना चाहूंगा कि वह कृपया यह बतलायें कि वह काश्तकार, जो कि पट्टा ले चुके हैं और जोकि नजराना जमींदार को दे चुके हैं, अब २१ मई के बाद उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी तो पट्टे उनके किस काम के हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि २१ मई के पहले जो गरीब काश्तकार पट्टा करा चुके हैं उनको पता भी नहीं था कि ऐसा कोई कानून बनने वाला है। तो ऐसी सूरत में वह काश्तकार मारा जायगा। इसलिये २१ मई के पहले के संक्रमण को भी इस कानून के जरिये अगर हम नाजायज करार दें तो वह अनुचित होगा और जैसा कि हमारे विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा उसके पहले ऐसा करना भी नामुनासिब मालूम होता है। २१ मई के बाद, जब विधेयक उपस्थित हो गया, सबको पता चल गया, तो ऐसी सूरत में

काश्तकार भी आगाह हो गया और जमींदार को भी मौका नहीं है। इसलिये यह एक मुनासिब विधेयक है, पब्लिक इंट्रेस्ट में है और गांव समाज को जो अधिकार मिलने वाले हैं उनकी रक्षा के लिये है। गांव समाज में सबको समान रूप से, पूर्ण रूप से, विचार करने का, पूर्ण रूप से इस भूमि के संबंध में हस्तांतरण करने का अधिकार दिया गया है। इसलिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इस विधेयक का अनुमोदन करूं कि जो २१ मई के बाद कहा गया है कि भूमि का हस्तान्तरण वायड (निष्प्रभाव) हो, वह लीज [पट्टा] न हो, वह एक मुनासिब चीज है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि २१ मई के पहले जो रुपया ले लिया गया है, या जो ऐसे वादे हो चुके हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, तो उनके बारे में यही समझता हूं कि अभी तक जो २१ मई के पहले अगर ट्रांसफर कायदे से नहीं हुये, रजिस्ट्री नहीं हो चुकी, तो उनको कोई हक नहीं है और वह कृपा करके किसानों का रुपया वापस कर दें, क्योंकि अब उस किसान को कोई चीज मिलने वाली नहीं है। मुझे तो संदेह है कि किसान को हस्तान्तरणका अधिकार भी नहीं होगा और वह बेचारा झगड़े में पड़ जायगा। इसलिये मैं तो उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे उसको कृपा करके रुपया वापस कर दें, क्योंकि धोखा देना तो..

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य तो दोहरा रहे हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अगर टेनेंसी क्रिएट करनी है तो यह तो रसीद देकर भी क्रिएट हो सकती है। तो अगर वे धोखा दें, कानून के साथ विश्वासघात करें, तो वे अधिकार पैदा कर सकते हैं, बल्कि पिछली रसीदें देकर के, पटवारियों को मिला करके, काग़जों में ग़लत इन्दराज करवा करके, यह सब चीजें कराई जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून अपनी जगह पर सही है और अब किसी प्रकार का गलत कदम जमींदारों को नहीं उठाना चाहिए। जमींदार भाइयों की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वैसे ही वे बहुत बदनाम हैं, जिससे वे और भी बदनाम हों, काफी मुकदमाबाजी करके हौसला पूरा कर चुके हैं। अब पहली तारीख से जब जमींदारी खत्म हो रही है उसमें सहयोग करें और जो मुआविजा मिले उसको मुकदमेबाजी में बर्बाद न करके, ठीक स्थान पर रुपया पैदा करने के लिए उसे लगाएं, जिससे उनका और देश का कल्याण हो तथा सदन की भी इज्जत बढ़े। यही मैं आशा करता हूं।

इन शब्दों के साथ हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस विधेयक पर कुछ निवेदन करूं, अपनी कृतज्ञता माननीय श्री द्वारिका प्रसाद जी को दिखाना चाहता हूं। हम समझते हैं कि इस ओर के सभी जमींदार उनके लेक्चर के कृतज्ञ हैं। वह लेक्चर कितना ग्रेसफुल (शानदार) था यह मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूं।

श्रीमन्, आज मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मिनिस्टर्स और स्पीकर की सैलरीज़ पर जो वादविवाद हुआ उससे इस सदन के माननीय सदस्य कुछ ऊब से उठे थे। श्रीमन्, इसके पहले कि मैं कुछ निवेदन करूं, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हो सकता है कि हम लोग इस भवन में नये हैं, इसलिये हम लोग अपने विचारों को, अपने प्रस्तावों को, अपने संशोधनों को, उतनी अच्छी तरह से न रख पाएं जैसे कि और लोग रखते हैं। हम लोग नये हैं इसलिये हम में वह ओरेटरी, वक्तृता, की ताकत न हो जो कि उस ओर है। परन्तु श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी बात के कहने पर हमारी आनेस्टी आफ परपज (प्रयोजन की ईमानदारी) में सन्देह करना यह उन ३९० धुरंधर विद्वानों को शोभा नहीं देता, यह उन ३९० ओरेटर्स बोलने वाले को शोभा नहीं देता, यह उन ३९० धुरंधर ओरेटर्स को जिनको पार्लियामेंट का तजुर्बा हो चुका है, शोभा नहीं देता।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

कहा यह गया है कि इधर के लोग केवल विरोध करने के लिये खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। जिस समय यह विधेयक मेज पर रखा गया, श्रीमन् मैंने इस बात की चेष्टा की कि मैं इसे देखूं कि कौन कौन से उद्देश्य और कारण हैं जिनके लिए हमारी सरकार को केवल चालीस दिन के लिए ऐसा विधेयक उपस्थित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मैं सच कहता हूं कि उस समय तक जब तक माननीय माल मंत्री ने नहीं बताया मुझे कुछ भी इसके कारण और उद्देश्यों में नहीं मिला, क्योंकि उनमें सिवा आशंका और डर के कोई चीज ऐसी नहीं कही गई थी, परन्तु मैं सच्चाई के साथ इतना कहने पर बाध्य अवश्य हूं और कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि माननीय माल मंत्री के बतलाने के बाद और उनके कुछ चीजें कहने के बाद मुझे कुछ शंका अवश्य हुई और वह यह कि माननीय मालमंत्री जी ने अपने छोटे से भाषण में बतलाया कि डर यह है कि जमींदार अपने राइट आफ़ ट्रान्सफर टीनन्ट्स को ट्रान्सफर (संक्रमण के अधिकार काश्तकारों को संक्रमित) कर देंगे और उनको भूमिधर बना देंगे और इसका नतीजा यह होगा कि उनसे सरकार को दस गुना नहीं मिल सकेगा जो कि उसको भूमिधर बनने के लिये मिलना चाहिये।

उसके बाद माननीय माल मंत्री और दूसरे सदस्यों ने बहुत सी बातें जमींदारों के बारे में कहीं और वही बातें कहीं कि जो हम सात आठ साल से सुनते आ रहे हैं, श्रीमान् परन्तु मुझे ताज्जुब हुआ कि जमींदारों के खिलाफ जो कुछ कहना था उन्होंने कहा और जमींदारों के खिलाफ जो विधेयक है वह तो है ही लेकिन अधिक ताज्जुब मुझे तब हुआ कि जब वे माननीय सदस्य जो अपने को जनता का सेवक कहते हैं उन्होंने काश्तकारों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा।

मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, माननीय माल मंत्री से और दूसरे मित्रों से जानना चाहूंगा कि विधेयक में जो अच्छाइयां हैं कि वह जमींदारों को ऐसा करने से रोक लेगा लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने, जो इसमें बुराई है उसको भी तोला है या नहीं। अब एक महीने के करीब या ४०–५० दिन जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के लागू होने में रह गये हैं और आपने इतने थोड़े दिनों में यह विधेयक लाकर ठीक ही किया। अगर कोई ऐसे जमींदार हैं जो गांव सभा के लोगों का हक छीनना चाहें और आपको गांव सभा का अधिकार छीनना चाहें तो आपका ऐसा विधेयक लाना ठीक है। मैं आशा करता हूं कि माननीय माल मंत्री के पास कुछ ऐसी इत्तला और काग़जात जरूर होंगे कि जिन से उनको पता चला होगा कि कुछ जमींदार या बहुत से जमींदार ऐसा कर रहे हैं जिससे आशंका हो सकती है कि हमारी भूमि व्यवस्था में बड़ा भारी उलट फेर हो जायगा और जमींदारी ऐक्ट के द्वारा जो व्यवस्था सरकार ने की है उसमें उलटफेर हो जायगा। यदि ऐसा है तो मंत्री जी बतलावें और जो कुछ जमींदारों के लिए कहा गया है वह सब मैं थोड़ी देर के लिये सच मानता हूं और थोड़ी देर के लिए मैं जमींदार की हैसियत छोड़ कर और इस तरफ बैठने की हैसियत छोड़ कर उधर चला आता हूं और डिबेट के लिये माने लेता हूं कि जमींदारों ने जुल्म किये हैं और जो कुछ भी जमींदारों के लिये कहा जाता है वह सब मैं थोड़ी देर के लिये मान लेता हूं, मैं माने लेता हूं कि उन्होंने किसानों का खून चूसा है, मैं माने लेता हूं कि जमींदारों ने बड़े बड़े नजराने लिये हैं, मैं माने लेता हूं कि जमींदारों ने तालाब, बाग़, खलियान और परती सब उठा दी हैं और जैसा कि अभी माननीय द्वारका प्रसाद जी ने कहा कि चिड़ियों के पानी पीने तक को नहीं रह गया है यह भी माने लेता हूं और यह भी माने लेता हूं कि

जानवर पानी के बगैर मरे जा रहे हैं यह सब मैं थोड़ी देर के लिए माने लेता हूं परन्तु मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलता और बराबर माननीय अध्यक्ष महोदय सोचता रहा हूं लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि अगर उनकी जमीन जा रही है परती जमीन जा रही है उससे फायदा उठाने के लिये जमीदारों ने नजराना लिया और पट्टा कर दिया तो श्रीमन् मैं जानना चाहूंगा कि वह बेचारा काश्तकार जिसने ऐसी जमीन रुपया देकर लिया उसका क्या होगा। यह तो बहुत बुरी बात है कि वह बेचारा रुपया देकर और लुट कर बैठ रहे। किसी काश्तकार ने नजराना दिया। श्रीमन्, यह बात तो जब से जमींदारी कायम है तब स चली आ रही है। अगर जमींदारों न नजराना लिया है और इसलिये वह बुरे हैं तो श्रीमन् वह काश्तकार भी बुरा है जिसने वह नजराना दिया। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि जमींदारों ने तो तालाब, खलिहान और बागात सब नजरान पर उठा दिये।

दूसरी बात यह है श्रीमान्, मुझे खेद है कि हमारे माननीय द्वारका प्रसाद जैसे नेता और माननीय राजनारायण जैसे नेता जो कि हिन्दुस्तान में रहते हैं, और गांव में रहते हैं, उनक देखते हुए एक काश्तकार नजराना देकर एक जमींदार से जमीन ले लेता है और दूसरा काश्तकार जो रुपया नहीं दे सकता और जिसको जमीन चाहिए वह जमीन पाने से वंचित रह जाता है। श्रीमन्, बड़ी भारी लड़ाई लड़ कर हमारे मित्र मौर्य जी ने विदेशी सरकार को यहां से भगा दिया लेकिन जिस गांव में वह रहते हैं वहां यह न कर सके कि इतनी खराब चीज कि एक किसान जमींदार को नजराना देकर जमींन ले लेता है जब कि बहुत से ऐसे उस गांव में रहते हैं जिनके पास जमींन नहीं है, जिनको जमीन की सख्त जरूरत है और जो रुपया न होने की वजह से जमींन नहीं ले सकते, उनको वह जमीन दिलाते और यह खराब चीज को रोकते। नजराना लेने वाले खराब हैं, दोषी हैं, चोर और डाकू हैं लेकिन नजराना देने वाला तो जनता जनार्दन है, उससे तो मौर्य जी को वोट मिलते हैं। उसी के वोट से मौर्य जी और राजनारायण जी को यहां फिर आना है। मैं पूछता हूं कि जमींदार चोर हैं, डाकू हैं, जमींदार ने ऐसी बातें कीं जो न करनी चाहिय थीं तो उसे रोकने के लिये आपन क्या किया। दूसरे अगर जमींदारों ने ऐसी बातें कीं जिनको उन्होंने जमींनें दीं क्या वे हिन्दुस्तानी नहीं थे, विलायत से यहां आये थे, क्या वे अब उस गांव सभा के सदस्य नहीं होंगे जिस गांव सभा के लिये यह समझा जाता है कि वहां का जमींदार उनके अख्तियारों में दखलंदाजी करेगा।

श्रीमान्, यहां कहा गया कि जमींदारों ने करोड़ों रुपया, लाखों रुपया नजराना ले लिया, लाखों रुपया इलक्शन में खर्च कर दिया और यह कि हम जमींदारों के प्रतिनिधि हैं, इनकी जेब कटने वाली है इसीलिये विरोध करते हैं। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपके द्वारा उन माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक के द्वारा केवल इतना ही तो होगा कि जमींदार अपने राइट आफ ट्रान्सफर को ट्रान्सफर करके गांव सभा के हुकूक न छीन सकें लिहाजा एसी कोई तजवीज कर दी जाय कि उन काश्तकारों न जिन्होंन नजराना देकर या किसी तरह से जमींदारों से जमीन हासिल कर ली है उनको बेदखल नहीं किया जायगा, उनके पट्टे वैसे ही रहेंगे, उनको रोका नहीं जायगा, तो श्रीमन्, कम से कम मैं इस बिल का विरोध नहीं करूंगा, समर्थन करूंगा। श्रीमन् आप देखें कि नजराना तो जमींदार लेता है। उधर कोर्ट आफ वार्डस है, जो सेमी गवर्नमेंट बाडी (अर्द्ध सरकारी निकाय) है। वहां नजराने का सवाल नहीं। उनके यहां तो रजिस्ट्रेशन बोनाफाईडी होता है लेकिन इस बिल के पास होने पर हमारे प्रान्त में जो लाखों की तादाद में पट्टे कोर्ट आफ वार्ड्स के जरिय किये गये हैं उनकी क्या हालत होगी। आपने ही कानून बनाया है कि काश्तकार पट्टा लेने के बाद ४ महीने

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

तक रजिस्ट्रेशन करा सकता है, वह एक ऐसे आदमी से या एक ऐसी बाडी [निकाय] से पट्टा लेता है जो नजराना नहीं लेता, लेकिन इस कानून के द्वारा क्या उसका पट्टा रह जायगा।

श्रीमन्, यह कहना बहुत आसान है कि जमींदारों की जेब कट गई है, ये तो इसका विरोध करेंगे ही, यह तो जमींदारों के प्रतिनिधि हैं। मुझे गर्व है कि मैं जमींदारों का प्रतिनिधित्व करता था जब मैं कौंसिल में था, लेकिन अब मैं इस माननीय सदस्यों को सैटिसफाई (संतुष्ट) करने के लिये एक संकुचित दायरे में नहीं रहना चाहता। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस जनता जनार्दन ने मुझे वोट नहीं दिये जिनके वोट से आप यहां आये हैं मुझे यह कहने में शर्म नहीं कि मैं जमींदार हूं या जमींदारों का प्रतिनिधि हूं। उसी जनता ने मुझे यहां चुन कर भेजा है, उसने वोट दिये जिसको मैंने चूसा, जिसको हमने तबाह किया। उसी क्षेत्र से मैं चुन कर आया जहां पानी न होने से चिड़ियां मर गईं, जहां चरागाह न रहने से सब जानवर मर गये। श्रीमन् यह कहना कि जमींदार ऐसे हैं और वैसे हैं बड़ा सरल है परन्तु मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जमींदारों के साथ अब ऐसा न करें। जमींदारों से अगरचे वह नाराज हैं, हो सकता है वह ठीक हो और हो सकता है कि गलतफहमी हो, लेकिन कम से कम उस ओर, यानी मजदूर की ओर, काश्तकार की ओर जिनको शायद इस विधेयक के द्वारा कुछ नुकसान पहुंच जाय देखें। मैं एक दफा निवेदन कर चुका हूं और आपकी आज्ञा से उसको फिर दुहराऊंगा कि अगर मुझे माननीय मंत्री सैटिसफाई (संतुष्ट) कर दें और कन्विन्स (सन्तुष्ट) कर दें कि वह काश्तकार जो पट्टा पाये हैं या जिन्हें पट्टे मिल चुके हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन या एटेस्टेशन (प्रमाणीकरण) बाकी है जो बोनाफाइडी केसेज हैं, जो कोर्ट आफ वार्ड्स वाले केसेज हैं जिन्हें कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा पट्टे मिले हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी तो मैं मान जाऊंगा। मैं श्रीमन्, थोड़ी देर के लिए उस समय यह भी मान लूंगा कि जमींदार की हैसियत से कुछ कह रहा हूं या जमींदारों के प्रतिनिधि की हैसियत से कुछ कह रहा हूं। इतना सब कुछ होते हुये भी अगर हमें यह मालूम हो जाय कि यह विधेयक जमींदारों के किसी किस्म का फायदा उठाने से रोकता है तब भी यह माना जा सकता है कि मैं चूंकि जमींदार हूं इसलिये इसका विरोध कर रहा हूं। यदि जो बातें कही गई हैं वे सच्ची भी हों तो जो कुछ जमींदार को करना था वह कर चुका, जो कुछ जमींदार को लेना था, ले चुका, जो कुछ जमींदार को लूटना था वह लूट चुका। वह इस दिन के लिये बैठा नहीं था कि जब एक महीना रह जायगा और जब यह बिल आयगा तब आखिरी वक्त में वह किसानों को या जनता को लूटेगा, या रुपया कमायेगा। मैं यह सब मानते हुए कहूंगा कि जो कुछ डैमेज (क्षति) उसका होना था वह हो चुका इस बिल के द्वारा डैमेज अब किसानों का होगा है, उन काश्तकारों को मालूम नहीं जिन्होंने नजराना दिया हो या न हो जिनके पास पट्टे हैं, परन्तु आपके ही कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन नहीं हुये हैं, एटेस्टेशन नहीं है, उनका नुकसान होगा।

श्रीमन्, यह भी कहा गया कि एक महीने से कुछ ज्यादा दिन अभी जमींदारी के वेस्टिंग (निहित) होने में बाकी हैं। यह भी कहा गया कि अगर यह विधेयक पास नहीं किया जाता और अगर यह विधेयक फौरन लागू नहीं होता तो मालूम नहीं क्या हंगामा बरपा हो जायगा, लेकिन बताया नहीं कि क्या हो जायगा। मैं इतना अवश्य समझ सकता हूं कि जो होने का अंदेशा है वह यह है कि शायद कुछ जमींदार बदले की भावना से या अन्य भावनाओं से ऐसा करें कि हमारे माननीय सभाओं को जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में उनको जो कुछ अधिकार मिले हैं उनमें हस्तक्षेप हो जाय, परन्तु कुछ ऐसे जमींदार हों तो सारे प्रदेश के लिये ऐसा विधेयक लागू किया जाय कि लाखों काश्तकार मर जायं कहां तक न्यायसंगत होगा, मुझे मालूम नहीं है।

श्रीमन्, मुझे दुहराना पड़ता है क्षमा कीजियेगा कि जमींदार चाहें जितने बुरे हों सब कुछ मान लिया जाय फिर भी जो कुछ करना था वह कर चुके हैं जितना कुछ लूटना था, जो कुछ रुपया बनाना था, वह सब कर चुके और जब कि वहां हमेशा से जमींदारी प्रथा चली आ रही है तब से बराबर काश्तकार नजराना देता रहा है और जमींदार लेता रहा है और काश्तकार का नजराना देना हमारे माननीय सदस्य कम से कम बुरा नहीं समझते। तो ऐसे काश्तकारों जिन्होंने कभी कुछ बुरा काम नहीं किया उन बेचारों को क्यों मारा जाता है। काश्तकार ने १०० रुपया दिया हो, २०० रुपया दिया हो, ३० रुपया दिया हो या १० रुपया दिया हो, इधर तो वह रुपया दे चुका और उधर उसे जमीन भी नहीं मिली यह कहां तक न्याय-संगत है। कम से कम अगर माननीय माल मंत्री इसे साफ कर दें तो इतना संतोष तो जरूर हो जायगा कि जमींदार लोग कोई ऐसी बात न कर सकेंगे और ऐसी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके द्वारा काश्तकार को किसी तरह से नुक़सान नहीं होगा।

श्री राजनारायण—मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन (वैयक्तिक स्पीष्टीकरण) देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष—किसके भाषण पर आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन (वैयक्तिक स्पष्टीकरण) देना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—श्री द्वारका प्रसाद जी मौर्य ने कहा था कि "विरोधी दल के श्री राज नारायण जी ने कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं।" इसके बारे में मैं आपके द्वारा श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य को सूचित करना चाहता हूं कि मैंने इस बिल के उद्देश्यों की सराहना की है। मैं अब भी चाहता हूं कि इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो संशोधन हमारे साथियों द्वारा आये हैं वे विरोध में नहीं हैं, लेकिन ये संशोधन हैं। श्रीमान् जी, आप भी विरोध और संशोधन का अंतर सदस्यों को समझा चुके हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल—आदरणीय स्पीकर साहब, मेरा यह सब से पहिला मौका है कि मैं आज इस सदन के सामने बोल रहा हूं अगर मुझसे कोई ग़लती होती है तो मैं आशा करता हूं कि आप क्षमा करेंगे और मेरी रहनुमाई करेंगे। मैं आपका ध्यान इस बिल के आब्जैक्ट्स ऐंड रीजन्स [उद्देश्य और कारण] की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ है कि—

"During.

माननीय अध्यक्ष—कृपया आप हिन्दी में ही बोलें, क्योंकि यह विधेयक इस भवन के सामने हिन्दी में ही आया है।

श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल—"आशंका है कि वे यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट १९३९ के अधीन भूमि व्यवस्था से संबद्ध अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे और इस प्रकार जमींदारी विनाश के पश्चात् कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे और कृषि संबंधी अर्थ व्यवस्था को भारी क्षति पहुंचायेंगे। सामान्य जनता के हितों की रक्षा करने तथा ग्राम्य अर्थ व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक समझा गया है कि विधेयक की धारा ३ में उल्लिखित प्रकार के वे व्यवहार तथा पट्टे, जो इस विधेयक के गजट में प्रकाशन के दिनांक, अर्थात् २१ मई, १९५२ ई० को या उसके पश्चात् निबन्धन के लिये प्रस्तुत किये जायं व्यर्थ घोषित कर दिये जायं। इस प्रयोजन के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।"

जनाबवाला, मैं यह समझता हूं कि जो मुझ से पहले स्पीकर (वक्ता) थे, जिन्होंने अपना भाषण दिया है, उनको यह फिजूल ही डर है कि उन पट्टों पर इस कानून का कोई

[श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल]

असर होगा जो २१ मई, १९५२ के पहले हो चुके हैं। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की दफा २१२ के अन्दर उसका सिर्फ मंशा यह है कि यह सारी आराजी के बारे में नहीं है बल्कि सिर्फ उस आराजी के बारे में है जो खलिहान है, तालाब है या कोई पड़ी हुई जमीन है, उसके बारे में कोई पट्टा हो जायगा और अगर गांव सभा आयन्दा मुनासिब समझेगी तो वह तोड़ा जा सकता है गोया कि ट्रांजेक्शन भी अगर हो गया है और नाजायज नहीं है, तो वह गांव सभा की तरफ से भी जायज समझा जायगा। इसलिये उन पट्टों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वाकई वह नाजायज तरीके से हुआ है और गांव सभा उसे नाजायज करार दे दे तब तो बात ही दूसरी है, लेकिन अगर कोई चीज जायज तरीके से हुई है तो उसके लिये किसी किस्म के डर की बात नहीं है। वाकया यह है कि जो जमींदारों के पास आराजी थी, कानून बनने के जमाने में अगर किसी ने जानबूझ कर पट्टा करना चाहा, तो वह नाजायज करार दिया जायगा। कानून बनने के जमाने में किसी जमींदार की कोई जमीन खाली हो, किसी काश्तकार की जमीन खाली हो, जमींदार की कोई सीर हो, खुदकाश्त हो और वह खाली हो, तो वह किसी शक्स को हरगिज नहीं दे सकता। अगर ऐसा पट्टा होगा तो वह नाजायज होगा। इसलिये मेरे माननीय सदस्य का डरना फिजूल है।

मेरा ऐसा खयाल है कि जहां तक इस मौजूदा तरमीम का ताल्लुक है, जहां तक कि इस मौजूदा ऐक्ट का ताल्लुक है, यह तो एक ऐसा कानून है कि शायद इस डर की कोई आशा ही नहीं है कि आज जमींदार लोग इस कानून के आने की वजह से कुछ नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। अगर किसी काश्तकार के पास जमीन होगी और ज्यादा लगान के ऊपर या कम लगान के ऊपर ही नजराना लेकर उसने दूसरे को पट्टा कर दिया तो वह नाजायज होगा अगर कोई शख्स काश्त करने के नाकाबिल है या कोई दूसरा शख्स है जो अपनी जमीन को नजराना लेकर उठाना चाहता है। तो मेरा खयाल यह है कि वह काम आम जनता के लिये, आम काश्तकार के लिए हानिकारक होगा। अगर माननीय सदस्य का ऐसा खयाल है कि जमींदार लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनको इस ऐक्ट से कोई हानि नहीं है। यह ऐक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिये है जो इस किस्म की कोई बददयान्ती करेंगे। जो बददियान्ती नहीं करेंगे उन्हे इस ऐक्ट से किसी किस्म का कोई नुक़सान नहीं पहुंचेगा।

एक बात मैं और कह दूं कि कंस्टीटूशन में जहां अपनी प्रापर्टी डिस्पोज आफ (संपत्ति के व्ययन) करने की बात कही गयी है, जहां हर शख्स को उसके लिये पूरा अख्तियार है वहां अनुच्छेद १९ के खंड (५) में यह भी दिया हुआ है कि अगर कोई कानून बनाया जा चुका है और अगर उसके एप्लीकेशन [लागू होने] में कोई शख्स बाधा डाले तो उसकी रुकावट के लिये भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज (निबर्धन आरोपित) किया जा सकता है जो कानून बन चुका है और जो आयन्दा बनने को है दोनों के लिये यह क्लाज (५) एप्लिकेबल (लागू) है। आप आज्ञा दें तो मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ दूं। हिन्दी की प्रति मेरे पास नहीं है और अनुवाद करने में कुछ दिक्कत भी होगी।

माननीय अध्यक्ष—उसका सार आप हिन्दी में कह दें। यह माना जाता है कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ा है, इसलिये सार देने से पढ़ना समझ जायगा।

श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल—मैं एक वर्ड (शब्द) पढ़ कर बता देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष—आप क्या पढ़ना चाहते हैं?

श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल-- कंस्टीटयूशन का आर्टिकिल १९ (५) पढ़ना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष-- पढ़िये।

श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल-- वह यह है :

"Nothing in sub-clauses (*d*) (*e*) and (*f*) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe."

[उक्त खंड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितों के संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिए रुकावट न डालेगी।]

तो इससे काफी तौर पर वाजे है, लेकिन जिन बातों में यह क्लाज लागू है जहां जमींदारी अबालीशन ऐक्ट का ताल्लुक है आज जब कि हम इस बिल को पेश कर रहे हैं तो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट पास हो चुका है। केवल दफा ४ का निफाज होना बाकी है और इसलिये यह दोनों चीजों में आता है। इसलिये क्लाज ५ पूरे तरीके से प्रोटेक्ट [सुरक्षा] करता है।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे दोस्त सोशलिस्ट मेम्बर ने यह फरमाया कि जब से जमींदारी अबालीशन ऐक्ट बना है तब से तमाम पिछली लीजेज पट्टे की जांच-पड़ताल की जाय। मैं समझता हूं कि इसमें कानूनी आपत्ति होगी। कानून का रिट्रास्पैक्टिवली (अनुदर्शी प्रभाव के साथ) लागू करना भी कुछ अधिक उचित नहीं है। क्योंकि जो हकूक एक मर्तबा किसी समय हैं उनको डेस्ट्राय (नष्ट) करना मुनासिब नहीं है, जब तक कि कोई खास आपत्ति न हो। उन पुरानी लीजेज की जांच-पड़ताल मेरी समझ में काश्तकारों के हित के भी खिलाफ जायगी और इसलिये उसकी कोई जांच-पड़ताल नहीं की जा सकती। जहां तक इस ऐक्ट का ताल्लुक है मैं यह समझता हूं कि यह जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के मुआफिक़त में हैं। अगर यह ऐक्ट पास न होता तो यह मुमकिन था कि कुछ प्रावीजन्स का कोई आदमी अपने किसी फेल से मुखालिफत करता।

मैं इन शब्दों के साथ इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

श्री खूब सिंह--अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कल से विचार जारी हुआ और सोशलिस्ट पार्टी के नेता की तरफ से जो बहस में हिस्सा लिया गया उससे मैंने यह समझा कि हमारे मुखालिफ बेंचों पर बैठने वाले जितने भी सदस्य हैं और खासतौर से सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य, वे केवल इसी दृष्टिकोण से इस भवन में विचार विनिमय करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लाई हुई ख्वाह कोई भी चीज हो, अच्छी हो या बुरी, उसकी मुखालिफत करना उनका परम कर्तव्य है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इसको भी तसलीम करने के लिये उनके दिल में गुंजायश नहीं है और वे समझते हैं कि यह बिल वापस लिया जाय। यही उन्होंने कहा और यही उनकी इच्छा है। मैं यह कहता हूं कि इस बिल का स्कोप (परिधि) कहां तक जाता है।

माननीय अध्यक्ष--जब उसका स्पष्टीकरण हो चुका तो उसको ग़लत तौर से पेश करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या उनका मतलब है।

श्री खूब सिंह—ठीक है, उस प्वाइंट को और आगे न बढ़ा करके मैं सिर्फ इतना कहना काफी समझूंगा कि जहां तक २१ मई के बाद के पट्टों का ताल्लुक है उनको नाजायज करार दिया जाय। सदन का कोई भी सदस्य अपने संशोधन के जरिये से उस टाइम में कमी-बेशी के लिए कह सकता है। इसलिये इस दृष्टिकोण से इसकी मुखालिफत करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर कल नहीं तो आज सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने अपनी गलती महसूस कर ली और मुझे यह जान कर खुशी हुई है। जहां तक इस बिल की जरूरियात का ताल्लुक है, जरूरियात सब के सामने हैं। जरूरियात यह है कि जहां तक ऐसी जमीनों का ताल्लुक था कि जो दी जा सकती थीं वह जमींदारों ने पिछले जमाने में दीं। उनमें दो किस्म की जमीनें थीं। एक वे थीं जो दी जानी चाहिये थीं, इसलिये कि खाद्य सामग्री को बढ़ाया जाय, गिजा ज्यादा पैदा की जाय। उनके न देने से नुक़सान था। तो ऐसी जो जमीनें थीं उनका दिया जाना उचित ही हुआ। अगर इस विषय में कोई ऐसा कानून बना दिया जाता कि गांव पंचायत का फायदा हो या नुक़सान हो, लेकिन कोई जमीन पट्टे पर नहीं दी जा सकती है तो मैं समझता हूं कि यह बात देश के हित में जा करके पड़ती, और अगर गवर्नमेंट ऐसा करती तो गलत करती। इसके बजाय गवर्नमेंट ने जो जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ है, उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई जमीन ऐसी है जिसके देने से गांव वालों का नुकसान होता है और अगर जमींदार ने उस भूमि को गांव वालों की इच्छा के खिलाफ किसी काश्तकार को दे दी है तो ऐसी भूमि को वापस लिया जा सकता है। कहा यह गया कि अपनी गलती महसूस करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से यह बिल हाउस के सामने लाया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गलती उन लोगों के दिमाग में है जो देहात की जरूरियात से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं, जो देश की जरूरियात से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं कि देश में गिजा की कितनी कमी है। मैं तो यह कहता हूं कि जो ऐसी जमीनें दी गयी हैं जिनमें खेती होनी चाहिये थी, वे चाहे २१ मई के ८ दिन पहले दी गयी हों, चाहे चार महीने पहले दी गई हों, चाहे दो साल पहले दी गई हों, उचित दी गई हैं। अलबत्ता बहुत जमीनें ऐसी थीं जो नहीं दी जानी चाहिये थीं और जिनके दिये जाने से गांव का नुकसान हुआ, लेकिन जमींदारों ने अनधिकार चेष्टा करके वे जमीनें काश्तकारों को दे दीं। ऐसी जमीनों में खलिहान भी शामिल थे, चरागाह भी शामिल थे, तालाब भी शामिल थे, लेकिन गांव वालों के हित में ऐसी जितनी जमीनें थीं उनको जमींदारों ने कुछ रुपया ले करके उठा दिया है। उनके वास्ते कानून बनाया गया कि अगर गांव पंचायत चाहे तो उन्हें वापस ले सकती है।

कुछ जमींदार सदस्यों ने यह कहा कि जिन काश्तकारों ने पहले नजराना दे दिया है और उन जमीनों के पट्टे नहीं किये गये हैं उसके वास्ते मौर्य साहब क्या कहते हैं। यह प्रश्न मौर्य साहब से किया गया था। मौर्य साहब ने इसका उत्तर बतला दिया था और मैं भी बतला देना चाहता हूं कि इस किस्म की जमीनें गलत दी गयी हैं। अगर इस किस्म का कोई नजराना लिया गया है और रसीद नहीं दी गयी है तो वह कानून की नजरों में नाजायज है और उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये और मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि ऐसे जमींदारों का प्रासीक्यूशन होना (अभियोग चलाना) चाहिये। इस तरह से उन भोले-भाले किसानों से जो रुपया उन्होंने ले लिया है वे चाहते हैं कि उसे हज्म करने के वास्ते उन्हें मौका दिया जाय। वे चाहते हैं कि इस बिल के अन्दर ऐसा दरवाजा खोल दिया जाय कि जो रुपया पहले उन्होंने ले लिया है वह भी हजम हो जाय और २१ मई के बाद भी लेते रहें। मैं कहता हूं कि जो मनोवृत्ति जमींदार सदस्यों ने दिखलायी है वह एक बहुत ही कलंकित मनोवृत्ति है। मेरी आशा है कि हम लोगों के संसर्ग में आकर इस सदन के सदस्य होने के बाद यह मनोवृत्ति

कम हो जायगी। मैं ईश्वर स प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे और इस किस्म के अत्याचार गरीब जनता के ऊपर न हों।

अब जहां तक पिछले पट्टों का ताल्लुक था उसकी पोजीशन मैंने सदन क सामने साफ कर दी। अब जो जमीन बाकी रह गयी है उसमें खलिहान सब से ज्यादा हैं, बिटौरा रखने की जमीन सब से ज्यादा है। जिन इलाक़ों में बाढ़ आती है उनमें बाढ़ से बचने के लिये मवेशी जिस जमीन पर खड़े होते थे वह जमीन है। चाहे वह क़ाबिले काश्त जमीन थी, चाहे उसमें काश्तकारी होने से फ़ायदा हुआ या नुक़सान, मैं इस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता। इसको मै पहले ही इस सदन के सामने रख चुका हूं। परन्तु जो जमीन बाकी है वह बहुत थोड़ी जमीन है और अगर गवर्नमेंट इस नुक्ते निगाह से कोई विधेयक यहां पर लायी है कि इस जमीन पर ख्वामख्वाह की मुक़दमेबाजी न हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट किस प्रकार से दोषी है, ऐसे बिल को इस सदन के सामने लाने के लिये।

एक और प्रश्न यहां पर उठाया गया कि इस प्रकार का कोई विधेयक लाने का तो सदन को अधिकार ही नहीं है। अजीब बात है। सूर्य निकल रहा है मगर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रात है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुक़दमा चल चुका। दफा २१२ का जो प्रिन्सिपिल था वह तय हो चुका। उसमें यह है कि अगर गांव पंचायत किसी जमीन को ऐसा समझती है---

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य दूसरों के विवाद को दोहरा रहे हैं।

श्री खूब सिंह--- मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। अगर सदन ने अच्छी तरह से समझ लिया है, तो ठीक है। जो प्रिन्सिपुल तय हो गया है वही इस कानून में लाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका है तो कोई वजह नहीं है कि यह कहा जाय कि यह संविधान की स्पिरिट (भावना) के खिलाफ है। इन अल्फाज के साथ जो बिल यहां पर पेश है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बिल पर विचार जारी रखा जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---श्रीमन्, कल से आज तक १२ माननीय सदस्य इस बिल पर बोल चुके हैं। इसलिये मैं श्रीमान् से आज्ञा चाहता हूं कि वादविवाद बन्द करने का प्रस्ताव उपस्थित करूं।

माननीय अध्यक्ष---अब नये कायदे से आपको इजाजत मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मसले पर बहस बन्द की जाय।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री चरण सिंह (माल मंत्री)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस छोटे से बिल पर १०-१२ सज्जन अपने ख्यालात जाहिर कर चुके हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई ऐसी बात नहीं कही गयी कि जिससे सदन को कोई फायदा होता या मेरी मालूमात में, या जो लोग जमींदारी उन्मूलन की सारी गति-विधि से वाकिफ हैं, उनकी मालूमात या इल्म

[माननीय श्री [illegible] सिंह]

में इजाफा होता। सिर्फ तीन चार मोटी सी बातें कही गयीं और मैं अब मुख्तसरन उनका जवाब देना चाहूंगा।

एक बात तो यह कही गयी कि यह जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है वह [illegible] से क्यों लगाया जा रहा है, सन् ४६ से, जबसे जमींदारी खत्म होने का प्रस्ताव यहां पास हुआ उस रोज से, या १५ अगस्त सन् १९४७ से जबसे हिन्दोस्तान स्वतंत्र हुआ, सबके पट्टों को मंसूख करने के लिये क्यों नहीं प्रस्ताव लगाया जाता या बिल में तजवीज नहीं रखी जाती? उसके मोटे से दो जवाब हैं। पहली बात तो यह है कि जैसा मेरे मित्र द्वारिका प्रसाद जी ने अभी फरमाया आमतौर पर रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) से कानून नहीं बनाये जाते। जो हुकूक काश्तकारों को हासिल हो चुके हैं और जमींदारान उस हुकूक का जो उनको हासिल थे उनका इस्तेमाल कर चुके हैं, उनको सूख करने के लिये अब [illegible] साल के बाद किसी तरह की तजवीज या कानून लाना मुनासिब नहीं। लेकिन इससे बड़ा बड़ा बात यह है कि सोचना यह है कि क्या इससे कोई फायदा होता है? क्या उससे मंशा पूरा होता है? मौजूदा चार किस्म की जमीन है जोकि जमींदार काश्तकार को उठा सकते थे, पट्टे या लगान पर दे सकते थे। एक तो खुदकाश्त की जमीन, खुदकाश्त की जमीन तो जमींदारों ने आम तौर पर काश्तकारों को उठाई नहीं, बल्कि सन् ४६ से लेकर अब तक इस पांच, छः साल के अन्दर खुदकाश्त का रकबा डेढ़ लाख एकड़ के करीब बढ़ा। तो उस जमीन को तो वह उठाने से रहे। उनका उठाने का मंशा नहीं था। वह तो खुदकाश्त बढ़ाना चाहते थे। अब जमीन रह जाती है गैर खुदकाश्त, काबिले काश्त बंजर। काबिले काश्त बंजर या गैर मजरुआ जमीन से मतलब ऐसी जमीन जो सार्वजनिक उपयोग में आ सकती थी, जोकि पब्लिक यूज [प्रयोग] में लोगों के साथ में मुश्तरका इस्तेमाल में थी और सारे गांव के इस्तेमाल में आ रही थी, उस जमीन को पट्टे पर उठाने की मनाही, जैसा कि पूर्व माल मंत्री ने बतलाया, उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस तरह से पांच किस्म की जमीन ऐसी थी, श्मशान या कब्रिस्तान, ग्राम पास्चर, (चारागाह) आम रास्ते और खलिहान या तालाब। यही पांच किस्म की जमीन थी जिसको सारे गांव वाले मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो इस किस्म की जमीन को पट्टे या लगान पर उठाने या खुद हल के नीचे ले आने की मनाही इस कानून के जरिये ८ अगस्त सन् ४६ से लेकर कर दी गयी।

फिर जमीन रह जाती है जो काबिले काश्त या किसी हल के नीचे न हो, या किसी किसान से बेदखल की गयी हो, या किसी काश्तकार ने इस्तीफा दे दिया हो। ऐसी जमीन का पट्टा क्यों रोक दिया गया, ऐसा विरोधी पक्ष या समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों ने यहां इहार किया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस किस्म के पट्टे रोकने का कोई मंशा नहीं है। हम लोगों ने इरादतन ऐसी जमीन के पट्टे नहीं रोके हैं। हमने जमीन के बनाने को, हिन्दोस्तान को रोक दिया और पट्टे नहीं रोके और जानबूझ कर नीति के तौर पर नहीं रोके। यह बात नहीं थी कि कोई गफलत थी। वह हम इसलिये चाहते थे कि हमारे यहां जेर काश्त जमीन का रकबा जितना मुमकिन हो उतना बढ़े। जमींदारों को हक था कि वह ऐसी जमीन उठा सकें और उन्हें इस बात का पूरा कानूनी अख्तियार था। उन्होंने उस का इस्तेमाल किया और हमने जानबूझ कर नहीं रोका। उसका नतीजा यह हुआ कि करीब डेढ़ लाख एकड़ जमीन [illegible] चार पांच सालों में हल के नीचे लायी गयी।

फिर यह सवाल हो सकता है कि जब उस वक्त आपने नहीं रोका तो अब क्यों रोक रहे हैं। उस पर विचार करने की बात यह है कि अब तक जमींदारों ने जो जमीन उठायी वह इन प्रकार की जमीन थी जो काबिल काश्त थी या जेरे काश्त थी, और बेदखलशुदा काश्तकारों की थी या कहीं यह भी हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत काश्त पर उठी हो। तो वह जमीन काबिले काश्त थी। अब ऐसी जमीन जो काबिले काश्त नहीं है या काबिले काश्त भी है तो रद्दी हैसियत की है जिसे मारजिनल या सब-मारजिनल लैण्ड

कहते हैं, जिस को हम चाहते हैं कि पंचायत के पास जाय उसके पट्टे पर दिये जाने का अन्देशा है, लेकिन यह अंदेशा पहले क्यों नहीं था, यह सवाल उठाया जा सकता है। उसका मोटा सा जवाब है। जमींदारान उस वक्त अपने हक के लिये लड़ रहे थे। मेरी मालूमात यह हैं कि जमींदारों में से ९० फीसदी यह कभी नहीं समझते थे कि हजारों वर्ष की पुरानी भूमि व्यवस्था, इस प्रकार दो चार-छः साल में मिट जायगी। इसलिये वह इस तरह की जमीन के उठाने की बात अपने मन में कभी लाते नहीं थे। उनको उम्मीद थी कि वह कायम रहेगी, लेकिन आखिरी फैसला हो जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाने के बाद उनको अब इस बात की कोई आशा नहीं है कि जमीन उनके पास रहेगी। मुकदमेबाजी की भी कोई गुन्जाइश नहीं है। इसलिये अंदेशा यह है कि ऐसी जमीन जो पंचायत के पास जाने वाली है कहीं पट्टे पर न उठा दी जाय और यही नहीं कि काश्तकारों को पट्टे पर उठायी जाय बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम फर्जी पट्टे न कर दिये जायं।

श्री राज नारायण की तरफ से एक सुझाव पेश किया गया है कि एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाय और जो जायज पट्टे हों उन की राय में, वह तो रहें और जो ऐसे पट्टे हों जो नहीं होने चाहिये, उन पट्टों को उस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूख कर दिया जाय। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम पहली जूलाई को लागू हो जायगा। अगर कोई कमेटी मुकर्रर की गयी तो कम से कम तीन महीने उस कमेटी की रिपोर्ट को लगेंगे। यह बात मैं छोड़ देता हूं कि वह कमेटी कितनी व्यावहारिक होगी, कहां तक इस तरह की कमेटी को मुकर्रर करना मुनासिब होगा और किसी भी नतीजे पर पहुंचेगी, क्या वह शहादत लेगी, सारे देहातों में घूमेगी, किसका यकीन करेगी, और किसका यक़ीन न करेगी, यह सब तजुरबे की बात है। लेकिन अगर यह कमेटी बनायी जाय तो क्या उस से कुछ फायदा होगा? हरगिज नहीं होगा। लिहाजा वह सुझाव नाकाबिले अमल है।

अभी एक मित्र जो बोले उन्होंने ऐतराज किया कि हो सकता है कि कुछ जमींदार नजराना ले कर जमीन दें और किसान ईमानदारी से जमीन ले। लेकिन इस कानून क मातहत इस तरह के पट्टे या लीजेज नाजायज हो जायेंगे और किसान जिसने नजनारा दिया है उस को नुकसान होगा। इसलिये यह कानून जमींदारों के खिलाफ नहीं है बल्कि इस प्रकार से काश्तकारों के खिलाफ पड़ता है। उनके कहने में कुछ तत्व हो सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे काश्तकार हों जिन्होंने पट्टे लिये हों अब से तीन चार महीने के अन्दर और उनकी रजिस्ट्री न हुई हो। लेकिन अगर इस तरह का कोई काश्तकार होगा तो शायद मुश्किल से सौ में कोई एक होगा। आमतौर से यह होता है कि रजिस्ट्री फौरन हो जाती है और वह जमाना अब गया कि रसीद पर ही जमीन ले ली या जबानी मुआहिदे पर क़नाअत कर ली या सब्र कर लिया और रजिस्ट्री न करायी। ऐसा अब नहीं होता कि जमींदार काश्तकार को जमीन दे और वह रुपया ले ले और रजिस्ट्री न हो। वास्तव में ऐसे केसेज या उदाहरण अब नहीं होते और जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर होते भी होंगे तो सौ में एक केस ऐसा होता होगा कि जिस में पट्टा हुआ हो और रजिस्ट्री उसकी न हुई हो। इसी फ्राड (जाल) को रोकने के लिये हम ने यह किया है कि अगर अब पट्टे की रजिस्ट्री २१ मई के बाद होगी तो वह नाजायज समझी जायगी और इस तरह से इस तरह के फर्जी पट्टे रुक सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कोर्ट आफ वार्ड्स तो कोई व्यक्ति नहीं है वह तो एक असोसियेशन है और उस की तरफ से पट्टे होते हैं। उस की तरफ से जो पट्टे होते हैं उनमें तो कोई नजराने का सवाल नहीं उठता और इस तरह से उसकी तरफ से नाजायज पट्टे न होंगे। कोर्ट आफ वार्ड्स एक लीगल स्टेचुटरी बाडी (वैध सैविधिक निकाय) है इसलिये उसकी तरफ से भी ऐसा सवाल नहीं उठता कि पट्टे हुये हों और उनकी रजिस्ट्री न हुई हो। इसलिये कोर्ट आफ वार्ड्स के किसानों के पट्टों का भी सवाल नहीं होता कि उन को नुकसान होगा।

एक बात यह कही गई है कि जो जमीनें उठना थीं वह तो उठ चुकी हैं और अब यह बिल गैर जरूरी है। मैं कहूंगा कि हो सकता है कि यह गैर जरूरी हो लेकिन मूजिर

[माननीय श्री चरण सिंह]

तो नहीं है। हमारी राय में तो जरूरी है लेकिन अगर गैर जरूरी भी है तो इस से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा।

कल माननीय सदस्य ने जो फैजाबाद से तशरीफ लाये हैं एक कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट (संवैधानिक प्रश्न) उठाया था। उन्होंने प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अपनी तक़रीर में एक युक्ति दी कि यह कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १९ का उल्लंघन करता है। उस का जवाब तो इधर के बहुत से सज्जनों ने दे दिया। एक बात मैं उस सिलसिले में कहना चाहता हूं। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है आर्टिकिल १९ के क्लाज (५) में केवल यही नहीं है कि जैसा कि एतराज में कहा गया है कि जो एगजिस्टिंग ला (वर्त्तमान विधि) है, जो कानून जारी हैं, उन तक ही वह महदूद है। उस में लिखा है कि:

"Nothing in sub-clauses (*d*), (*e*) and (*f*) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe."

[उक्त खंड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितों के संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो, वहां तक उस के प्रवर्त्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।]

आम हित में राज्य का विधान मंडल इस तरह का कानून बना सकता है। इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट एण्ड रीजन्स [उद्देश्यों और कारणों का विवरण] में ये शब्द रखे गये हैं कि "सामान्य जनता के हितों की रक्षा करने तथा ग्राम्य अर्थ व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक समझा गया है कि विधेयक की धारा ३ में उल्लिखित प्रकार के सभी व्यवहार तथा पट्टे जो इस विधेयक के गजट में प्रकाशन के दिनांक, अर्थात् २१ मई, १९५२ ई० को या उसके पश्चात् निबन्धन के लिये प्रस्तुत किये जायं, व्यर्थ (वायड) घोषित कर दिये जायं।" सामान्य जनता के हित में अगर लेजिस्लेचर चाहे तो किसी वर्ग या व्यक्ति के अपनी जायदाद के संक्रमण के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा सकता है, ऐसा संविधान में दिया हुआ है और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया इस लेजिस्लेचर को और इस सरकार को आशंका है कि सामान्य जनता या ग्रामीण जनता को जो जमींदारों के अधिकार मिलने वाले हैं उन पर आघात की आशंका है और उसीके लिये यह बिल लाया गया है। इसलिये कांस्टीट्यूशन का कोई सवाल नहीं है। जो जमींदारी और भूमि व्यवस्था का अधिनियम बन चुका है उसकी धारा २३ की तरफ मैं अपने माननीय मित्रों का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी किसी आस्थान या उसके भाग का ऐसा हस्तान्तरण, चाहे वह विक्रय द्वारा हुआ हो या दान द्वारा जो १ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद हुआ हो, मध्यवर्ती को देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा निर्धारित करने के लिये मान्य नहीं होगा।"

जो ७ जुलाई, सन् १९४९ ई० के बाद हुआ हो, किसी भी प्रयोजन के लिये मान्य नहीं होगा" ७ जुलाई, सन् १९४९ को यह विधेयक असेम्बली में पास हुआ था। उसके बाद जितने भी बैनामे या हिबानामे जमींदारों की ओर से किये गये हैं वे किसी भी गरज के लिये नहीं माने जायेंगे अर्थात् इस कानून में जमींदारों के बैनामे और हिबानामे करने के अधिकार सन् ४९ में ले लिये गये हैं और इस कानून की इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं बल्कि, उससे पहले हाई कोर्ट ने जायज करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताल्लिक यह कहा जा सकता है क्योंकि संविधान में संशोधन कर दिया गया था इसलिये इस धारा पर बहस नहीं हो सकी। लेकिन हाई कोर्ट ने

इससे पहले जब कि बहस हुई यह फैसला दिया था, संविधान का कोई संशोधन नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि इस कानून की हर धारा जायज है, यानी इस जमींदारों के बैनामे और हिबैनामे के हुकूक पर जनता के हित में यह लेजिस्लेचर रोक लगा सकता है और उनको छीन सकता है। जब हिबैनामे और बैनामे के हकूक जनता के हित में लिये जा सकते हैं तो पट्टा करने का हक तो जो बहुत छोटा हक है वह भी लिया जा सकता है और उससे कांस्टिट्यूशन की किसी धारा का उल्लंघन होता है यह बात कही नहीं जा सकती। अगर कोई बात ऐसी हो भी, जो कि है नहीं, उसे यहां नहीं उठाया जा सकता। इस तरह के कांस्टिट्यूशनल आब्जेक्शन (संवैधानिक आपत्ति) पर रूलिंग हो तो यह बिल चल नहीं सकता। इस तरह का रिवाज यहां है नहीं। इस सदन में काम करने के लिये जो प्रक्रिया नियमावली है उसी के अनुसार अध्यक्ष महोदय कोई रूलिंग देते हैं, लेकिन यह कि फलां अधिनियम या विधेयक कांस्टीट्यूशन के खिलाफ बैठता है, इस तरह का प्रश्न यहां विधान सभा में और केन्द्र में भी उठाया गया।

माननीय अध्यक्ष—उन्होंने इस संबंध में कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर (वैधानिक आपत्ति) नहीं उठाया। माननीय मंत्री को इस संबंध में कोई विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया, न रूलिंग का कोई सवाल उठता है। केवल दलील ही उन्होंने दी है, जो बिलकुल बेकार है क्योंकि उस पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता और अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर यह बातें अदालतों के लिये छोड़ देते हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने जनता जनार्दन का नाम कई बार लिया और कहा कि वे भी जनता जनार्दन के प्रतिनिधि हो कर आये है और व जमींदार होने में गर्व करते हैं। मैं भी जमींदार होना कोई बुरी चीज नहीं समझता लेकिन जिनके मन में कोई चोर हो उस चोर को दबाने के लिये यह कहना उनके लिये आवश्यक होता है जोरों के साथ कि मैं जमींदार हूं, इसमें मुझे गर्व है और मैं भी जनता जनार्दन का प्रतिनिधि हो कर इस सभा भवन में चुन कर आया हूं। मैं इससे इंकार नहीं करता कि वह चुन कर आये हैं और इस माननीय भवन के माननीय सदस्य हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं हो जाता कि क्यों कि वह चुन कर आये हैं लिहाजा इस विधेयक को जनता नहीं चाहती या जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को किसान नहीं चाहते। यह जनता जनार्दन के खिलाफ पड़ता है, हरगिज यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता। आज हमारी जनता जनार्दन सदियों के सामन्तशाही शोषण से इतनी विक्षिप्त हो चुकी है, इतनी दब चुकी है कि उसको अपने भले-बुरे का भी ज्ञान नहीं है। तो वह जमाना कि जब उनको अपने भले-बुरे का ज्ञान नहीं था और उन लोगों को जो कि उनका शोषण करते थे उन्हीं को अपना माई बाप समझते रहे हैं वह जमाना सिवाय कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ कर उठ चुका और सारे सूबे में एक कोने से दूसरे कोने तक देहात में आज एक अजीब चहल-पहल है, जागृति हो चुकी है और अब वह जानते हैं कि उनका सच्चा प्रतिनिधि कौन है और इस तरह की डींगें मारना कि क्योंकि हम चुन कर आये है, इसलिये जनता जनार्दन की हम अच्छी तरह से नुमाइन्दगी करते हैं कानूनन वह कह सकते हैं, लेकिन वह जमाना खत्म हुआ। जनता अब जाग चुकी है और वह जानती है कि उसके हित का कौन सच्चा नुमाइन्दा है और कौन नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत से फिर इस सदन से अनुरोध करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर, परिभाषा।

(क) "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य २१ मई, १९५२ ई० से है;

(ख) किसी भूमि के संबंध में "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी (proprietor), मातहतदार (under-proprietor), अवध का मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Auadh) से है, और उसके अन्तर्गत दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) भी है ;

(ग) पट्टे (lease) के अन्तर्गत माफी या रियायती लगान की काश्त (rent free grant or a grant at a favourable rate of rent) भी है ; और

(घ) उन शब्दों और पदों का तात्पर्य, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गयी है किन्तु यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में की गयी है, वही होगा जो उन्हें उक्त ऐक्ट में दिया गया है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) में शब्द "तात्पर्य" के उपरान्त शब्द व अंक "२१ मई, १९५२ ई० से है," निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द व अंक "१९ अगस्त १९४९ ई० से है" रख दिये जायं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर जमींदारों की तरफ के माननीय सदस्यों और सरकारी तरफ के लोगों के वादविवाद को कल से बहुत ध्यान से सुनता रहा । मुझे तो ऐसा लगा जैसे उनका विवाद किसी नाजायज चीज के बटवारे के संबंध में हो रहा हो । मुझे लोगों की बातें सुनने से ऐसा मालूम हुआ कि वह लोग गिरफ्त में आ गये हैं । साधारण वादविवाद के समय जो सदस्य अभी बड़े जोरों से बोल रहे थे, हिन्दी धारा प्रवाह थी, उन्होंने उसमें यह कहा था कि यह प्रस्ताव उन किसानों पर भी असर डालेगा जिनको पट्टे दे दिये गये हैं और जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है । मैं कहता हूं कि यह उन किसानों ने नजराना दे कर जो जमीन ली है वह उनका पाप है और उस पाप का प्रायश्चित उन्हें करना चाहिये । मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि उस पाप के जिम्मेदार कौन हैं, सरकार या जमींदार ? क्या यह सत्य नहीं है कि सरकार ने अपने कानून द्वारा जमींदारों को खुले आम किसानों को लूटने का मौका दिया था ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, (श्रीमान, मैं एक विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं) जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह बिल के उद्देश्यों के विपरीत होने के कारण आउट आफ आर्डर अनियमित है । बिल के उद्देश्य में यह स्पष्ट कहा गया है कि यह कानून सिर्फ उस अवधि के लिये बनाया जा रहा है जिसमें यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट और भूमि व्यवस्था बिल के संबंध में अपीलें खारिज हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और १ जुलाई के बीच की अवधि में पट्टे रोकने का कानून बनाया जाय । इसका उद्देश्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसके और १ जुलाई के दर्मियान कोई पट्टा न दिया जाय, लेकिन माननीय सदस्य उसको पीछे खींच ले जाना चाहते हैं । इसलिये इस बिल का जो उद्देश्य है उसके यह संशोधन विपरीत है । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि अमेंडमेंट आउट आफ आर्डर (संशोधन अनियमित) है ।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य ने जो वैधानिक आपत्ति की है वह बहुत महत्वपूर्ण अवश्य है और इस प्रश्न के ऊपर मैं १-२ रोज से विचार भी कर रहा हूं कि कोई संशोधन अगर सदन के सामने आये और वह उसके अथवा उसके उद्देश्यों की परिधि यानी स्कोप के बाहर जाता है तो उसको कहां तक इस भवन में विचार के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है यह प्रश्न मेरे सामने था । मैंने इस विषय के ऊपर कई रूलिंग्स भी देखीं और मैं इस नतीजे पर आया जैसी कि रूलिंग कल मैंने दी थी कि वह संशोधन विजातीय भी न हो और अधिक मात्रा

में दायरे के बाहर नहीं जाना चाहिये। प्रत्येक संशोधन जो किसी विषय में आता है वह दायरे के बाहर कुछ न कुछ अवश्य होता है। इसलिये मैंने उसके लिये यह निर्णय किया कि वह विजातीय भी नहीं होना चाहिये। कल जो मैंने रूलिंग दी उस वक्त मिनिस्टरों के वेतन का सवाल चल रहा था। उसमें विरोधी दल के नेता का संबंध एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऐसी सूरत में वह बहुत ज्यादा विजातीय हो जाता था। सदस्यों के वेतन के साथ यदि उसका संबंध जोड़ा जाता तो शायद मुझे कुछ कठिनाई होती, लेकिन उसका संबंध मिनिस्टरों के साथ जोड़ने से वह अधिक विजातीय हो जाता है और परिधि के बाहर चला जाता है। यह संशोधन जो सदन के सामने है वह थोड़ा सा परिधि के बाहर अवश्य जाता है। सरकार ने जो उद्देश्य अपने इस विधेयक में रखा है उससे कुछ यह बाहर अवश्य हो जाता है, लेकिन विजातीय नहीं है क्योंकि सरकार यह चाहती है कि चूंकि ट्रैस्टिंग अभी नहीं हुआ है और क्योंकि अभी तक जमींदारों का ही अधिकार जमीन पर है वे उसका नाजायज उपयोग कर सकते हैं और नाजायज हस्तान्तरण कर सकते हैं उसे रोकने के उद्देश्य से यह विधेयक पहले की तिथि से लागू किया जा रहा है और यह अमेंडमेंट भी यही चाहता है। यह जरूर है उसमें सन् १९५२ के बजाय सन् १९४७ ई० रख दिया है, लेकिन वह उस उद्देश्य के भीतर आता है जो सरकार ने रखा है यानी किसी पिछली तिथि से लागू करने के उद्देश्य के भीतर है। जब कोई सदस्य यह चाहता है कि थोड़े से दिन और पीछे बढ़ा दिये जायं तो वह उस उद्देश्य से बहुत दूर नहीं जाता है क्योंकि नाजायज तौर पर जो कार्य किया गया है उसको नियंत्रण में लाने के लिये ही यह किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि सरकार यह समझती है कि बहुत पहले जो बातें हुई हैं उनका नियंत्रण में लाना कठिन होगा इसलिये उसने यह अवधि रखी है। यह प्रश्न औचित्य का है, वैधानिक आपत्ति का नहीं। दूसरे माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उस तिथि से आगे भी जाया जा सकता है और समझते हैं कि पुरानी नाजायज बातें भी नियंत्रण में लाई जा सकती हैं। सदन विवाद होने पर औचित्य देखकर उचित निश्चय कर सकता है। संशोधन उद्देश्य के बाहर नहीं जाता है, इसलिये मैं समझता हूं कि यह अवैध नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी सरकारी दल को बधाई दे चुका हूं और कल भी जब मैंने भाषण किया था उस समय भी मैंने सरकार को इस बात के लिये बधाई दी थी कि सरकार ने एक कदम उठा कर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसकी मंशा जो है, जो तारीफ उसमें की गयी है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आपने हमारे अधिकारों की रक्षा की और आपके वैधानिक आपत्ति के निर्णय पर मुझे फिर से इस भवन के सामने आने का मौका मिला, इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी दल के लोगों को एक किस्सा थोड़े संक्षेप में सुना देना चाहता हूं जो इस संशोधन से बिलकुल संबंधित है। एक मर्तबा किसी आदमी ने किसी आदमी के ऊपर ५ हजार रुपये की डिग्री करायी। उस आदमी ने कुर्क अमीन बुलाया और उसके बुलाने के बाद एक हफ्ते में उसके यहां जाने की योजना बनायी। साथ ही जिस पर डिग्री हुई थी उसको भी बुला कर उस आदमी ने बतला दिया कि हम फलां तारीख को १२ बजे दिन में कुर्क अमीन लेकर आपके यहां कुरकी कराने आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, नतीजा यह हुआ कि जितने भी बरतन, भांड़े या सामान वगैरह उसके घर में थे उन सब को उस आदमी ने अलग कर दिया और जब कुर्क अमीन तथा डिग्रीदार वहां पहुंचा तो उसके पास कुछ भी नहीं रहा। मैं सरकारी दल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या जमींदारी तोड़ने के बारे में किसी तारीख का निर्णय न करके आपने उसी डिग्रीदार की तरह जमींदारों को यह मौका नहीं दे दिया कि जितने भी चरागाह हैं, जितने भी रास्ते हैं, जितनी भी बंजर भूमि हैं उन तमाम को पट्टे पर देकर खुला नजराना ले लिया जाय? १५ अगस्त, सन् ४७ वह दिन था जब कि और बातें तो बाद को होतीं लेकिन कम से कम यह घोषणा सरकारी दल की तरफ से हो जाती कि आज से किसी भी जमींदार को पट्टा करने का अधिकार नहीं होगा। जमींदारों को कम्पेनसेशन

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

(प्रतिकर वगैरह तो दिया जायगा, लेकिन उसके ऊपर यह प्रतिबन्ध है कि उसको पट्टा देने का अधिकार नहीं होगा। जो विधेयक माननीय मंत्री महोदय ने आपके सामने रखा है अगर १५, अगस्त सन् ४७ को यह बात हो गयी होती तो ये तमाम दिक्कतें नहीं होतीं तथा दफा २१२ की भी बात नहीं की जाती। बहुत से जमींदारों ने परती जमीन, चरागाह आदि को पट्टे पर दे दिया है। माननीय माल मंत्री तो बहुत स्पष्टवादी मालूम होते हैं। मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बतलाया कि जान बूझ कर पट्टा देने की सुविधा दफा २१२ के अन्दर जमींदारों को दी गयी ताकि वे इससे लाभ उठा सकें। माननीय न्याय मंत्री ने कहा कि आमतौर से पिछली तारीख से कोई कानून लागू नहीं किया जाता, लेकिन इस विधेयक को भी २१ मई, पिछली तारीख से ही लागू करने का मंशा है। मेरा मतलब सन् ४७ के बाद जमींदार जानते थे कि यह चीज होने वाली है, इसलिये उन्होंने अपने नाम सेरी जमीनें पट्टा कर दीं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो हंसी आती है जब मैं वन महोत्सव की बात सुनता हूं। इस जमींदारी एबालीशन कानून बनाने में देर करने के कारण एक तरफ तो हजारों-लाखों की संख्या में आम के बाग कट गये और दूसरी तरफ वन महोत्सव के लिये लाखों और करोड़ों रुपये खर्च किये गये। इसलिये इन बातों के लिये मैं सरकारी दल को कोई बधाई नहीं [illegible] बार दफा २१२ का जिक्र किया जाता है। ८ अगस्त, ४६ को १५ अगस्त, ४७ के बीच साढ़े [illegible] ही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा का गलत इस्तेमाल किया गया है। इस धारा के जरिये से जमींदारों ने मनमाना नजराना लेकर हजारों और लाखों रुपये खुले-तौर से लूटा है। इसलिये हम समझते हैं कि १५ अगस्त, सन् ४७ से यह संशोधन किया जाय।

माननीय माल मंत्री ने और हमारे इस भवन के कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हमारी पालिसी मानने के योग्य नहीं है। हमारे संशोधनों को वह नहीं मान सकते तो न मानें, लेकिन हम अपना कर्त्तव्य करेंगे। मैं अपने कल के शब्दों को फिर दोहराना चाहता हूं कि यह सारा क्रोकोडाइल (मगर) की तरह आंसू बहाने की सी है, जो वह लोग कर रहे हैं। जहां तक किसानों का ताल्लुक है हम लोग एक निश्चित पालिसी रखते हैं और हम जानते हैं कि हजार बीघे जमीन रखने वाले किसान में और दो बीघे जमीन रखने वाले किसान में अन्तर होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम गरीब किसानों की मदद करें। यह हम [illegible] कि जब हमारी सरकार होगी तो हम ३० एकड़ से ज्यादा किसी के पास नहीं रहने देंगे। ३० एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले किसान को भी हम अपना भाई नहीं समझते। [illegible] में एक ताल्लुकेदार साहब हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पट्टे किये हैं और यहां तक कि कुछ इस सदन के सरकारी लोगों ने और अहलकारों ने भी पट्टे लिये हैं। वह सिंकनाइज्ड फार्मिंग करते हैं। हजारों बीघे की खेती वह कर रहे हैं। यदि हमारे संशोधन को सरकार मान लेती है तो वह अपनी किसान प्रियता का [illegible] उदाहरण आजकल के सामने और खासकर देश के सामने और यू० पी० के किसानों के सामने रखेगी। लेकिन बात तो यह है कि वह अपने पुराने पापों का प्रायश्चित्त भी करना नहीं चाहती है और उनको कोई ठोस चीज भी नहीं देना चाहती। इसलिये मैंने १५ अगस्त, सन् ४७ का संशोधन रखा है। इससे भूमि व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है और अगर अभी [illegible] का पता चले कि कुछ लोगों ने जरूरत से ज्यादा जमीन ली है तो हम फिर से [illegible] का निर्धारण भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जिनके पास २-४ या ४-४ बीघे ही जमीन है उनको लाभ होगा। अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य ने, जो यह संशोधन उपस्थित किया है, उन्होंने क्रोकोडाइल [illegible] का भी नाम अपनी तकरीर में लिया है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सही [illegible] चारों तरफ लान्सर ही लान्सर दिखाई पड़ा, क्रोकोडाइल कहीं भी नजर नहीं आया। लिहाजा [illegible] इस

विधेयक के संबंध में ऐसी चीजों का जिक्र करना कहां तक मुनासिब है ? मेरे मित्र ने फरमाया कि सरकार ने गलती की कि आते-आते यह घोषणा नहीं कर दी कि आज की तारीख से कोई पट्टा या कबूलियत तहरीर नहीं की जा सकती है। मैं नहीं समझ सकता कि यह घोषणा किस कानून के आधार पर वह चाहते हैं। अगर उनकी गवर्नमेंट हो जाय, जैसा कि वह ख्वाब देख रहे हैं तो शायद वह ऐसा कर सकें। लेकिन हम तो जब तक यहां हैं कानून के अनुसार ही चलेंगे वरना पचासों रिट (लेख) की अर्जियां की जा सकती थीं। शायद मेरे मित्र लाइल्मी में ऐसा कह गये, क्योंकि जब तक कोई कानून न बन जाय तब तक ऐसा काम नहीं किया जा सकता था। सरकार ने सोच समझ कर जमींदारी अबालीशन ऐक्ट बनाया और उसमें धारा २१२ को इसलिये रखा था क्योंकि इसके पहले कोई ऐसा कानून नहीं था जिसकी बिना पर ऐसी कोई घोषणा करके मनाही की जा सकती थी। लिहाजा यह इल्जाम बिलकुल गलत है कि सरकार ने दीदोदानिस्ता जमींदारों को ऐसा पट्टा देने की इजाजत दी।

सरकार मजबूर थी, कोई कानून नहीं था और वह जो अंधेर हमारे दोस्त करना चाहते हैं वह यह सरकार करने को तैयार नहीं है। लिहाजा जब कानून बन गया तो उस कानून के सहारे पर, उसकी बिना पर अगर किसी शख्स से नाजायज तरीके से चरागाह, तालाब, कब्रिस्तान और दुनिया भर की जितनी जमीनें हैं, जिन का जिक्र २१२ में है दे दिया है, तो उन पट्टों को कोई दूसरा नहीं मंसूख करायेगा बल्कि यह अधिकार गांव सभाओं को दिया गया है। गांव सभायें अगर यह मुनासिब समझती हैं कि वह जमीनें, जिनके मुताल्लिक ऐसे पट्टे दिये गये हैं, उन जमीनों के पट्टे गांव की सुविधा के लिये मंसूख होने चाहिये तो वे दावा करेंगी और बेदखल करायेंगी। वे काश्तकार जो उस गांव सभा के मेम्बर होंगे वे सब मिल करके इस बात का निर्णय करेंगे कि आया वह पट्टा मंसूख होना चाहिये या नहीं। यह तो इस सरकार का शुरू से ऐलान था कि कोई शख्स ऐसे पट्टे न ले और अगर कोई शख्स लेता है तो वह उसका जिम्मेदार है। अगर किसी शख्स ने जानबूझ करके कुछ नजराना दिया तो यह उसका फेल है, इस सरकार का फेल नहीं है। इस संबंध में हमारे दोस्तों की भी कुछ जिम्मेदारी थी। जब ऐसा ऐलान था कि कोई शख्स ऐसा पट्टा न ले तो जैसे हमारी जिम्मेदारी थी वैसे ही हमारे दोस्तों की भी जिम्मेदारी थी कि जनता को आगाह कर देते कि कि ऐसा पट्टा न लो। लिहाजा अगर उन्हों ने ऐसा नहीं किया तो कुछ जिम्मेदारी उनकी भी हो सकती है। प्रायश्चित्त का तो कोई सवाल यहां पैदा नहीं होता। प्रायश्चित जिसे करना होगा वह अयोध्या जैसे तीर्थ स्थान में जायगा या गंगा स्नान करेगा। इस सरकार ने न कोई पाप किया है और न प्रायश्चित्त का कोई सवाल पैदा होता है।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है, यह तरमीम हम बेजा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और खासकर २१ मई को, जिस दिन इस विधेयक का नोटिफिकेशन (अधिसूचना) हुआ, उस तारीख से पहली जुलाई तक कोई शख्स ऐसा पट्टा न करे, सिर्फ इतनी ही मंशा इस विधेयक की है। सन् १९४९ से लागू कर देना मेरी समझ में नहीं आता। यह बिलकुल गलत बात होगी और बेमतलब बात होगी। इससे कोई प्रयोजन नहीं और जब प्रयोजन नहीं तो बिला वजह कोई कानून बनाना, उसका विस्तार करना हम किसी तरह से मुनासिब नहीं समझते। लिहाजा इन शब्दों के साथ मैं फिर इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं और अपने दोस्त, जो मुझसे कतल बोल चुके हैं, उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि इधर-उधर की बातों में न जा करके हर विषय पर बहुत ठंडे दिल से बात करें। यह प्रोपेगेंडा (प्रचार) का मैदान नहीं है। उसके लिये तो मैदान दूसरा है, वहां पूरी आजादी है। यहां वे अपनी बिजनेस (कार्यवाही) को बहुत ठंडे दिल से कामली (शांतिपूर्वक) करें। इसी में देश का, जनता का, हमारा और आप का कल्याण है।

श्री राम लखन मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान इस संशोधन की ओर लाना चाहता हूं। मैं इस संशोधन के विपक्ष में बोल रहा हूं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मुझे पहले यह आश्चर्य होता है कि जो दल व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता के पक्ष में नहीं

[श्री रामलखन मिश्र]

था, आज वह उसी के पक्ष में अपना संशोधन दे रहा है। मैं आप के द्वारा उस दल का ध्यान अपने बस्ती जिले की ओर लाना चाहता हूं। चार हजार से ऊपर मुकदमात फर्जी सीर व खुदकाश्त के सिलसिले में जमींदारों ने मुंसिफ की कोर्ट में दफा ९ स्पेसिफिक रेलीफ ऐक्ट के अन्दर दाखिल किये थे। संयोग से वे मुकदमात बन्द थे परन्तु अब खुले हैं। काश्तकारों की हार हो रही है और जमींदारों ने दखलदेहानी पा करके अब पट्टा देना शुरू कर दिया है। जमींदारी उन्मूलन कानून के अनुसार जब उनके ऊपर हम वापस लेने का दावा करेंगे तो वे नाना प्रकार के संकट वहां उपस्थित करेंगे। यह हमारा विधेयक कितने काम का है, इसकी विशेष विशेषता है। इसके अन्तर्गत यह दिया हुआ है कि जो इस तरह से पट्टे करेंगे वे अनधिकृत समझे जायेंगे। इसके एक पक्ष की यह विशेषता है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जमींदारान अपनी हरकत से बाज नहीं आयेंगे। जमींदारों को पता नहीं था कि इस सदन का जमींदारी उन्मूलन कानून का स्वप्न साकार हो जायगा। जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो चुका है और पहली जुलाई की बात आई है तब से उनके मस्तिष्क खौखला गये हैं। यह स्वाभाविक भी है और वे पट्टे आदि की शरण ले रहे हैं। इसके अलावा भी वे वह बात कर रहे हैं जो व्यावहारिक ज्ञान रखने वालों को पता है कि काश्तकारों से नजराना ले कर अपने एक निकट संबंधी से दरख्वास्त दिला देते हैं कि फलां-फलां नम्बर के ऊपर हमारा कब्जा है और जमींदार ने स्वीकार नहीं किया था। वे उसे स्वीकार कर लेते हैं और उनके नाम नम्बर हो जाता है और वृक्ष के नीचे जाकर रक़म ले लेते हैं। पर उनकी स्थिति ऐसी है, आप स्मरण रखें कि पहली जुलाई से जमींदारी उन्मूलन कानून द्वारा आप जो चिकित्सा करने जा रहे हैं उसमें यह विधेयक क्लोरोफार्म की तरह काम करेगा। इससे उनको कष्ट बहुत ही कम होगा। यद्यपि वे अपनी हरकत से बाज नहीं आयेंगे, परन्तु उन्हें मुझे कुछ कहना नहीं है। वे कृपा के पात्र हैं। मैं जानता हूं कि इस स्तर के ऊपर कोई भी व्यक्ति होता तो वह भी ऐसा ही करता, परन्तु मुझे आश्चर्य इन समाजवादी भाइयों पर होता है। २१ मई से पहले की जो बात आप कर रहे हैं उसमें हजारों जेनुइन (जैन्य) पट्टे हुये हैं और जेनुइन तरीके से जमींदारों ने किसानों के हक में वे जमीनें दी हैं। तो अब क्या वे काश्तकारों के विपक्ष में कोई वातावरण पैदा करना चाहते हैं? कहां से वे अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं? मेरा विश्वास था कि वे गांवों में जाते होंगे पर इससे तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती।

हमारे एक भाई ने कहा कि कांग्रेस का दल प्रायश्चित्त कर रहा है। प्रायश्चित्त शब्द कोई बुरा नहीं है। प्रायश्चित तो जीवन की शुद्धि के लिये किया जाता है। पर वे जो आज कर्म करने जा रहे हैं इसका प्रायश्चित्त कब होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अयोध्या में स्नान करने से शुद्धि नहीं होगी। किस भावना से वे यह संशोधन लाये हैं। मैं सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना ही विलम्ब एक-एक क्षण एक-एक पल इस विधेयक के पारित होने में आप कर रहे हैं उतना ही आप एक तरह से राजनीतिक पाप कर रहे हैं। यह मेरी कोई कवि कल्पना नहीं है। जरा ठंडे दिल से आप विचार करें। आप इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बैठे हुये हैं। संसार के इतिहास में कोई भी विधान सभा राजनीतिक क्रांति नहीं करती। यह गौरव इसी विधान सभा को प्राप्त है कि वह एक क्रांति कर रही है। इस सदन का वह स्वप्न जमींदारी विनाश कानून का आज साकार हो गया। इसके संबंध में आप समझ सकते हैं कि आचार्य विनोबा भावे का समर्थन करके हम आज अहिंसात्मक रूप से यहां क्या करना चाहते हैं। आपको तो क्रम से, विधान सभा में क्या करने जा रहे हैं, इसपर भी दृष्टि डालनी होगी। हम कोई अप्रसांगिक बात नहीं कह रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम के लिये बड़े संकेत किया करते हैं, यह ऐसी बात नहीं है। मैं आपका विशेष समय न लेकर इस सदन के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि इस पवित्र विधेयक को पारित करने में देरी न लगावें।

श्री रामसुन्दर पांडेय——माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री रामनारायण त्रिपाठी ने जो संशोधन सदन के सामने उपस्थित किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं अध्यक्ष

महोदय, जब जमींदारी उन्मूलन बिल इस सदन में पेश हुआ था उसके पहले ही आप जानते हैं कि जमींदारों को यह भलीभांति मालूम हो गया था कि कोई दिन ऐसा आयेगा जिस दिन यह प्रथा खत्म होगी। इसीलिये उन्होंने लगातार इस जमींदारी उन्मूलन का हर तरह से विरोध करना आरम्भ किया था। लेकिन जिस वक्त ८ अगस्त, १९४६ में इस सदन में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पेश हुआ उसी समय से उनको मालूम हो गया था कि जिस जमींदारी से हम तरह तरह से फायदा उठाते रहे हैं और किसानों की कमाई छीनते रहे हैं वह जाने वाली है। तभी से उन्होंने परती जमीन, बन, बगीचे, बाग तोड़ करके और नज़राना हजारों रुपये बीघे का लेकर के किसानों को उठाना शुरू किया। मैं तो देहात का रहने वाला हूं, खेती करता हूं। हम खुद देहात में बसते हैं जहां के जमींदार एक बहुत बड़ी रियासत वाले हैं जो इसी लखनऊ के रहने वाले हैं। मैं जानता हूं कि सन् ३८ में जब टेनेंसी ऐक्ट पास हुआ था उस वक्त हजारों बीघा खेत जिसका इन्दराज कागजों में किसानों के नाम से नहीं था उसको उन्होंने अपने बल से किसानों से छीनना शुरू किया। लेकिन जब जमींदारी उन्मूलन बिल पास हो गया उसके बाद से मैं जानता हूं कि हजारों बीघा खेत किसानों से जबर्दस्ती निकाल करके आज भी नजराने के तौर पर वे दिये गये हैं और मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से खेत ऐसे हैं जिनको बिना पट्टे के दिया गया है लेकिन पटवारियों के कागज में इन्दराज है। जो बिल यहां पेश किया गया है, मैं जानता हूं कि इस बिल के द्वारा गांव में रहने वाले जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं, जिनका पेशा ही हलवाहीगिरी करना है, उनको जमींदारी उन्मूलन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वह फायदा तभी हो सकता है जब हमारे साथी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय। हमारे साथी हरिजन भाई हैं, मैं जानता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से वह अनुशासन की चाबुक के कारण हमारे सामने कुछ न कहें, लेकिन उनका दिल कहता होगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम सुन्दर पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० को जमींदारी उन्मूलन बिल इस सदन में पेश हुआ था उसी वक्त से हमारे सूबे के जमींदारों को मालूम हो गया था कि हमारी जमींदारी, जिससे जो फायदा होता था, अंग्रेजी जमाने में उससे जो फायदा उठाते थे, वह अब नहीं उठा सकेंगे। इसीलिये उन्होंने भिन्नभिन्न तरीकों से निरीह किसानों के खेत निकालना शुरू किया था। अभी माल मंत्री महोदय ने बतलाया है कि इन चार-पांच सालों में डेढ़ लाख एकड़ जमीन हमारे सूबे के जमींदारों द्वारा किसानों ने तोड़ी है। मैं तो इससे आगे कहने के लिये तैयार हूं आप के आंकड़े वहीं हैं जो पटवारी के कागजों में दर्ज होते हैं। मैं आप से सच कहता हूं कि इससे कई गुना जमीनें ऐसी पड़ी हुई हैं जिनको पटवारियों ने अपने कागज में इन्दराज नहीं किया जिन के लगान के फैसले बाकी हैं। कितनी ही जमीनें ऐसी पड़ी हुई हैं जिन पर जमींदारों ने लाठी के बल पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उन से फिर नजराना लेकर उन्हीं किसानों को वापस दिया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस चार-पांच साल के समय में जमींदारों ने किसानों से नाजायज तरीके से जमीनें ली हैं और उन्हें फिर वापस किया है और करोड़ों रुपया नाजायज वसूल किया गया है। अगर माल मंत्री महोदय का ही कहना सत्य मान लिया जाय तो मैं जानता हूं कि देहातों में ऐसी परिपाटी है कि एक हजार रुपये से कम प्रति एकड़ जमीन का नजराना नहीं लेते। अभी हमारे साथी ने बतलाया कि गवर्नमेंट के लोगों की रिपोर्ट है कि तीन-चार सौ रुपये के बीच में जमींदार नजराना लेते रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे सूबे के जमींदारों ने एक हजार रुपया फी एकड़ के हिसाब से डेढ़ लाख एकड़ जमीन उठायी है तो इस तरह हिसाब लगाया जाय तो १५ करोड़ रुपया इन पांच सालों के अन्दर हमारे सूबे के जमींदारों ने किसानों से वसूल किया है। तो बात समझ में आयी नहीं। यह मानी हुई बात है, किअब जमींदारों

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

के पास ऐसी जमीन नहीं रह गयी है जो आप ग्राम पंचायतों द्वारा उन खेतिहर मजदूरों को दे सकें, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है जिससे हमारे सूबे का खेतिहर मजदूर समझें कि आजादी मिली और जमींदारी खत्म करने के बाद हमें भी कुछ मिला।

अभी हमारे प्रान्त में आचार्य बिनोबा भावे आये। हमारे बहुत से साथी दौड़े घूमे। मैं भी मेरे यहां के जो सबसे बड़े जमींदार थे उनके पास गया। पटवारी के कागज देखे गये तो उनकी जमींदारी में एक एकड़ भी जमीन ऐसी नहीं निकली जो सही मानों में अगर आचार्य बिनोबा भावे को दी जाय तो उस पर खेती की जा सके, खेतिहर मजदूरों को दी जा सके। आचार्य बिनोबा भावे घूम रहे हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं उनके काम को सफल बनाने के लिये सरकारी पैसा खर्च करते हैं। मैं सच कहता हूं कि बिनोबा भावे की एक भी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। मेरा कहना यह था कि जमींदारों के पास एक भी बीघा ऐसी जमीन नहीं है जिसको वह उठा सकें। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई गंवार आदमी होगा, ऐसा कोई लोकल जमींदार होगा जो जानता हो कि मेरा घर जलने वाला है, मेरा घर मिटने वाला है और सिलिक्यत को उसने बचा लिया हो। यह नासमझी की बात कही जा सकती है। यह बिल जो पेश किया गया है इतना तो जरूर है कि एक मूर्ति बना दी गयी है, लेकिन इसमें अगर प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है अगर आप चाहते हैं कि इस तस्वीर में कोई बोली बोले, अगर आप चाहते हैं कि सूबे की जनता जिसके पास जमीन नहीं है, एक बिस्वा भी जमीन नहीं है और जिसकी जिन्दगी आज भी मुर्दों की तरह है अगर आप उस जनता में प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र रामनारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है उसे स्वीकार करें।

मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं उनसे मिन्नत करना चाहता हूं हाथ जोड़कर नम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अपने दिल में टटोलें और वह किसी तरह से अनुशासन के चाबुक से न डरें और अगर डरना ही है तो उस जनता से डरें जिसने उन को बड़े विश्वास के साथ अपना वोट देकर यहां भेजा है, और जो आज उन की तरफ आंखें लगाये हैं और सोचती होगी कि हमारे हित के लिये नये-नये लोग यहां पहुंच कर काम करेंगे। जनता देख रही है कि आप उसके लिये कौन सी चीज करने जा रहे हैं जिस से वह अपनी मुर्दा जिन्दगी को जीने लायक बना सकेंगे। मेरे साथी रामनारायण जी ने जो संशोधन भवन के समक्ष रखा है मैं समझता हूं उस से गरीबों का हित होता है और मैं हाथ जोड़कर अपने भूखे नंगे किसानों की ओर से आप से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि गरीब खेतिहर मजदूरों को जमीन मिले अगर आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने नाजायज तौर से पैसा लेकर अपनी आलीशान इमारतें बनायी हैं और गरीब किसानों का खून चूसा है ऐसे लोगों के हथकंडे टूटें तो आप इसको स्वीकार कीजिये। जमींदारी विनाश कानून इसीलिये पेश हुआ था कि हमारे सूबे में जमींदार और मध्यवर्ती जो शोषण करते हैं उसी को खत्म किया जाय। आपने उसको पास किया। लेकिन आपही के आंकड़े कहते हैं कि डेढ़ लाख एकड़ जमीन जमींदारों ने नजराना ले कर उठायी है। मैं नहीं समझ सकता कि जिस चोर को जिस डाकू को आप जानते हैं उस को आप किस तरह छोड़ते हैं।

हमारे सूबे की हालत खराब है। पूर्वी जिलों के बारे में आप सुनते हैं कि वहां लोग मरने लगे हैं। ऐसी हालत में सदन के सदस्यों को और सरकारी पक्ष के सदस्यों को और माननीय मंत्रियों को मैं यह राय देना चाहता हूं कि वे उस राय को मानें जो सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने तय की है कि जमींदारी बिना मुआवजे के खत्म की जाय। आप जानते हैं कि डेढ़ लाख एकड़ जमीन जमींदारों ने नजराने लेकर नई तुड़वाई है और १५ करोड़ नजराना वसूल किया है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि सच्चाई इसी में और ईमानदारी इसी में है कि शोषित जनता को शोषण से बचाने के लिये यह जरूरी है कि आप इस को पिछली तारीख से कर दें। इससे गरीब किसान को राहत मिलेगी और ढंढस बंधेगा। आपने जो विधान बनाया है जिससे ३० एकड़ से ज्यादा

जमीन नहीं होने वाली है उसमें भी आप को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी । मैं यही कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय और जो हमारे सरकारी सम्मानित सदस्य हैं वह सब इस को स्वीकार करें ।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे माननीय उद्योग मंत्री बार-बार यह कहते हैं कि हमने २१२ दफा बना दी है और बार-बार उसे सदन के माननीय सदस्यों को दिखलाते हैं । मालूम ऐसा होता है कि किसी ने उस ऐक्ट को पढ़ा ही नहीं है । मालूम ऐसा होता है कि कोई सुनता ही नहीं है और ऐसा मालूम होता है कि जो लोग यहां बैठे हैं उनमें से कोई पढ़ा-लिखा ही नहीं है । मालूम ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि अदालतों में जैसे छोटी-छोटी किताबें लेकर मुख्तार लोग पेश कर दिया करते हैं वैसे ही उद्योग मंत्री हमको समझते हैं । हम कहते हैं कि यह जो आप की २१२ दफा है इससे फायदा नहीं होने वाला है । इसी से जमींदारों ने परती जमीन को उठाया है और बागों को तुड़वाया है । जंगल को तुड़वाया है । उसके लिये यह दफा २१२ नहीं है । २१२ दफा में यह होता कि परती जमीनें, जंगल और जितनी ऐसी जमीनें हैं उन पर भी ग्राम पंचायतों का कब्जा होगा, तो मैं माननीय माल मंत्री को धन्यवाद देता और जितने मेरे साथी विरोधी दल में बैठे हुये हैं सब हृदय से धन्यवाद देते और बाहर ६ करोड़ जनता भी अपको धन्यवाद देती । लेकिन दफा २१२ में है क्या । वह खोखली है । उसमें चश्मे, कबरिस्तान, तालाब, खलिहान इत्यादि यह सब हैं । उन्हींको ग्राम पंचायत निकाल सकती है । मैं आपसे जानना चाहता हूं जैसा कि अभी माल मंत्री महोदय ने बताया है कि डेढ़ करोड़-एकड़ जमीन निकाली गई है जिससे उन जमीनों की आवश्यकता नहीं है । माल मन्त्री इसे मानें या न मानें मैं तो जानता हूं कि खलिहान, जमीन, तालाब और कब्रिस्तान की जमीन जमींदारों ने उठाई और हालत यह है कि उसके लिये मुआविजा दाखिल हुआ । एक-एक जमीन पर १०-१० आदमियों का मुआविजा दाखिल हुआ है । आपके यह कानून की पोथी इस भवन के अन्दर ही रह जायगी, बाहर जो लोग ऐसी जमीनों को जोते हुये हैं उनको नहीं निकाल पायेगी । मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा संशोधन, जनता की मांग का संशोधन है, इस सूबे के जितने खेतिहर मजदूर, निरजीव और मुरदा मजदूर हैं, उनसे आदर मान प्रतिष्ठा लाने के लिये, उनमें जान फूंकने के लिये यह संशोधन हमारी तरफ से रखा गया है । मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार जो जनता की सेवा करने वाली सरकार अपने को कहती है इसका तहेदिल से समर्थन करेगी ।

श्री पालीराम—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो मूल विधेयक के सम्बन्ध में संशोधन चल रहा है इस विषय में तरह-तरह की बातें विरोधी पक्ष की तरफ से उत्पन्न की गईं । परन्तु बहुत ही खूबसूरती के साथ जो एक्सपीरियंस (अनुभव) के तौर पर अमल में आने वाली बातें हो सकती थीं उन पर साफ तौर से जवाब दिया गया, लेकिन इस पर भी मैं यह देखता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष को संतोष नहीं होता । उनकी बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उनको हमारी हर बात की मुखालिफत करना है, ख्वाह वह जायज हो या नाजायज हो । आज का जो संशोधन है उस पर अगर हम विचार करें तो हमारे सामने सिर्फ तीन बातें आती हैं । एक तो जमींदार तबका, दूसरा किसान तबका, तीसरी सरकार । अब हमें यह देखना है कि इस संशोधन से किस को लाभ पहुंचता है । अब देखना यह है कि इस संशोधन के लागू करने से, इसे कार्य रूप में परिणित करने से इसका क्या नतीजा निकलेगा । आप यह चाहते हैं कि पांच साल पहले के पट्टे नाजायज करार दे दिये जायं । आखिर इस ५ साल में जो जमीन काश्त में आ गई और विरोधी पक्ष के कहने के अनुसार गरीब किसानों का पैसा जमींदारों के हाथ में आया अब भला सोचिये कि इससे लाभ किसको होता है । एक तरफ तो सरकार इसकी मालिक होती है । अगर विरोधी पक्ष की बात मान लें तो सरकार को फायदा पहुंचता है, लेकिन

[श्री पातीराम]

इससे किसानों को क्या लाभ होता है, किसानों को उन्हींके कहने के अनुसार बहुत नुक़सान होता है। उनकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ज़मींदारों की जेबों में चला गया है।

इसके साथ आप यह देखें कि सन् १९४७ से आज तक आपके देश में अन्न की उपज क्या रही है। आपने ही नहीं, सरकार ने ही नहीं, सब ने ऐड़ी से चोटी का ज़ोर लगाया। मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा अपने विरोधी पक्ष के भाइयों से यह प्रार्थना करता हूं कि वह ज़रा अपने देश की स्थिति पर ध्यान दें। इन ४-५ बरसों में उन्होंने "अधिक अन्न उपजाओ" स्कीम के सम्बन्ध में क्या-क्या काम किया है? अभी हम नहीं कह सकते कि उनके रचनात्मक कार्य क्या-क्या हैं। आज की बातों से पता चलता है कि वह रचनात्मक कार्य की बातें नहीं कर रहे हैं जिनसे किसानों का हित हो। आज तो यह स्पष्ट बात है कि अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा तो किसानों का कितना बड़ा अहित होगा। अगर सरकार ने जानबूझ कर ऐसा किया जैसा कि अभी हमारे माल मंत्री जी ने बताया कि हमने बयनामे बन्द कर दिये और हिबैनामे बन्द कर दिये अगर यह भी मान लिया जाय कि यह जानबूझ कर चाल रक्खे गये तो भी आप यह देखिये कि जितनी काश्त हल के नीचे आ गई है उससे आप के यहां करोड़ों मन गल्ला पैदा हुआ और आपके देश का कितना लाभ हुआ।

अभी हमारे विरोधी दल के नेता ने हरिजनों की बात कही। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हरिजनों का नाम लेते हैं, लेकिन बातचीत बिल्कुल उनके हितों के विरुद्ध करते हैं। मैं अपने विरोधी पक्ष के लोगों से यह निवेदन करूंगा कि ऐसी बातें वे सदन में न लायें जिससे हरिजनों में विषमता उत्पन्न हो। अगर कोई ऐसी बात हो तो वे खुले दिल से सदन में ला सकते हैं, लेकिन यह संशोधन तो केवल अपने प्रचार के लिये लाया गया है इससे कोई अमली काम नहीं होने वाला है। न तो कानूनन ही यह संशोधन आ सकता है और न अमल में लाने पर ही ठीक लाभ पहुंचा सकता है। इससे बड़ी-बड़ी हानियां पैदा हो सकती हैं और इसलिये मैं इस संशोधन का पूरे तौर से विरोध करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मसले पर बहस बन्द की जाय।

अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि इस मसले पर अभी दो-एक तक़रीरों के और होने की जरूरत है। उसके बाद यह सवाल उठाइयेगा।

श्री रामबचन यादव---माननीय सभापति महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध इसलिये करता हूं कि जितने लोगों को जमीनें उठाई गई हैं वे खेतिहर मजदूर की तरह हैं जो साल के अधिकांश समय कलकत्ते या बम्बई में रहते हैं। उन्हीं में से कितनों ने दो बीघे, तीन बीघे ली और उस पर मेहनत की और धन कमाया। अब अगर वह जमीन उनसे ले ली जाय और उनको निकाल दिया जाय तो कई हजार खेतिहर किसानों को कष्ट होगा और उनकी श्रद्धा इस भवन से हट जायगी। जिनके पास, २०, ३० या ४० एकड़ जमीन है उनका कोई नुकसान नहीं होता है बल्कि इससे तो छोटे-छोटे किसानों का नुक़सान होता है और उन्हींके पक्ष में हमारे समाजवादी भाई अपने को बताते हैं तो उन्हें इस संशोधन को करना भी नहीं चाहिये। इसलिये भी मैं कहता हूं कि यह संशोधन स्वीकार नहीं होना चाहिये। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह--मेरा विचार नहीं था कि इस बिल पर मैं कुछ बातें कहूं क्योंकि इसके ऊपर मेरी पार्टी की ओर से सभी बातें बतलाई जा चुकी हैं। फिर मैंने भवन का जो रवैया देखा तो मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ा। यहां तो जो साहब खड़े होते हैं उनमें से कोई तो कहते हैं कि जमींदार बौखला गये हैं और कोई जमींदारों के बारे में तरह-तरह की बातें बखानते चले जाते हैं। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं और सरकार को और उनकी पार्टी को यह बतलाना चाहता हूं कि आपने जो कार्य किया है, मुझे तो यह विश्वास नहीं है, कि उससे जनता का कोई फायदा होगा। लेकिन आप जो यह कार्य जनता के फायदे के लिये कर रहे हैं उस काम के ऊपर इतने प्रसन्न न हूजिये और आप अपने उन देशवासियों, जिनको आप मिटाने जा रहे हैं, की मखौल न उड़ाइये और तानाकशी न कीजिये। एक तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दुनिया के परदे पर इतनी बड़ी क्रान्ति अमनोअमान के साथ किसी देश में नहीं हुई है। इसका कारण यही है कि हम लोगों को यह खयाल है, यह समझते हुये भी कि यह हमारे हित में नहीं है हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके लिये आपको हमारी तारीफ करनी चाहिये। ऐसा नहीं चाहिये कि कोई साहब कहते हैं कि दिमाग बौखला गया है, डेढ़ महीने की बात और रह गई है। हम समझते हैं कि डेढ़ महीने की बात रह गई है और सच मानिये जमींदार यह जानता है कि वह एक चीज के लिये सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसको नहीं बचा सका तो फिर डेढ़ महीने में क्यों हम एक नई चीज पैदा करें। वह जानता है कि हमें तो इसी ग्राम सभा में रहना है, उन्हीं भाइयों के साथ काम करना है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् जी, मेरे माननीय दोस्त अमेंडमेंट (संशोधन) पर नहीं बोल रहे हैं।

अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जो मसला जेरे ग़ौर है वे उसी पर बहस करें।

राजा वीरेन्द्र शाह--मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उसे भी वहां ही रहना है।

अधिष्ठाता--मैं राजा साहब से अर्ज करूंगा कि वे मुझे ही ऐड्रेस (सम्बोधन) करें।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् जी, मौर्य जी की शक्ल मेरे सामने ही है, वे मुझे सामने दिखाई पड़ ही जाते हैं। मैं यह कह रहा था कि जो संशोधन सोशलिस्ट भाइयों ने पेश किया है उससे वे हमारी सरकार से भी आगे बढ़ जाना चाहते हैं और उसमें सिर्फ एक मामले को बढ़ाने के सिवाय और कुछ बात नहीं है। जो उसूल उन्होंने बयान किया है मैं उस उसूल को नहीं मानता। सरकार उसे भले ही माने। मैं यह नहीं मानता कि जिस आदमी की सब जायदाद जा रही है वह इतना गिर जायगा कि वह डेढ़ महीने में ऐसी हरकतें करेगा जैसी कि हमारे भाइयों ने इस भवन के सामने रखीं। सरकार को भी यह उचित नहीं था। एक ओर तो सरकार कहती है कि अन्याय हो रहा है लेकिन दूसरी ओर वही जन सरकार २२ लाख जमींदारों की जायज चीज को भी मानने के लिये तैयार नहीं है। उन्होंने जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में रखा है कि वे जमींदारों को रिहैबीलिटेशन ग्रांट (पुनर्वासन अनुदान) देंगे, लेकिन. .

माननीय श्री चरण सिंह--मैं, श्रीमान् जी, एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना (वैधानिक आपत्ति उठाना) चाहता हूं। मेरे माननीय दोस्त संशोधन के विरुद्ध बोल रहे हैं इसलिये उनको जो भी कुछ कहना चाहिये वह संशोधन के विरोध में ही कहना चाहिये, लेकिन ऐसा न करते हुये उनका सारा गुस्सा, उनकी सारी तस्वीर जमींदारी एबोलीशन बिल की ही खिंचती है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि वे अगर संशोधन पर ही बोलें तो अच्छा हो।

अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वे जो कुछ भी तक़रीर फरमायें वह अमेंडमेंट के मुताल्लिक ही होनी चाहिये।

राजा वीरेन्द्र शाह-- मैं इसलिये यह अर्ज कर रहा था कि कोई चीजें साथ साथ जा रही हैं। अभी आपने जिक्र किया कि इस बिल को सन् १९४७ से लागू किया जाय और इस बीच में जितने पट्टे वगैरह दिये गये हैं वे सब नाजायज माने जायं। अभी हमारे माननीय माल मंत्री जी ने अपनी तकरीर में यह कहा था कि हमने जमींदारों को इसलिये पट्टा देने के लिये छोड़ रखा था कि हमारे यहां बहुत सी भूमि ऐसी पड़ी है जिन पर गल्ला नहीं पैदा किया जाता और आज हमारे देश में गल्ले की कमी है। तो ऐसी हालत में हमने उनके हुक्म से, [illegible] सरकारी स्कीम के द्वारा उन जमीनों को उठाया। सरकार की ओर से उसके लिये एक बिल लाया गया था कि जितनी जमीनें बेकार पड़ी हैं वे जल्द से जल्द उठा ली जायं। अब अगर हमारे सोशलिस्ट यह कहें कि वे सब नाजायज कर दी जायं तो यह कहां तक उचित है? वे भी इस प्रान्त के सब कानूनों को समझते हैं, फिर वे कैसे इस चीज को नाजायज समझते हैं और इस संशोधन के जरिये से कहते हैं कि पट्टे पर जितनी भी जमीनें उठायी गयी हैं वे बिल्कुल बेकार हैं और उनको फौरन खत्म कर दिया जाय। उनके हिसाब से जमीनों को बांट दिया जाय और उसके लिये कमेटी वगैरह बैठाई जाय। और भी नाना प्रकार के उनके संशोधन हैं।

इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ठंडे दिल से सोचें कि इस बिल का असर उनके ऊपर कैसा पड़ेगा, उनके दिल को कैसी ठेस पहुंचेगी। आप अपने संशोधन द्वारा, अपनी स्पीचों द्वारा, कटु वचन कहते हैं और समझते हैं कि यह यहीं पर रह जायगा। लेकिन इसका विवरण हमारे प्रान्त भर में जायगा और वहां के लोग समझेंगे कि हमारे सोशलिस्ट भाइयों और हमारे कांग्रेसी मित्रों के दिलों में अभी भी वही गुबार भरे हुए हैं, वही मलाल है कि वे जमींदारों की मुखालिफत करें और जमींदारों को बरबाद करने की सोचें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र इस संशोधन को वापस ले लें और सरकार को भी यह ध्यान में रखना चाहिये कि जितनी सुविधायें जमींदारी बिल के द्वारा जमींदारों को मिल सकती हैं मिलें। उसको जमींदारों के तबके का खयाल करना चाहिये, इसी में इस प्रान्त की भलाई है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब यह विवाद समाप्त किया जाय।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब इस मसले पर बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस समय इस सभा भवन में माननीय उद्योग मंत्री श्री हुकुम सिंह नहीं हैं। उन्होंने अयोध्या और प्रायश्चित्त की बात कही थी। मैं आपके द्वारा बहुमत दल के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अयोध्या का हूं, साथ ही साथ ब्राह्मण भी हूं इसलिये उनके पुरोहित के रूप में मुझे पूरा अधिकार है कि सरकारी दल से प्रायश्चित्त करा सकूं। मुझे बाद में दक्षिणा मिलने की भी उम्मीद थी, लेकिन शायद इसी डर से माननीय उद्योग मंत्री सभा भवन से गायब हो गये हैं।

अब संशोधन के पक्ष और विपक्ष में जो दलीलें दी गई हैं मैं उनकी विवेचना करना चाहता हूं। माननीय उद्योग मंत्री जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि यह घोषणा किस तरह से की जा सकती थी कि जमींदार १५ अगस्त, सन् १९४७ के

बाद जमींदाराना हक बरत नहीं सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि हमारी सरकारी बेंच के लोग आर्डिनेंसेज जारी करने के लिये बदनाम हो चुके हैं। जब उनका कोई अपना मकसद आता है तब तो वे दिन दूना रात चौगुना आर्डिनेंसज जारी करते जाते हैं लेकिन अगर वाक़ई में कहीं जनहित का सवाल आता है, किसानों की भलाई करने का सवाल आता है तो वे चुप हो जाते ह। अगर वाक़ई में उनका मंशा किसानों की भलाई करने का होता तो जिस समय १५ अप्रैल, सन् १९४७ को सारा देश खुशी मना रहा था उसी समय वे आर्डिनेंस के जरिये ऐलान कर देते कि आज के बाद जमींदारों को जमींदाराना हक नहीं होगा। उनको पट्टा देने या जमींदाराना हक बरतने का अधिकार नहीं होगा। दूसरे विधेयक बाद में आते, जमींदारी उन्मूलन बिल पास होता। लेकिन असलियत यह है कि उनके दिल में जनहित की बात नहीं थी। वे तो नाटकीय ढंग से लोगों को दिखलाने के लिये इस तरह की बातें किया करते हैं। इस विधेयक में कोई प्राण नहीं हैं। अब आखिरी वक्त में इस विधेयक को लाकर वे वाहवाही लूटना चाहते हैं।

दूसरी बात सन् १९४७ का संशोधन मान लेने के बारे में यह कही गई कि इसमें काफी कठिनाइयां हैं। मैं माननीय चरण सिंह जी से यह निवेदन करूंगा कि जो कठिनाइयां आप समझते हैं कि उलटफेर की इस संशोधन के मानने पर होंगी, तो वे तो दफा २१२ में भी शामिल हैं। बार बार यह कहा गया कि अगर इस विधेयक का विरोध जमींदार करते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने कल ही कहा था कि इसके लिये हम मुबारकबाद दे सकते हैं और हम इस संशोधन द्वारा इसे और इनकलाबी बनाना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह हमारे संशोधन को मान ले जिससे आज से पहले के पट्टे दुरुस्त हो जावें। २१२ दफा के बारे में होशियारी से बहस की गई। हमारे साथी बता चुके हैं कि इसमें बहुत सी जमीनें नहीं हैं जिनके लिये हम भी आग्रह करना चाहते हैं। माननीय रामलखन जी ने कहा कि उनको आश्चर्य हुआ कि हम स्थिर स्वार्थवालों के पक्ष में हैं। उनको यह भ्रम हो गया कि हम इस विधेयक को आने ही नहीं देना चाहते। लेकिन हम तो कहते हैं कि यह विधेयक नाकाफी है।

अन्न की उपज के प्रश्न को लेकर काफी वाद-विवाद हुआ है। अन्न की उपज हमारे सरकारी दल के लोगों के लच्छेदार भाषणों से भले ही बढ़ गई हो लेकिन जो बातें हमारी सरकार की तरफ से की गईं उनसे कोई उपज नहीं बढ़ी है ,,अधिक अन्न उपजाओ" का संगठन टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन हो गया है जिससे इस पद का सारा रुपया अफसरों की जेब में चला जाता है और किसानों तक बहुत कम पहुंच पाता है। किसानों को भी कोई सहूलियत नहीं दी गई जिससे उपज बढ़ती। पूंजीवादी खेती की प्रणाली अधिक अन्न नहीं उपजा सकती। अगर हमारी सरकार यह करती कि जिनके पास थोड़ी जमींनें २, ४ बीघा ही जमीन है उन्हें और जमींन दे देती तो अन्न की पैदावार बढ़ सकती थी। हमारे हरिजनों और गरीब लोगों के पास जमींन नहीं है। उन्हें आप थोड़ी ही जमींन देते और कह देते कि तुम्हारी बेदखली नहीं होगी तो हम सरकारी दल के सदस्यों को बतलाना चाहते हैं कि २० गुनी उपज बढ़ गई होती और हमें आज अमेरिका, रूस और चीन की गुलामी नहीं करना पड़ती।

हमारी तरफ से बार बार कहा गया है कि ३० एकड़ से अधिक जमींन रखने वालों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। हमने जो संशोधन पेश किया है यह उन्हीं किसानों के लिये पेश किया गया है जिनके पास एक चप्पा जमींन नहीं है या ३० एकड़ से कम जमींन है। हमारे माननीय मित्र वीरेन्द्र शाह ने यह कहा कि वावैला मच जायगा और लोगों को परेशानी होगी। उनको तो बड़े बड़े हजारों बीघा जोतने वाले किसानों और नजराना की मोटी रकमें लेने की ही परेशानी ही दिखाई दे सकती है। उनको उन गरीबों

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

को तो खयाल भी नहीं आ सकता जो एक एक चप्पा जमीन के लिये तरस रहे हैं और गोबर में से अनाज निकाल कर खा रहे हैं। मैं साग्रह सरकारी दल से अपील करूंगा कि वह सही मानों में किसानों का हित करें और मेरे संशोधन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लें।

माननीय श्री चरण सिंह--माननीय सभापति, मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर जजबात और भावनाओं को अलहदा करके उनके संशोधन और तक़रीर को देखा जाय तो केवल यही निकलता है कि आगे के लिये इस कानून को बनाना बेकार है क्योंकि जमीन जितनी उठानी थी वह उठ चुकी। लिहाजा बजाय २१ मई के १५ अगस्त, सन् १९४७ रखें, रिट्रासपेक्टिव एफेक्ट (अनुवर्ती प्रभाव) इस कानून को दिया जाय और उस तारीख से जितने पट्टे हुये हैं उन सबको मंसूख कर दिया जाय। बातें वही कही गयी हैं जो कि पहले जनरल डिस्कशन के बोल में कही गयी हैं और मेरे पास जवाब भी केवल उतना ही है। जमीनें दो प्रकार की थीं, एक तो वे थीं जो सार्वजनिक उपयोग में आ रही थीं और दूसरे वे थीं जो सार्वजनिक उपयोग में नहीं आ रही थीं। जो जमीनें सार्वजनिक उपयोग में आ रही थीं वे अगर १५ अगस्त, सन् १९४७ के बाद पट्टे पर दी गयी हैं, तो पंचायत को अधिकार है कि वह कलक्टर के यहां दरख्वास्त देकर उन जमीनों को पंचायती इस्तेमाल के लिये वापस ले लें। जहां तक ऐसी जमीनों का ताल्लुक है जो सार्वजनिक उपयोग में नहीं आ रही थीं और जमींदार उनका मालिक था और उसने ऐसी जमीनों को उठा दिया है, तो उसने हमारी नीति के मुताबिक किया है। लिहाजा उन पट्टों को मंसूख करने का कोई सवाल होता नहीं।

इसके अतिरिक्त विरोधी पक्ष की जो तक़रीरें हुईं उनमें यह कहा गया कि बड़ा नजराना लिया गया। नजराने का हिसाब भी लगा करके उन्होंने बतला दिया। नहीं मालूम उनके पास नजराने का हिसाब कहां से आ गया कि ५० करोड़ रुपया नजराने में लिया गया। न जमींदारों को नजराना लेना चाहिये था और न किसानों को नजराना देना चाहिये था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वह कानून के खिलाफ हुआ है। मैं मानता हूं कि क़रीब करीब सब मामलों में नजराना लिया गया है, लेकिन नजराना जिन लोगों ने दिया आज आप उन्हीं के पट्टों को मंसूख करने के लिये यहां तजवीज पेश कर रहे हैं। एक तो उनके हाथ से नजराना निकल गया और फिर जिस जमीन के लिये उन्होंने नजराना दिया था, जिस पर तीन चार साल से वे काबिज आ रहे थे, जिस में उन्होंने रुपया लगाया और मेहनत भी लगाई, वह जमीने उनके हाथ से निकल जाय यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और ऐसे किसान आप को आशीर्वाद देंगे या कुछ और कहेंगे। आप यह कह सकते हैं कि नजराना वापस दिला दिया जाय। तो नजराना वापस यों नहीं दिलाया जा सकता है क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। महज शुबहा की बिना पर डिग्री कर दी जाय जमींदारों के खिलाफ, यह किसी जनतांत्रिक व्यवस्था में नामुमकिन है। यह तो चीन और रूस में ही मुमकिन है कि पीपुल्स कोर्ट बिठला दी जाय अर्थात् अपनी पार्टी की अदालत मुकर्रर कर दी जाय और द्वेष की बिना पर जिस जमींदार के खिलाफ चाहे डिग्री कर दे या फांसी का ऐलान कर दें। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जहां कि जनतंत्र कायम है, जहां रूल आफ ला (विधि का शासन) कायम है, जहां नियम, अधिनियम, कानून और जाब्ते के मातहत सारी बातें चलती हैं, शुबहा की बिना पर और प्रीजुडिस (पक्षपात) की बिना पर नहीं, वहां हम यह मानते हुये भी कि नजराना लिया गया है, उनके नजराने को वापस नहीं करा सकेंगे। एक तो उनसे नजराना लिया गया और दूसरे उनसे जमीन भी वापस दिला दी जाय यह कहां का इंसाफ है। यह मेरी अक्ल के खिलाफ बात है। मैं हाउस को ज्यादा

वक्त नहीं लूंगा क्योंकि कोई नयी बात नहीं कही गयी है। इन शब्दों के साथ में संशोधन का विरोध करता हूं।

अधिष्ठाता— प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (क) में शब्द "तात्पर्य" के उपरान्त शब्द व अंक "२१ मई, १९५२ ई० से है" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द व अंक "१५ अगस्त, १९४७ ई० से है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पांचवी पंक्ति में कोष्ठ के पश्चात् अर्धविराम का चिह्न "," रखा जाय, शब्द "से है, और उसके अन्तर्गत" के स्थान पर शब्द "और" रखा जाय तथा छठी पंक्ति में शब्द "भी" के स्थान पर शब्द "से" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, इस संशोधन से इस उपखंड का रूप इस तरह हो जायगा :—

"किसी भूमि के सम्बन्ध में 'मध्यवर्ती' का तात्पर्य स्वामी (proprietor), मातहतदार (under proprietor) अदना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार और अवध के पट्टेदार-स्वामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) और दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) से है;"

इस प्रकार का संशोधन मैं क्यों चाहता हूं जब कि अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है इस खंड की अंतिम दो पक्तियां जिनका मैं संशोधन चाहता हूं वे इस प्रकार से लिखी हुई हैं जो ऊपर की चार पंक्तियों से भिन्न हैं और इन अन्तिम दो पंक्तियों का रूप ऐसा दिया गया है जिससे यह ज्ञात होता है कि मानो यह स्पष्टीकरण है। अगर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम देखा जाय तो उससे मालूम पड़ेगा कि जहां कहीं स्पष्टीकरण किया गया है वहां इस तरह के शब्द लिखे हुये हैं लेकिन यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

माननीय श्री चरण सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से और सदन का समय बचाने के लिये यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है वह मुझको स्वीकार है। इसलिये कोई व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है।

अधिष्ठाता—क्या माननीय मंत्री को यह संशोधन स्वीकार है?

माननीय श्री चरण सिंह—जी हां।

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य और कुछ तो नहीं कहना चाहते हैं।

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) की पांचवीं पंक्ति में कोष्ठ के पश्चात् अर्धविराम का चिह्न "," रखा जाय, शब्द "से है, और उसके अन्तर्गत" के स्थान पर शब्द "और" रखा जाय तथा छठी पंक्ति में शब्द "भी" के स्थान पर शब्द "से" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३, जैसा कि वह अभी संशोधित हुआ है, इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

जनवरी, १५ १९५२ ई० के बाद किये गये पट्टे और अन्य व्यवहार (transactions) आरम्भ से ही (ab initio) अवैध होंगे।

किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी---

(१) मध्यवर्ती द्वारा भूमि का पट्टा जो निश्चित दिनांक या उसके बाद दिया गया या निबन्धित (रजिस्टर्ड) किया गया हो, सम्पादन (इक्वीजीशन) के दिनांक से अवैध (वायड) होगा और एतद्द्वारा अवैध घोषित किया जाता है और पट्टेदार (lessee) यू० पी० टनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा १८० के एवं १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २०९ के प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यक्ति समझा जायगा जो समय विशेष पर प्रचलित विधि के उपबन्धों के विपरीत भूमि पर का बिज होगा।

(२) मध्यवर्ती और काश्तकार (टनेंट) के बीच किया गया ऐसा व्यवहार (ट्रांजेक्शन) जिससे काश्तकार को अपने खाते (holding) या उसके किसी भाग के विक्रय द्वारा हस्तान्तरण का अधिकार प्राप्त हो और जो निश्चित दिनांक को या उसके बाद किया या अभिनिविष्ट (एन्टर्ड इन टू) किया गया हो या निबन्धित (रजिस्टर्ड) किया गया हो सम्पादन (एक्वीजीशन) के दिनांक से व्यर्थ और विफल होगा और एतद्द्वारा व्यर्थ और विफल घोषित किया जाता है।

स्पष्टीकरण :---इस धारा में निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) का तात्पर्य ऐसे निबन्धन से है जो लेख्यों (डाकुमेंट्स) के निबन्धन से सम्बद्ध समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार हो और उसके अन्तर्गत यू० पी० टनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ५७ के अधीन साक्षीकरण (अटेस्टेशन) भी है।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान् जी, मैं अपने दोनों संशोधनों को जिनका सम्बन्ध एक ही हाशिये के नोट से है मिला कर इस तरह से पढ़ना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि---

"खंड ३ के हाशिये के नोट की प्रथम पंक्ति में शब्द व अंक "जनवरी १५" के स्थान पर शब्द व अंक "मई २१" रख दिये जायं तथा प्रथम पंक्ति में अंक व शब्द "१९५२ ई०" के उपरान्त शब्द "को या उस" जोड़ दिये जायं तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "किये गये" तथा शब्द "पट्टे" के बीच शब्द "निबन्धित" रख दिये जायं।

माननीय श्री चरण सिंह---मुझको एक वैधानिक आपत्ति है। वह यह कि मार्जिनल नोट किसी विधेयक या अधिनियम का हिस्सा नहीं होता है। इसलिये वह हाउस की स्वीकृति के लिये रखा भी नहीं जाता है और न उस पर कोई संशोधन ही आ सकता है।

अधिष्ठाता---माननीय मंत्री इस देखेंगे कि हाशिये पर यह जनवरी और उस के बाद के शब्द लिखे हुए हैं। इसके रहने से बिल पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ?

माननीय श्री चरण सिंह—हाशिये में जो १५ जनवरी है, वह ग़लत है। वह बाद को ठीक हो जायगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हाउस में मार्जिनल नोट्स पेश नहीं किये जाते। वह तो बाद में आपके दफ्तर से या सेक्रेटरियट में ठीक हो जाते हैं। इसलिये अमेंडमेंट का सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि कानूनन यह मार्जिनल नोट्स विधेयक का हिस्सा नहीं होते इसलिये हाउस की स्वीकृति के लिये स्पीकर की तरफ से पेश नहीं किये जाते। इसके संशोधन को लाने की आवश्यकता नहीं है।

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य, जो माननीय मंत्री ने अभी कहा उससे मैं सहमत हूं? मैं समझता हूं कि हाशिये पर जो नोट दिया गया है वह विधेयक का हिस्सा नहीं है और जब वह विधेयक का हिस्सा नहीं है तो उसको कोई तरमीम गैरजरूरी हो जाती है। इसकी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि आप इसे पेश करने की कोशिश नहीं करेंगे।

श्री जयराम वर्मा—यदि इस तरह का संशोधन अनावश्यक है तो इसे आपकी आज्ञा से वापस लेना चाहता हूं।

अधिष्ठाता—क्या सदन की इजाजत है कि यह जो संशोधन अभी आपने पेश कर दिया था और जो ग़ैर जरूरी था इसे वह वापस ले लें।

(कुछ माननीय सदस्यों के "नहीं, नहीं!" कहने के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि हाउस इस संशोधन को वापस लेने की इजाजत देता है

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के, जो सदन के सामने है, खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "बाद" के उपरान्त तथा शब्द "दिया गया" से पूर्व निम्नलिखित जोड़ना चाहता हूं—

"जो ३० एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले को किया गया हो या इतनी जमीन से ज्यादा का किया गया हो जिससे पट्टेदार की १५ अगस्त, १९४७ के पहले की जमीन के रक़बे को जोड़ देने पर ३० एकड़ हो जाय।"

अब मूल एक्ट में समावेश के बाद यह इस तरह से पढ़ा जायगा कि "(१) मध्यवर्ती द्वारा भूमि का पट्टा जो निश्चित दिनांक या उसके बाद जो ३० एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले को किया गया हो या इतनी जमीन से ज्यादा का किया गया हो जिससे पट्टेदार की १५ अगस्त, १९४७ तक की जमीन के रक़बे को जोड़ देने पर ३० एकड़ हो जाय, का दिया गया या निबन्धित (रजिस्टर्ड) किया गया हो सम्पादन (इक्वीजीशन) के दिनांक से अवैध (वायड) होगा और एतद् द्वारा अवैध घोषित किया जाता है और पट्टेदार (lessee) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा १८० के एवं १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २०९ के प्रयोजनों के लिये ऐसा व्यक्ति समझा जायगा जो समय विशेष पर प्रचलित विधि के उपबन्धों के विपरीत भूमि पर काबिज हो" इत्यादि इत्यादि।

इसके बारे में, चूंकि भाषा कानूनी है, थोड़ा सा स्पष्टीकरण है, कर देना चाहता हूं। मेरा मकसद इस संशोधन से यह है कि इसमें यह समावेश कर दिया जाय कि वे पट्टे नाजायज करार दिये जायं जो ऐसे किसानों को मिले हों जिनके पास पहले ही से तीस एकड़ से ज्यादा जमीन हो। अगर उसने कोई नयी जमीन ली है तो उसका

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

पट्टा रद्द कर दिया जाय। साथ ही साथ ऐसे किसान जिनके पास तीस एकड़ से जमीन कम हो और उन्होंने किसी जमीन का पट्टा लिया तो तीस एकड़ पूरा करने के बाद जितनी जमीन बचती है उसका पट्टा रद्द कर दिया जाय यानी नई पुरानी मिला कर कुल तीस एकड़ जमीन ही उसके पास रह जाय। इसलिये यह संशोधन स्पष्ट है। इसको इसीलिए रखने की आवश्यकता हुई कि जो मौजूदा विधेयक है उसका मंशा यह मालूम होता है कि आगे जमींदारों के अत्याचार को रोका जाय। हुआ यह है कि बड़े बड़े किसान जो जमींदारों की तरह शोषक वर्ग के कहे जा सकते हैं उन्होंने हजार-हजार रुपया को बोया नजराना देकर जमीनें हथिया ली हैं। लेकिन इस संशोधन को मान लेने से काफी जमीनें मिल जायंगी जो कि इस विधेयक का उद्देश्य है और यह भवन के लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर काफी जमीनें मिल जायं और उनका वितरण करके गरीब किसानों की भलाई की जा सके। इस तरह समस्या बहुत आसान हो जायगी।

मुझे ज्यादा कहना नहीं है। जमीनों की आवश्यकता हमारे प्रदेश में गरीब किसानों के लिये है, यह माननीय सदस्य जानते हैं और इसी उद्देश्य को रखते हुए मैंने यह संशोधन पेश किया है। काफी दलीलें पहले संशोधन के संबंध में हैं। इस समय में सदन का ज्यादा समय बरबाद न करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र विरोधी दल के सोशलिस्ट सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो संशोधन उपस्थित किया है उस पर उन्होंने गौर नहीं किया कि वह संशोधन उनकी जो वास्तविक भावनाएं हैं उनके प्रतिकूल पड़ता है। पहले उन्होंने जो संशोधन उपस्थित किया था कि सन् १९४७ ई० के बाद जो पट्टे हैं वह सब रद्द कर दिये जायं, विधेयक यह कहता है कि २१ मई के बाद जमींदारों को किसी प्रकार की लीज [पट्टा] करने का अधिकार न होगा। आप उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने संशोधन के जरिये से। और जमींदार साहबान को कुछ मदद और सहूलियत दे रहे हैं कि २१ मई के बाद भी वह ऐसे पट्टे जो तीस एकड़ से ज्यादा हों, या जिनको मिला कर ३० एकड़ से कम जमीन रहती हो, वह पट्टे नाजायज न हों। मैं समझता हूं कि यह संशोधन ठीक आपकी भावनाओं के विपरीत है। अगर आपको तीस एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसानों से हमदर्दी है जो होनी चाहिए तो यह आप गांव सभा पर छोड़ दीजिये। गांव सभाओं में वे जमीनें निहित होंगी जैसे नियम होंगे उनके अनुसार वे उनका वितरण करेंगी। आप क्यों झगड़े में पड़ रहे हैं? इसलिये आप इस संशोधन को वापस ले लें। व्यर्थ भवन का समय वाद विवाद में नष्ट न करें क्योंकि मैं समझता हूं कि आपने यह संशोधन अपनी भावनाओं और सिद्धान्त के विपरीत दिया है। मैं ३० एकड़ के सिद्धान्त का विरोध नहीं करता और वह भी जमींदारी विनाश ऐक्ट में है और कहीं कहीं ट्रान्सफर के सिलसिले में उसमें भी ३० एकड़ की हद कायम की गई है। यह भी भूमि व्यवस्था बिल में है और ऐसा अधिकार ही नहीं होगा तो उसको लेकर आप इसके जरिये उनको और धोका दे रहे हैं। इसलिये मैं अन्त में फिर निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य समाजवादी पार्टी के जो उस तरफ बैठे हैं और श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

पहली बात यह है कि इस संशोधन को देखने से मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाजवादी भाई जो कि अपने को जमींदारों का विरोधी और जनता का हितैषी होने का दावा करते हैं वह इस संशोधन द्वारा किसान का क्या हित समझते हैं। जो पहला संशोधन था उसमें भी मुझे यही भावना समझ में आई थी कि वह जमींदारों के हित की बात अधिक सोचते हैं और काश्तकारों को नुक़सान पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि संशोधन में कहा गया है कि जिस काश्तकार के पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है या जो दस एकड़ से ज्यादा का पट्टा ले वह रद किया जाय और जो इस संशोधन के अन्तर्गत न आता हो वह यहां रद न किया जाय। हमारी सोशलिस्ट पार्टी जो कि काश्तकारों में काम करने की डींग मारती है उन्हें जमींदारों की भावना और चालबाजियों से भलीभांति परिचित होना चाहिये, लेकिन वह अपने संशोधन में उस बात को भूल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनको यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे जमींदार भाई इस बात में काफी होशियार हैं और अगर यह संशोधन मंजूर हो जाता है तो वह उन काश्तकारों को जमींन दे कर जिनके पास ३० एकड़ से कम है और दस एकड़ से कम का पट्टा देकर अपनी जेबें भरेंगे और सरकार जिस बात को रोकना चाहती है वह मन्शा पूरा न होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे सोशलिस्ट भाई ने जो संशोधन पेश किया है उससे वह किस तरह से काश्तकारों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इससे तो साफ नजर आता है कि वह काश्तकारों का पैसा जमींदारों की जेबों में भरना चाहते हैं। इसलिये मैं निहायत अदब से आपके द्वारा उनसे कहना चाहता हूं कि वह इस संशोधन को समझें और उन्होंने जो अपनी नातजुर्बेकारी से यह संशोधन पेश कर दिया है उसे वापिस ले लें।

श्री राज नारायण--माननीय श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने जो सुझाव पेश किया है उसमें मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। हमारे पहले संशोधन को यदि स्वीकार किया गया होता तो यह संशोधन भी मौजू हो सकता था। अगर पहले राम नारायण जी के संशोधन के द्वारा १५ अगस्त, सन् १९४७ से रद करने की बात मानी जाती तब बात दूसरी थी, परन्तु अब अगर इसको माना जाता है तो वह अनुचित और परस्पर विरोधी हो जायगा। इसलिये हम श्री द्वारका प्रसाद जी मौर्य के आभारी हैं और मुझे आशा है कि हमारे साथी राम नारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है वह उसको वापस ले लेंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं जानना चाहता हूं कि क्या समाजवादी दल के नेता को अधिकार है कि वह इस संशोधन को वापिस ले लें।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वाक़या है कि विधेयक में पहला संशोधन गिर जाने की वजह से जो मेरे संशोधन और दूसरे संशोधन की मंशा थी उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिये हम उसको वापस लेते हैं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(२) इसका प्रसार उस क्षेत्र में होगा जिसमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, उक्त अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) के अधीन, प्रचलित है।

(३) यह "निश्चित दिनांक" से प्रचलित होगा और प्रचलित हुआ समझा जायगा।

श्री जयराम वर्मा--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उप-खंड १ की दूसरी पंक्ति में शब्द "हस्तांतरण" के स्थान पर शब्द "संक्रामण" रख दिया जाय और इस विधेयक में जहां जहां शब्द "हस्तान्तरण" आया है उसके स्थान पर शब्द "संक्रामण" रख दिया जाय।

माननीय श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय चेयरमैन महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि शब्द "हस्तान्तरण" के स्थान पर संशोधित शब्द "संक्रामण" है या "संक्रमण"।

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान् जी, मालूम होता है माननीय सदस्य को कुछ कन्फ्यूजन (भ्रम) हो गया है। मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वह है "संक्रामण"। "संक्रामण" और "संक्रमण" ये दोनों शब्द होते हैं। "संक्रमण शब्द अकर्मक क्रिया से बना है और अर्थ इसका होता है "ट्रांजिट"। शब्द "संक्रामण" जो है उसका अर्थ होता है "ट्रांसफर" और यह सकर्मक क्रिया से बना हुआ है। मैंने ट्रांसफर के मानी में "संक्रामण" शब्द का इस्तेमाल किया है और यह शब्द जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में कई बार आया है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "हस्तान्तरण" के स्थान पर शब्द "संक्रामण" रख दिया जाय और विधेयक में जहां जहां शब्द "हस्तान्तरण" आया है वहां-वहां उसके स्थान पर शब्द "संक्रामण" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) में शब्द "उक्त अधिनियम की" के स्थान पर शब्द "अपनी" रख दिया जाय।

माननीय श्री चरण सिंह--मैं इसको स्वीकार करता हूं।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) में शब्द "उक्त अधिनियम की" के स्थान पर शब्द "अपनी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

मध्यवर्तियों द्वारा भूमि के कुछ हस्तान्तरणों (ट्रांस्फर्स) के विनिमन के निमित्त

विधेयक

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) प्रचलित हो गया है ;

और उक्त प्रचलन के फलस्वरूप संक्रमण (ट्रांजिशन) संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त, मध्यवर्तियों द्वारा भूमि के कुछ हस्तान्तरणों का विनियमन करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

माननीय श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तांतरण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० को, जैसा कि वह अब संशोधित हो गया है पारित किया जाये ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० ।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय ।

इस संबंध में म कोई लम्बी-चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता । विधेयक का जो उद्देश्य दिया हुआ है उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं ।

"संसद् ने इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐन्ड रेगूलेशन्स) ऐक्ट, १९५१ ई० नामक एक अधिनियम पारित किया है जो ८ मई, सन् १९५२ ई० से प्रचलित कर दिया गया है । उक्त अधिनियम के लागू होने से यू० पी० शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई० के कुछ उपबन्ध अब निष्प्रभाव हो गये हैं । इन उपबन्धों को निकाल देने तथा संशोधित अधिनियम को स्थायी रूप देने के उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।"

तो जैसा कि इससे जाहिर है इस मौजूदा ऐक्ट की मियाद ३० जून को खत्म होती है और ऐक्ट जिसे संसद् ने पास कर दिया है और जो लागू हो चुका है उसकी वजह से इस ऐक्ट के कुछ प्राविजन्स (उपबन्ध) ऐसे हैं जो कि एक किस्म से हमारे यहां हैं फिर भी कुछ फायदा उनसे हो नहीं सकता । इसलिये यह जरूरी समझा गया कि एक तरमीमी बिल लाया जाय जिससे ऐसे प्राविजन्स निकल जायं और संशोधित बिल को स्थायी रूप दे दिया जाय । मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव पर जरूर विचार करेगा और उसे स्वीकार करेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक, उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० के संबंध में निम्न प्रकार का संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं । इस संशोधन के बारे में यह बताया गया है कि इस भवन की यह परम्परा रही है कि अगर किसी विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग करनी हो तो उसके लिये प्रस्ताव विचार करने के जनरल डिस्कशन [सामान्य वाद-विवाद] के समय ही लाना चाहिये ।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से अपने माननीय दोस्त से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे माइक पर बोलें तो अच्छा होगा, ताकि अगर हमें उनकी किसी बात का जवाब देना हो तो दे सकें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० को, इस सदन के नियमों के अनुसार प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज यह जो विधेयक, हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है ...

श्री बेचन राम गुप्त--आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, (मुझे एक बैधानिक आपत्ति है) अभी यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ है कि इस बिल पर विचार किया जाय। इसलिये यह संशोधन अभी नहीं आ सकता।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य का ध्यान मैं नियम ९७(२) (१) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है--

"Discussion of principles of Bills--

(2) At this stage no amendments to the Bill may be moved but if the member in charge moves the Bill--

(*a*) be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee or a Joint Select Committee....."

[विधेयक के सिद्धांतों पर चर्चा--

(२) इस प्रक्रम में विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते, परन्तु यदि विधेयक भार-साधक सदस्य यह प्रस्ताव करे कि विधेयक--

(क) को विचारार्थ लिया जाय, तो कोई सदस्य यह संशोधन प्रस्तुत कर सकता है कि विधेयक एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय....]

इस नियम के अनुसार यहां की यह प्रणाली है कि यही मौका है कि जब कि सेलेक्ट कमेटी के लिये इस तरह का प्रस्ताव लाया जा सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि प्रस्तुत विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयकों में से है जो इस भवन के सामने आ सकता है। अभी आदरणीय उद्योग मंत्री जी ने इस बिल को रखते हुये यह बतलाया कि उक्त अधिनियम संसद् के इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐंड रेग्युलेशन्स) ऐक्ट, १९५१ ई० नामक एक विधेयक अधिनियम के लागू होने के बाद निष्प्रभाव हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं भवन के सभी सदस्यों से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम जरा ध्यान से इंडस्ट्रीज ऐक्ट, १९५१ ई० को और यू० पी० शुगर फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९३८ ई०, को देखें तो हमको मालूम होगा कि उसका बहुत सा अंश अभी निष्प्रभाव नहीं हुआ है यह ठीक है कि उक्त ऐक्ट ८ मई, सन् १९५२ को लागू हो गया है लेकिन जहां तक इस प्रस्तुत विधेयक की जिन धाराओं के बारे में यह कहा गया है कि वे निष्प्रभाव हो गई हैं, और इसलिये निकालने की बात कही गयी है, ऐसा नहीं है। उसकी सभी धारायें निष्प्रभाव नहीं हुई हैं। अगर यह विधेयक जिस तरह से रखा गया उसी तरह से यह भवन उसको स्वीकार कर ले तो एक बहुत बड़ी कमी आ जायगी और जो गन्ने की समस्या है, चीनी के दामों की समस्या है, गन्ने के दामों की समस्या है, ये तीनों ही समस्यायें मिली हुई हैं और तीनों मिलकर एक बड़ी समस्या मिलकर बन जाती है, उनको सुलझाना भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जायगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं भवन के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिनके आधार पर मैं समझता हूं कि अगर इस विधेयक पर पूर्ण विचार करना चाहते हैं तो इस भवन द्वारा नियुक्त प्रवर समिति के सामने इस विधेयक को भेजा जाय । आप देखेंगे कि जो विधेयक हमारे सामने रखा गया है उसमें एक खास बात रखी गयी है । मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूं और वह यह है कि फैक्ट्रीज ऐक्ट का चैप्टर ३ निकाल दिया जाय । अगर हम चैप्टर ३ को देखते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें पाते हैं । उसमें हम यह देखते हैं कि जहां एक ओर चीनी के दाम नियत करने के अधिकार नियत किये गये हैं वहां पर यह भी है कि उस विधेयक के अनुसार गन्ना क्रश करने का लाइसेंस हर फैक्ट्रीज को सालाना लेना लाजिमी है, लेकिन अगर इस चैप्टर को निकाल दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि कहीं न सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई रूल्स हैं न आर्डर्स हैं, कोई आर्डिनेंस भी इस समय नहीं है, अब कोई आर्डिनेंस निकाल दें तो बात दूसरी है लेकिन यह निश्चित है कि इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक धारा ९ का संबंध है इसमें भी नयी फैक्ट्रीज के बनाने का सवाल है । इंडस्ट्रीज ऐक्ट की धारा ११ के अनुसार जितनी भी नयी इन्डस्ट्रीज होंगी वे सब सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन होंगी। धारा ९ निकाल दी जाय तो इसको तो हम कुछ समझ सकते हैं लेकिन अगर सारा चैप्टर निकाल दिया गया, तो जहां तक कि गन्ना क्रश करने (पेरने) की बात है वह हमारे प्रान्त के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है । किस लिये महत्वपूर्ण है वह मैं इस धारा को लेकर आपके सामने प्रकाश डालना चाहता हूं ।

हम देखते हैं कि इन्डस्ट्रीज ऐक्ट, १९५१ के अनुसार जो फैक्ट्रीज आजकल चल रही हैं उनके लाइसेंस लेने की कोई बात नहीं है लेकिन जो पुराना फैक्ट्रीज एक्ट है और ६९ फैक्टरीज यू० पी० के अन्दर जो चल रही हैं उनको लाइसेंस देने की जरूरत है लेकिन सन् १९५१ के इंडस्ट्रीज एक्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग की कोई व्यवस्था नहीं रखी है बल्कि उसने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी है । धारा १० यह है—

"(1) The owner of every existing industrial undertaking and the owner of any industrial undertaking for the establishment of which effective steps have been taken, not being the Central Government, shall, with a period of six months from the commencement of this Act, register the undertakings in the prescribed manner.

(2) The Central Government shall also cause to be register in the same manner every existing industrial undertaking of which it is the owner."

(१) केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यमान औद्योगिक योजना का स्वामी तथा उस औद्योगिक योजना का स्वामी जिसकी स्थापना के लिये प्रभावपूर्ण प्रयत्न किया जा चुका है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से छः महीने की अवधि के भीतर योजना को विहित रीति मे निबंधित करायेगा ।

(२) केन्द्रीय सरकार भी उसी रीति से प्रत्येक विद्यमान औद्योगिक योजना को निबंधित करायेगी जिसकी वह स्वामिनी है ।]

इसमें आप देखेंगे कि केवल लेजिस्लेशन (विधान) की बात रखी गयी है । कोई कंडीशन (शर्त) नहीं रखी गयी है । क्रश (गन्ना पेरन) को सुचारू रूप से चलाने के लिये लाइसेंस की व्यवस्था रखना बहुत आवश्यक है। शुगर फैक्ट्रीज ऐक्ट की धारा ११ में यह है—

"*Conditions of licences for crushing Cane.*—A licence granted under sub-section (3) of section 10 shall be subject to such conditions, as the State Government may, after consulting the Board, impose in respect of all or any of the following matters at the time when the licence is granted :"

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

"The price below or above which, the terms on which and the persons to whom or organizations to which or through those agency, any variety, grade or quantity of sugar produced in the factory may be sold."

[गन्ना पेरने के लिये अनुज्ञापत्र की शर्तें---खंड १० के उपखंड (३) के अन्तर्गत स्वीकृत अनुज्ञा पत्र ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो राज्य सरकार बोर्ड से परामर्श करके निम्नलिखित सब विषयों पर या उनमें से किन्हीं पर अनुज्ञा पत्र देने के समय आरोपित करे----

"मूल्य जिससे न्यून या अधिक पर, शर्तें जिनके अधीन और व्यक्ति अथवा संस्थायें जिनको अथवा जिनके अभिकरण द्वारा फैक्ट्री में प्रनिर्मित चीनी की कोई किस्म, श्रेणी या राशि बेची जा सके।"]

इसमें लाइसेन्स की बात नहीं रखी गयी है । यानी हर फैक्टरी को सालाना लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है । आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहां शुगर फैक्टरीज का रेकार्ड बहुत खराब रहा है ।

मैं समझता हूं कि हमारा यह आदरणीय सदन, हमारी सारी जनता और हमारी सरकार उस जमाने को भूली नहीं है जब कि एक संकट का समय हमारे देश में, हमारे प्रांत में, इन्हीं मिलमालिकों और इनके शुगर सिंडीकेट ने उपस्थित किया था। उस समय उन्होंने हमारी सरकार को और शुगर कमिश्नर साहब को धोखे में डाला था। अगर हम इस प्रकार की कोई लाइसेंसिंग की व्यवस्था नहीं रखेंगे तो वे दो या तीन महीने ही में हालत को और खराब कर देंगे। हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज ऐक्ट के अन्दर तो सुपरविजन (अधीक्षण) की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। धारा १५ और १६ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार अपने लिये सुरक्षित रखे हैं। उनमें कहा गया है कि अगर सबसटांशल फाल इन दी वाल्यूम आफ प्रोडक्शन (उत्पत्ति की मात्रा में तात्विक कमी) हो, या मार्क्ड डिटीरियोरेशन इन दी क्वालिटी आफ एनी आर्टिकिल (किसी पदार्थ की किस्म में यथेष्ट गिरावट) हो, यानी जो चीनी पैदा की गयी है उसकी श्रेणी में कुछ फर्क आगया हो, या देयर इज स्लाइकली टू बि ए राइज इन दी प्राइस आफ एन आर्टिकिल या फार दी परपज आफ कनजर्विंग एनी रिसोर्सेज आफ नैशनल इम्पारटेंस (किसी पदार्थ के मूल्य में वृद्धि संभावित हो, या राष्ट्रीय महत्व के साधनों के संरक्षण के प्रयोजनार्थ) यानी कोई राष्ट्रीय मौका ऐसा आ गया हो कि किन्हीं रिसोर्सेज को इकठ्ठा करना पड़े, तो इन चारों मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट जांच करा सकती है । तब भी वह दखल नहीं देगी जब तक कि यह मामला इतना गम्भीर न हो जाय और मिल मालिक सरकार को परेशान न करें। तो इसका मतलब यह है कि जब बीमारी बढ़ जायगी तब तहकीकात शुरू होगी। अब इसके बाद अगर कहीं पर स्टाक का गोलमाल हो रहा है या चीनी की क्वालिटी (किस्म) गिराई जा रही है या उत्पादन में कमी आ रही है, तो हमारी प्रान्तीय सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं बड़े अदब से अपने माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह दोबारा गौर करें कि यह जो वैक्टर ३ निकाला जा रहा है इससे क्या वास्तव में सभी धारायें बेकार हो जाती हैं।

आप यह देखेंगे कि जो कुछ अब ऐक्ट उपस्थित किया गया है उसकी धारा ६ (ए) और धारा ६ के अनुसार हम यहां यह चाहते हैं कि एक शुगर कमिश्नर और शुगर बोर्ड होगा । इस धारा में है कि--

"The State Government may by notification appoint an officer to be Sugar Commissioner to exercise and perform such powers and duties as may be prescribed."

[राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा शुगर कमिश्नर के पद पर एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या सम्पादन करेगा जो विहित किये जायं।]

इसके अलावा ६ (बी) में एक शुगर कमीशन भी बनाते हैं । मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप चैप्टर ३ को निकाल देंगे तो हमारे शुगर कमिश्नर के पास क्या काम रह जायगा । आप सेक्शन ११ आफ चैप्टर ३ को देखें कि वह कितना 'इम्पारटेंट' (महत्वपूर्ण) है । इसमें है पावर आफ स्टेट गवर्नमेंट टू फ़िक्स प्राइस आफ शुगर (राज्य सरकार की चीनी का मूल्य नियत करने की शक्ति) । जहां आप गन्ने का दाम नियत करना चाहते हैं वहां आप चीनी का दाम क्यों नहीं फ़िक्स (नियत) करते हैं । बार बार यह सरकार, टैरिफ बोर्ड और प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट भी इस बात को मान चुकी है कि गन्ने और चीनी के दाम में परस्पर संतुलन है । यदि हम इन दोनों की कीमत स्वयं नहीं फिक्स कर सकते हैं तो हमारा काम कैसे चल सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता । धारा ११ (ए) मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

"Notwithstanding anything contained in section 11 or in any licence granted under section 10, the State Government may, after consulting the Sugar Commissioner, from time to time, by notification, fix the price, at below or above which, the terms on which and the persons or organisations to, or through the agency of whom all varieties or grades, or any variety, grade or quantity of sugar produced in a factory may be sold and the manner in which such sugar or any variety thereof shall be graded marked, packed or stored for sale."

[खंड ११ में या खंड १० के अधीन स्वीकृत किसी अनुज्ञा पत्र में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार चीनी आयोग से परामर्श करके, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा मूल्य जिससे न्यून या अधिक पर, शर्तें जिन पर तथा व्यक्ति और संस्थायें जिनको, अथवा जिनके अभिकरण द्वारा, फैक्ट्रीज में प्रनिर्मित चीनी की समस्त किस्मों अथवा श्रेणियों, अथवा किसी किस्म, श्रेणी या राशि का विक्रय हो या वह रीति जिसके अनुसार ऐसी चीनी या उसकी कोई किस्म बिक्री के लिए श्रेणिबद्ध, चिह्नित, पैक या स्टोर की जाय, नियत कर सकती है ।]

तो आप यह देखिये कि इस धारा को निकाल करके आप कितना बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । आप शुगर कमिश्नर को नाममात्र के लिये शुगर कमिश्नर बनाते हैं । मैं समझता हूं कि हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी उत्तर में यह कहेंगे कि मैं बिलकुल नया हूं परन्तु मैं भी यह बतलाना चाहता हूं कि जितना नया मेम्बर मैं हूं, उतने ही नये उद्योग मंत्री वे भी हैं । इसलिये जो बातें मैंने उनके सामने रखी हैं मैं समझता हूं कि उनपर पुनर्विचार होगा ।

इसके अतिरिक्त मूल ऐक्ट की धारा १३ निकाली जा रही है । इसका परिणाम यह होगा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि कल से मिल मालिक क्या काम शुरू करेंगे । आप कहते हैं कि मैनेजर नहीं होगा । इस सदन के माननीय सदस्यों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि इस धारा को निकाल करके यह होगा कि मैनेजर शुगर फैक्ट्री न हो । धारा १३ में था अप्वाइंटमेंट आफ मैनेजर (मैनेजर की नियुक्ति) । मैं जरा पढ़ कर सुना दूं—

"Before any factory commences to crush cane, the occupier shall send to the Collector a notice in the prescribed form appointing a person to be manager of the factory for the purposes of this Act, and the rules made thereunder."

[इसके पूर्व कि कोई चीनी मिल गन्ना पेरना शुरू करे, स्वामी कलेक्टर को विहित प्रपत्र पर सूचना भेजेगा जिसमें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के लिये प्रबंधक नियुक्त करेगा ।]

फिर उसके बाद आप देखते हैं कि धारा १३ में कलेक्टर के यहां मैनेजर का नाम देना पड़ता है, और भी बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं परन्तु आप इस धारा को निकाल करके मैनेजर की पोस्ट खत्म कर देना चाहते हैं । जो आज तक तमाम आर्डर्स थे, जो सरकार की बहुत सी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

आजायें थीं, जिनके अनुसार मिल पर मैनेजर प्रतिबन्ध लगाता था, अब उसका क्या होगा ? ऐसी दशा में यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम क्यों मैनेजर के क्लाज को हटायें। इसके साथ साथ में यह भी देखता हूं कि अगर मैनेजर की बात इंडस्ट्रीज ऐक्ट में होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती और मैं यह कहता कि यह निकाल दिया जाय, लेकिन जब इंडस्ट्रीज ऐक्ट में इस प्रकार की कोई बात नहीं है तो हम किस प्रकार मैनेजर की पोस्ट, जो हमने बनायी थी और जो सन् १९३८ से चली आ रही है हटाने की आवश्यकता समझ सकते हैं।

इसके साथ ही साथ में थोड़ा यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम खंडसारी शुगर इंडस्ट्री को चौपट करने जा रहे हैं। खंडसारी शुगर इंडस्ट्री, चाहे उसे काटेज इंडस्ट्री कहिये, चाहे लार्ज स्केल काटेज इंडस्ट्री कहिये, एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। इसको टैरिफ बोर्ड ने भी एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री माना है। इंडस्ट्रीज ऐक्ट की धारा ४ की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आप के द्वारा दिलाना चाहता हूं। धारा ४ में आप क्या देखते हैं ---

"Nothing in this Act shall apply to any undertaking if the capital investment therein does not exceed rupees one lakh."

[यदि किसी कारखाने में एक लाख से अधिक पूंजी लागत हो, तो इस अधिनियम की कोई बात उस पर लागू न होगी।]

यानी जिस उद्योग यूनिट में १ लाख रुपये का इनवेस्टमेंट (लागत) नहीं होगा उसमें यह ऐक्ट लागू होने वाला नहीं है। तो आप यह देखें कि खंडसारी शुगर में कितना कैपिटल लगता है। जो चीनी खांडसारी से बनायी जाती है ऐसे कारखानों में बहुत कम कैपिटल लगता है। मैं समझता हूं कि यू० पी० में मुश्किल से कोई ऐसा कारखाना होगा जिसमें एक लाख से ज्यादा कैपिटल लगा हो। तो आप इस प्रकार उसकी कोई जांच नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि इस भवन की यह मंशा नहीं है, हमारे मंत्रिमंडल के अनुभवी सदस्यों की यह मंशा नहीं है, लेकिन वास्तव में कार्यरूप में ऐसा ही है। खंडसारी इंडस्ट्री कितनी महत्वपूर्ण है इसको टैरिफ बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट के पेज ६० में स्पष्ट कर दिया है कि इसको प्रोटेक्शन (संरक्षण देना) चाहिये और इसमें सरकार को पूरी-पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिये। आप यह [संरक्षण] देखेंगे कि रिपोर्ट के पेज ६० में यह लिखा है--- "We are persuaded that the capital cost of putting up the improved *khandsari* plant using sulphuration process would come to Rs.50,000 at present."

[हम समझते हैं कि सुधरे खंडसारी स्थिर यंत्र की स्थापना के लिये पूंजी लागत वर्त्तमान समय में प्रायः ५०,००० रुपये के होगी।]

यानी टैरिफ बोर्ड का कहना है कि आधुनिक से आधुनिक खांडसारी का जो प्लांट होगा वह ५०,००० रुपया में बन सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि खांडसारी से चीनी बनाने की जो इंडस्ट्री है उसको हम ऐक्ट से बाहर ले आयेंगे। आज तक ऐसा नहीं था कि हमारे ऐक्ट की धारा में लिखा हुआ है कि वह इंडस्ट्री जहां ३० से ज्यादा मजदूर काम करते हैं और जो वैकुम पैन फैक्ट्री या पावर से चलने वाली कोई चीनी फैक्ट्री होगी वह एक फैक्ट्री मानी जायेगी। तो जो १९३८ से ऐक्ट चलता आया है उसमें हम खांडसारी इंडस्ट्री को भी अपने साथ के आकर ले आये थे। लेकिन मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस विधेयक को अगर हम प्रवर समिति में नहीं भेजते तो खांडसारी चीनी का भविष्य, चाहे सरकार बाद में आर्डिनेंस निकाल दे और वह निकाल सकती है, फिलहाल तो उनके हाथ से निकलने वाला है। और मुझे विश्वास है कि आंकड़ों और तथ्य के जरिये मैंने स्पष्ट कर दिया है और असली बात आपके सामने रख दी है। तो यहां तक तो यह सवाल रहा।

इसके अलावा जो और दिक्कतें इसमें हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर कहा गया कि धारा ३० की उपधारा (२) में से खंड (c) और (d) निकाल दिया जाय

और इसके अलावा धारा २७ के पहले और दूसरे सेक्शन को निकाल दिया जाय लेकिन सेक्शन ३ और ४ को वैसे ही रखा गया है। इसमें लिखा है "The occupier or manager of a factory....." (किसी फैक्ट्री का स्वामी या मैनेजर.....) तो फिर मैनेजर पर हम पहुंच गये। मैं पूछता हूं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, अगर हम मैनेजर पर कोई प्रतिबन्ध लगाने नहीं जा रहे हैं जिसे आज तक हम अपने ऐक्ट के जरिये फैक्ट्री का एक अंग मानते आये हैं तो काम नहीं चल सकता। तो आप यह देखें कि यह काम बड़ी जल्दी में किया गया है और पूरा पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। इस विधेयक को इस भवन के सामने पेश करने में हमने सारी स्थिति को ध्यान में नहीं रखा है।

मैं फिर आपके द्वारा, जरा समय जरूर लगेगा, लेकिन बिलकुल रेलेवेंट (सुसंगत) बात कहूंगा और इंडस्ट्रीज ऐक्ट, १९५१ की कुछ धाराओं को यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस विधेयक के जरिये से पुराने अधिनियम की आपने आत्मा खींच ली है, केवल शव हमारे सामने रह गया है। इंडस्ट्रीज ऐक्ट, १९५१ में केवल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गयी है। गन्ने का दाम क्या होगा या चीनी का दाम क्या होगा, इनके मुकर्रर करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जो लाइसेंस देने की बात है वह जो नये खुलने वाले उद्योग धंधे हैं उनके लिये है या अगर कोई फैक्ट्री या मिल आमूलचूड़ परिवर्तन करना चाहे उसके लिये है। तो जब तक कोई फैक्ट्री यू० पी० में आमूलचूड़ परिवर्तन नहीं करती तब तक लाइसेंस देने का सवाल ही नहीं उठता, खाली रजिस्टर हो जायगी और यहां हमारी सारी व्यवस्था बिखर जायगी।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान आपकी आज्ञा से धारा २५ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, "पावर टु डेलिगेट" (प्रत्यायोजन की शक्ति) यानी केन्द्रीय सरकार इस धारा के अनुसार सारा कार्य हमारी सरकार को दे सकती है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री का ध्यान इस धारा की तरफ नहीं गया नहीं तो वह अवश्य विधेयक के अन्दर कोई न कोई धारा ऐसी लाते, या कोई रूल बनाते जिसके अनुसार अगर कभी कोई ड्यूटी या कोई आज्ञा सेंट्रल गवर्नमेंट धारा २५ के अनुसार दे दे तो हम क्या करें। इसको मैं पढ़ दूं—

"*Power to delegate.*—The Central Government may, by notified order, direct that any power exercisable under this Act by it, other than the power specified in section 16 and sub-section (9) and (10) of section 17 may be exercised in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified in the order by such officer or authority (including in the said expressions any Development Council, State Government officer or authority of the State Government) as may be specified in the direction."

[प्रत्यायोजन की शक्ति—केन्द्रीय सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा निदेश कर सकती है कि इसकी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रयोज्य कोई शक्ति, खंड १६ या खंड १७ के उपखंड (९) तथा (१०) में निर्दिष्ट शक्ति के अतिरिक्त, ऐसे प्रकरणों में ऐसी शर्तों के अधीन प्रयुक्त की जा सकेगी जो अगर कोई हों, ऐसे आदेश में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट होंगी (उक्त पदों में विकास परिषद्, राज्य सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी अथवा प्राधिकारी सम्मिलित होंगे) जो निदेश में निर्दिष्ट हों।]

तो आप यह देखेंगे कि रूल्स तक की व्यवस्था नहीं की गई है जिसके अनुसार अगर कल को हमको कोई इन्वेस्टिगेशन (अनुसंधान) का काम सुपुर्द कर दिया गया या किसी अंडरटेकिंग (योजना) या मैनेजमेंट के लेने का अधिकार दे दिया गया, तो हम किस प्रकार काम करेंगे। तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि समस्या के इस पहलू पर भी माननीय मंत्री ध्यान देंगे और इसके साथ ही साथ यह समझ लेंगे कि धारा २० के अनुसार पुराने फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट की ताकत खत्म होगी। धारा २० में लिखा गया था कि—

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

"After the commencement of this Act, it shall not be competent for any State Government or a local authority to take over the management or control of any industrial undertaking under any law for the time being in force which authorities any such Government or local authority so to do."

[इस अधिनियम के प्रारम्भ के उपरान्त कोई राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी किसी औद्योगिक योजना का प्रबंध या नियंत्रण तत्समय प्रभावी किसी विधि के अन्तर्गत, जो ऐसी किसी सरकार या प्राधिकारी को ऐसा करने के लिये प्राधिकृत करती है, हस्तगत करने में सक्षम न होगा।]

आप यह देखेंगे कि हमारे पुराने फैक्ट्रीज ऐक्ट के अनुसार कहीं हमने इसमें कंट्रोल मैनेजमेंट के बारे में नहीं कहा था। हमने यह नहीं कहा था कि मैनेजमेंट या कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। तो फिर मैं यह समझता हूं कि अगर पुराने ऐक्ट की धारा ९, १०-ए, ११, ११-ए और १३ को अगर इस ऐक्ट में दोबारा स्थान दें, तो वह एक बड़े महत्व की बात होगी। उसमें हम इंडस्ट्रियल ऐक्ट, १९५१ की जो भावना है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है उसकी भी अवहेलना नहीं करते और साथ ही साथ अपने प्रांत के काश्तकारों को और अपने यहां के चीनी के उद्योग को और भी अच्छी तरह से चला सकते। लेकिन मेरा यह खयाल है और मैं फिर दोहराता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि उद्योग मंत्री के सामने ऐसी बातें उपस्थित नहीं हुईं, अन्यथा वह इस पर जरूर विचार करते।

साथ ही साथ जो लेबर की कंडीशन (शर्त) है उसपर उद्योगमंत्री के विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर वह लाइसेंस में ऐसी कंडीशन नहीं रखेंगे, तो इसमें बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। अगर कोई लाइसेंस लेता है तो उसको शर्तें माननी होंगी -- जो लेबर और मजदूरों की हालत को सुधारने के लिये सरकार आर्डर देगी वह मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस शर्त को निकाल देंगे तो वह आजाद हो जायेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस ओर भी अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का पूरा-पूरा ध्यान जाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ प्रवर समिति के सामने रखने की जरूरत केवल इसीलिये नहीं थी कि पुराने ऐक्ट में हमारी क्या-क्या धाराएं थीं जो इस विधेयक में नहीं हैं, बल्कि यह भी कारण है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको दृष्टि में रखते हुये तमाम विधेयक को दोबारा बनाकर उसकी गठन और व्यवस्था को दोबारा रखने का सवाल भी था। इस संबंध में मैं आपके द्वारा एक निवेदन करना चाहता हूं और वह है शुगर के बाई प्रोडक्ट्स (गौण पदार्थ) के बारे में। शुगर के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी भवन ने विचार किया होगा। बराबर, टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट में, फिस्कल कमीशन की रिपोर्ट में जितनी भी रिपोर्ट शुगर इंडस्ट्री के बारे में हुई हैं सब में बाई प्रोडक्ट्स की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे शीरा, बेगास मड, हिन्दी में उसका क्या अनुवाद है मैं भवन से माफी चाहता हूं। हिन्दी के अनुवाद मैंने ढूंढने की कोशिश की वह मिलते नहीं। तो जितने बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आजतक कोई काम नहीं हुआ है। टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट में साफ तौर से कह दिया गया है कि अगर बाई प्रोडक्ट्स के बारे में सरकार मिलों पर ज्यादा कन्ट्रोल करे तो चीनी का दाम कम हो जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां लाइसेंस का सवाल आता है वहां शीरे का भी सवाल है, या सरप्लस बेगास यमोनेसेज है। इनका भी सवाल आता है। जब इनपर सरकार का नियंत्रण होगा तभी चीनी का दाम कम होगा, और उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। शीरे से पावर अलकोहल बनता है और उससे पेट्रोल का काम बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। इस मामले में सहूलियत हो जाती और जो सीजनल लेबर है उसको भी कुछ ज्यादा काम मिल जाता, कुछ और लोगों को

भी काम मिल जाता। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में अवश्य भेजा जाय जहां पर इस बात का इंतजाम एक धारा, उपधारा या नियम जो भी आप कहें उसके द्वारा जरूर हो जाना चाहिए जैसा कि पृष्ठ १४३, १८६ और ९४ पर टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है।

इस विधेयक में हमने गन्ने का दाम निश्चित करना शुरू कर दिया, लेकिन गन्ना और चीनी दोनों के दाम मुकर्रर करने के बारे में हमारा कोई ध्यान नहीं गया है। अगर हम गन्ने का दाम निर्धारित करना शुरू कर देंगे, तो चीनी का दाम कौन निर्धारित करेगा, यह स्पष्ट नहीं है। इस भवन को हमारी सरकार को चीनी के दाम जरूर मुकर्रर करने पड़ेंगे, नहीं तो हम चाहे जितनी कोशिश करें हमने जो मजदूरों और किसानों के लिये भी एक क्लाज रख दिया है वह बिलकुल बेकार हो जायगा। यह क्लाज एक बड़ा आवश्यक क्लाज है। इसके अनुसार हमने चाहा है कि जिस प्रकार चीनी के दाम घटें या बढ़ें उसी प्रकार गन्ने के दाम घटते या बढ़ते रहें।

"22–A. POWER OF THE STATE GOVERNMENT TO VARY THE MINIMUM PRICE IN CERTAIN CASES.–The State Government may, after taking into consideration the prices obtained for sugar manufactured in a particular season, by notification direct that, in addition to the minimum price to be paid under section 21, the occupier of the factory shall pay to the cane grower or to the Cane Growers' Co-operative Society, as the case may be, such additional price in accordance with a scale as the State Government may, after consulting the Sugar Commission, fix."

[राज्य सरकार की कुछ अवस्थाओं में निम्नतम मूल्य में परिवर्तन करने की शक्ति––

किसी विशेष मौसम में प्रनिर्मित चीनी के लिये प्राप्त दामों को विचार में रखते हुये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि खंड २१ के अन्तर्गत अदा किये जाने वाले निम्नतम मूल्य के अतिरिक्त फैक्टरी का स्वामी गन्ना उत्पादक अथवा गन्ना उत्पादक सहकारी समिति को यथास्थिति अपर मूल्य अदा करेगा जो चीनी आयोग से परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये स्केल के अनुसार होगा।]

इसके अनुसार आप यह चाहते हैं कि जिस प्रकार शुगर की प्राइस (चीनी का मूल्य) होती रहे वैसे ही गन्ने के दाम घटते या बढ़ते रहें। मगर चीनी के दाम में आप का हाथ ही नहीं है, तो गन्ने के दाम कैसे घटायें या बढ़ायेंगे। अगर हम मजदूरों को इससे कोई फायदा पहुचाना चाहते हैं तो हमारे लिये लाजिमी है कि हम विधेयक की धाराओं को फिर से बनायें जिनके अनुसार हम और आप चीनी के दाम मुकर्रर कर सकें।

माननीय अध्यक्ष––माननीय सदस्य बहुत डिटेल में, धाराओं के मेरिट्स (गुण) के ऊपर न जायं, क्योंकि अगर उन का प्रस्ताव यह है कि सेलेक्ट कमेटी में विधेयक भेजा जाय तो उसके कारण बतायें कि क्यों सेलेक्ट कमेटी में जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी––आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो मैं संक्षेप में खाली सिद्धांत कह दूं। मैं थोड़ा सा सब्सटैंशियट (पुष्टि) करना चाहता था कि कहां पर परस्पर विरोध आता है।

माननीय अध्यक्ष––मैं यही कह रहा था कि आप खाली इसके कारण बतला दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी––मैं आपका कृतज्ञ हूं। पिछले बहुत दिनों से शुगर इंडस्ट्री हमारी सरकार को, सारी जनता को इस भवन को आंकड़ों के मामले में काफी ग़लत रास्ता बतलाती रही है। टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट देखते हैं उसमें शिकायत है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उसके डैरिफ बोर्ड लिखता है कि यू० पी० की ६९ फैक्टरियों में से [illegible] ने ही जवाब दिया। इसी तरह से शुगर इन्क्वाइरी कमेटी की रिपोर्ट में श्री गंगा [illegible] थे, जो उसके मेम्बर थे, उनको भी यही शिकायत है कि कुछ शुगर फैक्टरीज़ कभी जवाब ही नहीं देती। जब सेन्टर बोर्ड के लिखने पर यह हालत है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि [illegible] की क्या हालत हो सकती है। हमें उनके लाइसेंस के साथ कन्डीशन (शर्तें) लगानी [illegible] । [illegible] उनके साथ लाजमी कर दिया जाय कि आकुपायर को जो रिपोर्ट चाहे कमेटी [illegible] या कोई बोर्ड हो या कोई हो वह रिपोर्ट देनी होगी। मेरे पास जो दस-बारह [illegible] का इतिहास यहां पर है उससे साफ मालूम होता है कि फैक्टरीज की तरफ से इस [illegible] बातें गई हैं। मैं ज्यादा डिटेल (ब्योरे) में नहीं जाना चाहता, क्योंकि [illegible] की आज ज्यादा ब्योरे में जाने की नहीं है और मैं ज्यादा समय अब लेना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विधेयक के बनाने में इस बात का ध्यान रखना होगा और जब हम लाइसेंस की व्यवस्था करें तो उसके साथ ही यह भी आवश्यक हो कि आंकड़ों के संबंध में जानकारी और कमेटियों का जवाब देने में लाजमी तरीके पर फैक्टरियां सहूलियत दें।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और फिर अपनी सारी बात को कोड में [illegible] चाहता हूं। मेरा कहना है कि इंडस्ट्रीज ऐक्ट सन ५१ की सब धारायें [illegible] फैक्टरीज ऐक्ट पर लागू नहीं होतीं और उसकी सब धारायें इंडस्ट्रीज ऐक्ट की धाराओं के सामने से बेकार नहीं होतीं। अगर कोई बेकार होती हैं तो वह सिर्फ कुछ ही धारायें हैं। जैसे धारायें ६, २७-ए और [illegible]-ई। इन के सिवा और कोई बेकार नहीं होतीं और [illegible] यह ५१ का ऐक्ट ऐप्लाई (लागू) नहीं करता और जितनी भी पुरानी शर्तें थीं वह सब [illegible] चाहिये। विचार करने [illegible] के सामने रखे हैं उनको सामने रखते हुये मैं सदन से कहूंगा कि वह जो इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने भेजे। पुरानी धाराओं का रखना बहुत [illegible] और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कोई आज्ञा नहीं है कि आप पुरानी धारायें [illegible] के दाम भी तय करने की बात के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा है। [illegible] के लिये भी कन्डीशंस का [illegible] आवश्यक है। मेरा प्रस्ताव है कि यह विधेयक प्रवर [illegible] के सामने पेश किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—श्री ख्वाजा अतहर हुसैन साहब का भी इसी तरह का संशोधन है। आप इसी संशोधन का समर्थन कर दें पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ख्वाजा अतहर हुसैन—जनाब वाला, मेरी भी यही तरमीम थी। इसके मुताल्लिक अभी मेरे दोस्त तिवारी जी ने बहुत ही तशरीह के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया लेकिन मेरे अगराज मकासिद और वजूह मुख्तलिफ हैं उनमें जो उन्होंने अभी बयान किये हैं उनको रखा [illegible] कहना यह है कि यूनियन का जो ऐक्ट है वह सूबे की शुगर इंडस्ट्री को [illegible] करने के लिए नाकाफी है और जब तक वह ऐक्ट जो इस सूबे का ऐक्ट है अपनी जगह पर न कायम जाय तब तक हमारी इंडस्ट्री कंट्रोल नहीं हो सकती। मेरी वजूह इसके बिल्कुल [illegible] हैं। मैं यह कह रहा हूं कि जो अमेंडिंग बिल इस हाउस के सामने आया है उसका स्कोप (परिधि) जो है वह बहुत तंग (संकीर्ण) है, वह उन अगराज मकासिद को, उन जरूरियात को, पूरी नहीं करता जो कि आज [illegible] साल के तजुर्बे के बाद हम समझते हैं कि इस इंडस्ट्री के [illegible] हैं, नुकसान है और जिनका कंट्रोल हम सही तरीके पर नहीं कर सकते [illegible] रहे हैं। तिवारी जी ने काफी मेहनत की है और दोनों ऐक्ट्स को काफी गौर [illegible] के साथ देखा है मगर अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि उन्होंने समझने की [illegible] कोशिश नहीं की। उन्होंने यह कहा है कि जो यूनियन ऐक्ट अब पास हुआ है उसमें पूरी कंट्रोल की पावर्स मौजूद नहीं हैं। दूसरी गलती जिसमें वह मुब्तिला हैं वह यह है कि उन्होंने यह समझ लिया

कि जो हमारा ऐक्ट है वह ओपेन पैन फैक्टरीज के मुताल्लिक है, जो कि गलत है। जहां उन्होंने अपने अगराज मकासिद बयान किये हैं वहां यह बतलाया कि यह हो सकता है कि ओपिन पैन फैक्टरीज का कंट्रोल यूनियन ऐक्ट से हो जाय लेकिन जहां तक ओपिन पैन फैक्टरीज का ताल्लुक है उनका कंट्रोल नहीं हो सकता। तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि डेफिनीशंस (परिभाषायें) जो दफा २ में दी हुई हैं उनको देखेंगे तो पायेंगे कि फैक्टरीज की जहां तारीफ की गई है वहां कह दिया गया है "कनेक्टेड विद दी प्रोडक्शन आफ शुगर बाई मीन्स आफ वेकुअम पैन्स" (वेकुअम पैन के द्वारा चीनी के उत्पादन से सम्बन्धित), इसलिये जहां तक मौजूदा ऐक्ट का ताल्लुक है वह महज वेकुअम पैन फैक्टरीज को कंट्रोल करता है, ओपिन पैन फैक्टरीज को कंट्रोल नहीं करता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आन ए प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन (मुझे स्पष्टीकरण देना है) मैंने यह नहीं कहा कि यह ऐक्ट ओपिन पैन फैक्ट्रीज के मुताल्लिक है। मैंने तो यह कहा था कि धारा ४ के अनुसार "Nothing in this Act shall apply to any industrial undertaking if the capital investment therein does not exceed rupees one lakh." [इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी औद्योगिक योजना पर लागू नहीं होगी जिसकी पूंजी लागत एक लाख से अधिक हो।] टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट अगर आप देखें।

माननीय अध्यक्ष--आपकी बात माननीय सदस्य की समझ में आ गई।

श्री ख्वाजा अतहर हुसेन--मैं यह अर्ज करूंगा कि यह हर शख्श जानता है कि वैकुअम पैन फैक्टरी दो लाख रुपये में नहीं बन सकती। बहरहाल मेरा कहना यह है कि जो मौजूदा ऐक्ट है यानी सन् १९३८ में जो ऐक्ट पास हुआ था उसकी वर्किंग में ऐसे नुकायस हैं और हम लोग यह महसूस करते हैं कि जब तक यह नुकायस दूर न किये जायं हमारा कंट्रोल सही तरीके पर शुगर इंडस्ट्री पर नहीं हो सकता। मैं यह अर्ज करूंगा कि कानून इसलिये बनाया जाता है कि उस पर पाबन्दी हो, किसी लाइफलेस (निर्जीव) चीज को स्टेट्यूट बुक (संविधि पुस्तक) पर रखने से कोई फायदा नहीं हुआ करता। हर शख्स जानता है कि आज शुगर केन गोअर्स (गन्ना उत्पादकों) की क्या हालत है। हर शख्स जानता है कि ऐक्ट और रूल्स में यह मौजूद है और मैं नहीं समझता कि यह जरूरी है कि मैं उनको पढ़ कर सुनाऊं या उनको यहां रेफर (निर्देशन) करूं। बहरहाल, उसमें एक दफा शुगर केन की प्राइस के लिये है कि २४ घंटे में अदा हो जाना चाहिये। दो-दो, चार-चार महीने हो जाते हैं लाखों रुपया फैक्ट्रीज के पास किसानों का हो जाता है लेकिन रुपये की अदायगी का नाम नहीं लिया जाता।

अलावा अर्जी इस किस्म की इतनी बातें इस ऐक्ट में हैं कि जब तक उनकी तरमीमर न की जाय उस वक्त तक सही तरीके से जैसा मैंने अर्ज किया न कंट्रोल हो सकता है और न किसानों का रुपया महफूज समझा जा सकता है। मसलन मिसाल के तौर पर मैं अ करूं कि इस वक्त शुगर फैक्ट्रीज ३० से ४० हजार मन गन्ना रोज क्रश करती (पेरती) हैं यानी इतनी कैपेसिटी (क्षमता) उनमें है जिसके माने यह हुये कि ६० या ६५ हजार रुपये रोजाना गन्ने की कीमत वाजिबुलअदा हो जाती है। मसलन सहारनपुर के मिल की बाबत अर्ज करूं जहां से मैं आता हूं कि २२ फरवरी के बाद जितना भी गन्ना वहां दिया गया है उसकी अदायगी एक पैसे की भी आजतक नहीं हुई। तो ख्याल फरमाइये कि ४० हजार रुपये चढ़ जाय तो फिर किसी ऐक्ट में, किसी रूल में, किसी एग्रीमेंट (करार) में, किसी लाइसेंस टर्म (अनुज्ञा-पत्र की शर्त) में कहीं यह चीज वही है जो इस रुपये की हिफाजत की गई हो। इस तरह से यह भी मुमकिन हो सकता है कि फला फैक्ट्री ऐक्ट का दिवाला निकल गया और किसानों का करोड़ों रुपया ठप हो गया। यह चीज विआन्ड पासिबिलटीज (संभावना के बाहर) नहीं है। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां ऐक्ट हैं वहां यह नहीं दिया है कि पेमेंट किस तर से हो और यह भी नहीं है कि अगर पेमेंट न हो तो उसको पिनाल्टी (शास्ति) किस तरह से हो। लेकिन मेरे ख्याल में जितना बदनाम यह ऐक्ट है उतना शायद स्टेट्यूट बुक

[श्री ख्वाजा अनवर हुसैन]

पर कोई दूसरा हो। जो लाखों और करोड़ों रुपया किसानों का फैक्ट्रीज पर वाजिब हो जाता है उसकी अदायगी नहीं हो सकती है उसके लिये जमानत, एश्योरेंस, किसी किस्म की कुछ मौजूद नहीं है तो अगर ऐक्ट में कोई कमी है तो, जो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि अव्वल तो चाहे कानून को हल्का कर दिया जाय, ढीला कर दिया जाय लेकिन ऐक्ट ऐसा तो हो कि जिसका नफाज लाजिमी हो सकता हो इसको महज मजाक की चीज बनाना अच्छी बात नहीं। इससे तो बेहतर है कि कोई कानून न बनाया जाय। दूसरी बात कि जहां तक गन्ने की कीमत का ताल्लुक है उसके लिये कोई न कोई प्राविजन इस किस्म का होना लाजिमी है, जिसकी वजह से वह हादिसा न पेश आ सके जिसकी तरफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले इशारा किया है।

मैं समझता हूं कि अब जमाना ऐसा आ गया है कि हमको शुगर इंडस्ट्री को पूरी तरह पर नेशनलाइज (राष्ट्रीयकरण) कर लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि कोई इंडस्ट्री जिसका ताल्लुक लाखों लोगों से है और करोड़ों रुपयों का लेन-देन जिसमें है और जिसपर पूरे सूबे की इकोनामी (आर्थिक व्यवस्था) है उसको ऐसे लोगों के हाथों में रखना वाजिब नहीं है जिनको अपने वकार की कोई परवाह नहीं है, जो इससे लाखों और करोड़ों रुपया दूसरी जगहों में इन्वेस्ट (विनियोग) करते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि ऐसा होता है कि फाइनेंशल स्ट्रिन्जेन्सीज (वित्तीय संकट) की वजह से कोई ऐसा करता हो लेकिन मैं सहारनपुर की बात अर्ज करता हूं जहां एक शुगर फैक्ट्री है और वहां के एक मिल मालिक टेक्सटाइल मिल बनवा रहे हैं। और कहा जाता है कि १० हजार रुपये रोज उसके कंस्ट्रक्शन (निर्माण) में खर्च कर रहे हैं तो जाहिर है कि १० लाख या १५ लाख रुपया वह इसी सीजन में खर्च कर चुके हैं और जहां कि गन्ने की कीमत देने का सवाल आता है तो वह कानों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें। रुपया ही नहीं है। मैंने जैसा अर्ज किया वैसा ऐसा नहीं हो सकता जब कि हम जानते हैं कि इस कंसर्न के व्यापारिक के संस्था मुताल्लिक यह नहीं कहा जा सकता कि उसके ऊपर बार न होगा। ऐसा होता है और सेंट परसेंट केसेज शत-प्रतिशत मामलों में होता है कि जब शुगर मिल गोदामों में आती है तो ऐसा होता है। ५०,६० फीसदी रुपया उनको दे दिया जाता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा रुपया बढ़ता बढ़ता १ करोड़ करीब हो जाय और हम सुबह उठकर देखें कि सेठ जी बिस्तर गोल कर चले गये।

जब आप उन पर कंट्रोल ही करने जा रहे हैं तो उन पर पूरा कंट्रोल ही क्यों न कीजिये। मैं समझता हूं कि यही वक्त है जब हम इस चीज को उठा सकते हैं और उसको नेशनलाइज कर सकते हैं अगर नेशनलाइजेशन थ्रू कोआपरेटिव्ज (सहकारी संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीयकरण, नहीं हो सकता है तो उसके एवज में कम से कम हम पार्शियल नेशनलाइजेशन (आंशिक राष्ट्रीयकरण) करें। इसमें सबसे बड़ी आसानी हमें यह होगी कि केपिटल पूंजी का सवाल भी पैदा नहीं होगा। जब कि जमींदारी अबोलिशन के मुताल्लिक यह दिक्कत हो रही है कि लोगों को कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) देने के लिये हमारे पास रुपया नहीं है और उस कम्पेन्सेशन का इंतजाम नहीं हो सका है। लेकिन शुगर फैक्ट्रीज के मुताल्लिक यह बात नहीं है। अगर आप ५ फीसदी रुपया भी किसानों से वसूल करने लगें तो साल भर में एक फैक्ट्री को किसानों से २५ लाख रुपया जमा हो जायगा। उसका नतीजा यह होगा कि दो साल में ५०-६० लाख रुपया आपके पास होगा जो किसी भी फैक्ट्री को लेने के लिये कम न होगा और दो साल के अन्दर कोई भी फैक्ट्री कोआपरेटिव फैक्ट्री बन जायगी। इससे अच्छी और कोई स्कीम नहीं हो सकती, कोई बिजनेस प्रास्पेक्ट व्यापारिक संभावना नहीं हो सकता। क्या इस तरह से आप हयूज इन्डस्ट्रियल केपिटल बिल्ड (विशाल औद्योगिक पूंजी निर्माण) नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से रुपया जमा करते जायं तो यही नहीं इसके अलावा आप सीमेंट फैक्ट्री या और भी दूसरी इसी तरह से अंडरटेकिंग औद्योगिक संस्थाओं में रुपया लगा सकते हैं। सिर्फ आपको इस कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट में थोड़ी ही तरमीम करने की जरूरत होगी। लेकिन मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस तरह से अपनी स्कीम बनायेंगे तो सूबे की इंडस्ट्री को चार चांद लगा सकते हैं।

इसके मुताल्लिक यह एतराज किया जा सकता है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज का काम अभी सेटिस्फैक्टरी (संतोषजनक) नहीं है जैसा मेरे बुजुर्ग चीफ मिनिस्टर साहब ने एक सेरेमनी (उत्सव) के सिलसिले में कहा। मैं चाहता हूं कि अपनी कमजोरी को मान लेना एक स्ट्रेन्थ (बल) को दिखाता है। उन्होंने कहा कि हमारी कोआपरेटिव आर्गेनाइजेशन इतना सेटिसफेक्ट्री नहीं है और उनको ये फैक्ट्रीज देने में यह अंदेशा है कि वे इस काम को नहीं चला सकतीं। उन्होंने कहा कि देआर हयूज स्टक्चर्स हालो फ्राम विद इन (वे आंतरिक रूप से खोखले विशालकाय निर्माण हैं) मैं फिर कहता हूं कि यह स्ट्रैंथ की निशानी है और उसी की वजह से हमें हाउस में कन्सट्रक्टिव (रचनात्मक, नुक्ताचीनी करने का मौका मिल सका है और गुड सेंस (सद्भाव) में नुक्ताचीनी करने का मौका मिला है। जनाब वाला, मेरा मकसद कभी इस बिल को या गवर्नमेंट के किसी काम में रोड़ा अटकाने का नहीं रहा है। अक्सर ऐसा हुआ करता है कि जब बिल्स के मुताल्लिक तरमीमात आती हैं या उसको किसी सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के बाबत कहा जाता है तो जाहिर है कि यह महसूस होता है कि जो प्रपोज (प्रस्थान) कर रहा है वह डिले (विलम्ब) करना चाहता है। मेरी नीयत बिलकुल साफ है और मैं चाहता हूं कि हम जो कानून बनायें वह बहुत साफ हो और लोग बाहर उस कानून का मजाक न बनायें। इसलिये मैं इसके स्कोप (क्षेत्र) को और बढ़ा देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सजेशंज मैंने पेश किये हैं उनको मंजूर किया जायगा या उसके एक न एक आलटरनेटिव (विकल्प) को लेकर इस बिल में इनकोआपरेट (सम्मिलित) करने की कोशिश की जायगी।

जिससे सब लोग इत्मीनान की सांस ले सकें और समझ सकें कि वाकई में हमने एक ऐसा लेजिस्लेशन (विधान) पास किया है जिससे सही तरीके से किसी न किसी तरीके से नेशन बिल्डिंग (राष्ट्र-निर्माण) का काम शुरू कर देंगे और कोआपरेशन (सहयोग) करने का जो हमारा मकसद रहा है उसे पूरा करने के लिये हम खड़े हुये हैं।

जनाबवाला, जैसा मैंने अर्ज किया कि मुझे यह उम्मीद थी कि मेरे दोस्त जो दूसरी बेंचों पर बैठे हुये हैं और जिनकी तकरीरों को मैं बादिले मजबूरी किसी न किसी तरह से कई रोज से सुनता आया हूं कि उधर से कोई न कोई कंस्ट्रक्टिव (रचनात्मक) सुझाव आयेगा लेकिन मुझे फिर एक मर्तबा डिसेपाइंटमेंट (निराशा) हुआ जब मैंने देखा कि ऐसी चीज के लिये भी वे कोई कंस्ट्रक्टिव (रचनात्मक) प्रोग्राम नहीं पेश कर सके, कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं ला सके। मैं उनकी सही स्पिरिट (भावना) को समझने से कासिर रहा और बहुत गौर करता रहा जब कि गवर्नर साहब का ऐड्रेस हाउस में हुआ था। उस वक्त भी मैंने तकरीर..

माननीय अध्यक्ष--विषयान्तर हो रहा है।

श्री ख्वाजा अतहर हुसैन--मैं माफी चाहता हूं। उधर से भी बहुत ही इररेलिवेंट (असंगत) बातें कही जाती हैं इसलिये मैंने भी कुछ बातें कह दीं। तो मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे लायक दोस्त ने जो प्रोपोजल पेश किया है उसमें कोई प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) सुझाव नहीं दिया। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि ऐसे हर शख्स की ख्वाहिश हुआ करती है कि जरा समझाने की कोशिश करे कि इसकी यह सूरत है तो क्यों है। जब मैंने इस पर गौर किया तो वाकई में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, एक २३ तारीख का अखबार मेरे हाथ में आ गया जिसमें इनके लीडर श्री अशोक मेहता ने यह कहा है कि मेरी दिक्कत यह है कि एक ओर तो कम्यूनिटी (समुदाय) का एक सेक्शन (विभाग) यह कहता है कि सोशलिस्ट कम्यूनिस्ट के पेलिमेंटेशन (प्रतिबिम्ब) है और दूसरा सेक्शन यह कहता है कि सोशलिस्ट कांग्रेस के पेलिमिटेशन हैं। इसका अर्थ है कि सोशलिस्ट दोस्त इनफीरियोरिटी कम्पलैक्स (हीनता की भावना) के मर्ज में मुब्तला हैं। हजरात किसी वसूल के मातहत बातें हुआ करती हैं।

माननीय अध्यक्ष—दोनों का उद्देश्य एक ही है और इसलिये रास्ते में आपस में लड़ना ठीक नहीं है।

श्री ख्वाजा अताहर हुसैन---मैं आपकी बात मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन अगर मिसइंटरप्रेट (गलत निर्वचन) किया जाता है तो इसके लिये मुझे दुःख है।

माननीय अध्यक्ष---मतलब यह है कि जो प्रस्ताव आपका है वही प्रस्ताव उनका भी है। तो उनको क्रिटीसाइज (समालोचना) करने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती।

श्री ख्वाजा अताहर हुसैन---बिलकुल मुख्तलिफ तकरीर है और मैं जस्टिफिकेशन (औचित्य) की बिना पर अपने व्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) को अदब के साथ आपके सामने रक्खूंगा। मैं दूसरे व्वाइंट आफ व्यू से उसे क्रिटिसाइज कर सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष---मैं साफ कह दूं तो आपके शब्द इर्रेलेवेन्ट (अप्रासंगिक) हैं।

श्री ख्वाजा अताहर हुसैन---मैं उनको किसी तरह से नाराज करना नहीं चाहता हूं। बहरहाल, गलत या सही जो मैं समझता हूं वह यह है कि मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जब यह बिल आपके सामने आ रहा है, इसमें अमेंडमेंट्स हो रहे हैं तो इसका स्कोप वाइडेन (क्षेत्र विस्तृत) करना चाहिए। १५ साल से यह ऐक्ट हमारे यहां लागू है।

मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार या अफसरान को इसकी खराबियों का इल्म नहीं है। और यह ऐक्ट बिलकुल सही है आपको पहले कुछ गलतियां महसूस हुईं और जब अब यह मौका आया है तो इससे फायदा उठाना चाहिये और जो अमल में गलतियां मालूम हुईं उनको दुरुस्त करने का मौका हासिल करना चाहिये। अब यह मौका है कि उन्हें दुरुस्त कर लिया जाय। जो हमारी इस वक्त की जरूरियात हैं और जो वक्त का तकाजा है उसे क्यों नहीं पूरा किया जाय? यही मेरा सजेशन है।

श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष, जो बिल हमारे सामने है उसे प्रवर समिति को देने के लिये आग्रह किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि बगैर किसी ज्यादा बहस के सरकार को यह प्रस्ताव मान लेना चाहिये। मैं इसकी जरूरत पर जोर देना चाहता हूं। अभी हमारे माननीय सदस्य ख्वाजा साहब ने भी इस पर काफी जोर दिया और एक सही बात उन्होंने कहने की कोशिश की। जब उन्हें यह भय हुआ कि सही बात कहने में मुमकिन है कुछ आपत्ति आजाय तो फिर बहुत दूर-दूर से उन्होंने सफाई भी देने की कोशिश की, कुछ पढ़ा-लिखा और कुछ और कहीं की बात कहकर उन्होंने अपने को बचाया। मैं मुबारकबाद फिर भी दे रहा हूं कि एक सही बात उन्होंने कही।

अब सोशलिस्ट पार्टी के बारे में उन्होंने क्या कहा, और उनको कितनी-कितनी सुनाई, और हमको कितनी सुनाई उसकी चिन्ता कौन करे। न मालूम अगले ५ वर्षों में और अगले कुछ जमाने में हमें कितनी कितनी सुनने को मिलेंगी और वह कोई ख्वाजा साहेब से ही नहीं उनके साथ रहने वाले और उनके साथ न भी रहने वाले सुनायेंगे और कुछ साथ रहने वाले हमारी तरफ से भी सुनाने वाले हो सकते हैं।

यह चीनी का उद्योग, जो है वह हमारे सूबे का देश भर में सबसे बड़ा उद्योग है। हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग सूती कपड़े का है और दूसरे नम्बर पर चीनी का उद्योग है। हमें इस बात का गर्व प्राप्त है कि इसमें हमारा सूबा सबसे आगे है। देश भर में जितनी चीनी तैयार होती है उसका आधा हमारा सूबा तैयार करता है। यदि इस सूबे में २६, २८ लाख खेती करने वाले परिवार हैं तो १४, १५ लाख परिवार ऐसे हैं जो गन्ना बोते हैं और वह मिलों में जाता है। यह सही है कि जब यह कानून बना था, जहां तक मेरी याददाश्त काम देती है सन् १९३८ में बना था। सन् ३८ के पहले जो जमाना गुजरा था उसकी याद मैं अपने मुख्य मंत्री जी को खासतौर से दिलाना चाहता हूं। सन् ३७ में चुनाव का जमाना था और उस जमाने में भी ईख बोने वालों की जो दुर्गति हुई, और उसके पहले जो दुर्गति

हुई, उसका अहसास उनको तब हुआ जब सन् ३७ के बाद उनके हाथ में हुकूमत आई। तब से आज की मनोवृत्ति में हम बड़ा अन्तर पाते हैं।

इस समय इस बात की जरूरत थी कि किस तरह से किसानो के हक़ की रक्षा की जाय और दो आने मन पर डेढ़, आने मन पर अन्दाज़ा करके जो गन्ना स्टेशनों पर गाड़ियों से गिरा लिया जाता था उन सब चीजों से किसानों को बचाने के लिये शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल ऐक्ट बनाया गया था। यह स्वाभाविक है कि उसमें कुछ कमी रहें। इस लिये उसके बाद हर तरफ से समय-समय पर इस बात की मांग की गई कि उसमें कुछ ऐब हैं और उसको दूर करना चाहिये जैसा कि हमारे और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि मिल मालिकों को बड़ा मौका मिलता है और उसमें किसानों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है।

मैं बहुत थोड़े में आपके सामने वह दिक्कत रखना चाहता हूं। पिछले साल इस, भवन को मालूम होगा कि इधर कई वर्षों में बहुत ज्यादा मुनाफा शुगर फैक्ट्रीरी वालों ने कमाया, इतना ज्यादा मुनाफा कमाने के बाद भी पिछले वर्ष जब सारी मिलें बन्द हो गईं, तब ढाई करोड़ रुपया किसानों के गन्ने का दाम बाकी रह गया। उस ढाई करोड़ रुपये में से, मैं आप से अर्ज़ करूं आपके पास आंकड़ मौजूद होंगे, इस वक्त भी कुछ फैक्ट्रियों ने पिछले साल का दाम नहीं दिया है। मैं खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से देवरिया जिले का रहने वाला हूं जहां १५ शुगर फैक्ट्रीज़ हैं। उन १५ शुगर फैक्ट्रियों में, आठ-दस दिन पहले जब मैं आया तो यह बतलाया गया कि ८८ लाख रुपया मिल वालों के जिम्मे किसानों का बाकी है। कोआपरेटिव-सोसाइटी की बड़ी चर्चा है लेकिन जो केन डेवलपमेंट सोसाइटियां काम कर रही हैं उनकी मिट्टी पलीत मिल वाले कर रहे हैं। उनकी यह हालत है, कि ३०, ४० लाख रुपये की डिग्री सोसाइटियों की मिल वालों के खिलाफ है लेकिन सोसाइटियां कर्जा ढूंढ़ रही हैं ताकि कर्जा मिले और वे उससे गन्ने के उत्पादकों को दाम दे सकें। इस प्रकार ८८ लाख रुपया बाकी रख करके भी मिल वाले हमारा सीधा सलाम लेने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि ऐक्ट बहुत डिफेक्टिव (दोषपूर्ण) है। हम डिग्री करा सकते हैं लेकिन डिग्री कराने के बाद भी जैसे दीवानी के कायदे कानून हैं वैसे ही हमको चलना पड़ेगा। कोआपरेटिव सोसाइटी की डिग्री हो जायगी लेकिन उसका रुपया उस तरह से नहीं वसूल होगा जिस तरह से मालगुजारी का रुपया वसूल होता है। वैसे लिखा तो यह है कि २४ घंटे के अन्दर दाम अदा हो जाने चाहिये लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि २४ घंटे के अन्दर दाम अदा हो जाने की प्रथा कहां प्रचलित है। मैं अपने ज़िले की कुछ फैक्ट्रियों के नाम बताना चाहताहूं। लक्ष्मीगंज फैक्ट्री, कठकुइयां फैक्ट्री, रामकोला खेतान फैक्ट्री। इन तीन फैक्ट्रियों के जिम्मे कम से कम ३० लाख रुपया बाकी है। डिग्री भी है लेकिन आज भी किसान मारा-मारा फिरता है। आखिर सरकार उनके लिये क्या करने जा रही है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यह कानून इस सूबे की सार्वजनिक जिन्दगी को चलाने वाला नहीं है। ऐसी हालत में इतनी जल्दी में इस कानून को पास कराने की मेहरबानी आप न करें। यह तो मैं जानता हूं कि जिस बात को हम कह रहे हैं, अगर आप न चाहेंगे, सरकार न चाहेगी, तो फिर वह हो जायेगी लेकिन इतिहास के लिये एक बात होगी कि यहां गलती हो रही है।

जैसा कि और साथियों ने कहा है जो कानून सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उससे हमारी सारी बातें हल नहीं होतीं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का स्वार्थ नहीं है। उसके सामने तो सारे देश का स्वार्थ है। हम समझते हैं कि सारे देश के स्वार्थ के सामने हम को भी बलिदान करना चाहिये लेकिन जो कुछ भी अख्तियार हमारी राज्य सरकार अपने हाथ में रख सकती है उसमें उसको संकोच नहीं करना चाहिये। हम इसलिए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में ले जाने के लिये नहीं कह रहे हैं कि यह बिल पास नहीं होना चाहिये। हम तो यह कह रहे हैं कि जो कुछ अधिकार राज्य सरकार अपने हाथ में रख सकती है। वह अधिकार अपने हाथ में रखे। अगर नहीं रखेगी तो वह ग़लती करेगी। आज हम मिल मालिकों के

[श्री गेंदा सिंह]

ऊपर, उनकी नेकनियती के ऊपर भरोसा करे यह भी गलती होगी। अगर आज इस बिल को भी जल्दी में पास कर दिया जाय, क्योंकि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो यह बड़ी मुसीबत की बात हो जायगी। १४ लाख जो गन्ना बोने वाले हैं और, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, जो ९ लाख से ऊपर मिलों में काम करने वाले मजदूर हैं उनका स्वार्थ खतरे में पड़ जायगा। आप इस पर विचार कर लीजिये, तब इसे कानून बना दीजिये, हम भी आपके साथ होंगे। हम चाहते हैं कि आप ऐसे कानून बनायें जिनसे यहां के ६०-७० आदमी जो मिलों के मालिक हैं उनको फायदा न हो बल्कि जिन १४-१५ लाख आदमियों का सवाल है उनको फायदा हो। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

एक बात और है। सरकार यह न समझे कि यह सिर्फ १४-१५ लाख आदमियों का ही सवाल है। वह ४ करोड़ रुपये जो गवर्नमेंट केन सेस (गन्ना उपकर) के रूप में इस वर्ष वसूल करेगी और तीन साढ़े तीन करोड़ हर साल वसूल करती रही है, शायद उसमें भी कुछ खटाई पड़ेगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। सरकारी जो खजाना है उसको भी पूरा करना है। केन सेस की रकम कोई मामूली रकम नहीं है। सरकारी आमदनियों में से एक बहुत बड़ी आमदनी है। तो जिसमें किसानों को मुसीबत आये, मजदूरों को मुसीबत आये और केवल ६०-७० आदमियों को कुछ आराम मिल जाय ऐसा कानून बनाने का तो सरकार का मक़सद नहीं होना चाहिये वैसे तो हम कर ही क्या सकते हैं। आपकी 'हां' के सामने हम बह जायेंगे। जिस वक्त 'हां' की आवाज आती है उस वक्त नहीं कहने की तो हमारी हिम्मत भी नहीं रहती। हम तो बहुत अल्पमत में हैं। मगर हम चाहते हैं कि इस पर बहुत ठंडे दिल से विचार किया जाय और इस बिल को फिर से लाया जाय। देर करने की कोई बात नहीं है। सरकार जल्दी से जल्दी इसे कर सकती है। यह दिक्कत उसके सामने जरूर हो सकती है कि तारीख उसकी जल्दी में खत्म हो रही है। तो यहां तो क़ानून के बड़े-बड़े शास्त्री मौजूद हैं उनकी सलाह मिल सकती है। इस तरह से अगर हम आगे चलेंगे तो सेलेक्ट कमेटी में कुछ बातें सुलझ सकती हैं। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि हो सकता है कि यह कानूनी पेंच हो, जिस पेंच में आकर जितने संशोधन हमने दिये हैं या जितने संशोधन सरकार ने रखे हैं उन्हीं में हम बह जायें। वैसी हालत में हम तो यह समझते हैं कि उसके दायरे को और बढ़ा दिया जाय और पूरे कानून पर एक बार गौर कर लिया जाय। अगर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में हम सालों लगा सकते हैं तो जिस व्यवसाय से ४ करोड़ रुपये सरकार की आमदनी हो और इस साल २४ करोड़ मन गन्ना जब इस प्रदेश में पैदा हुआ हो जिसके माने ४०, ४५ करोड़ रुपये सारे सूबे के किसानों को मिलें, तो यह कोई ऐसी मामूली बात नहीं है। जिसे हम आसानी से नजरअन्दाज कर सकें। फिर इसमें थोड़ा वक्त लग जाय तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसी हालत में मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि कोई झगड़े की बात नहीं है, सेलेक्ट कमेटी को देने की बात हम कर रहे हैं। आपकी मर्जी होगी तो सेलेक्ट कमेटी में अच्छी तरह से इस पर विचार विनिमय कर लिया जायगा और उसके बाद जैसा फैसला होगा हो जायगा।

आखिर में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान असेम्बली प्रोसीजर के नियम ९६ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है कि किसी बिल के बारे में अगर जरूरी कागज ऐसे हों कि जिनकी बुनियाद पर वह बिल आ रहा है तो वह कागजात टेबिल पर आने चाहिये। हमारे उद्योग मंत्री ने बिल्कुल साफ-साफ कहा है कि यह बिल इसीलिये हम ला रहे हैं कि चूंकि यूनियन गवर्नमेंट ने एक कानून पास कर दिया और उसकी बुनियाद पर जो है शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट का इस्तेमाल है वह बेकार हो गया, तो मैं समझता हूं कि मुझे भी वह प्राप्त नहीं है कि वह ऐक्ट क्या है और सारे भवन के दूसरे माननीय सदस्यों के पास भी वह ऐक्ट

नहीं पहुंचाया गया। तो ऐसी हालत में भी हमको यह मौका देखना चाहिये कि हम उसको अच्छी तरह से समझें-बूझें और फिर अपनी राय कायम करें। बस मुझे यही अर्ज करना है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं जो कि भाषण इस बिल के सम्बन्ध में यहां दिये गये हैं उनकी कद्र करता हूं। मुझे खेद है कि मैं सब व्याख्यानों को सुनने के लिये यहां मौजूद नहीं था, परन्तु जो कुछ मैंने सुना उसके लिये मैं जिन व्यक्तियों ने व्याख्यान दिये हैं उनका आभारी हूं और अनुगृहीत हूं।

यह शक्कर के कारखानों का मसला है और शक्कर का मसला हमारे सूबे के लिये एक बड़े महत्व की चीज है। इसमें हमारे बीच में कोई राजनीतिक मतभेद का प्रश्न उठता नहीं है। हम सब यह चाहते हैं कि हमारे यहां यह शकर का काम बना रहे। यह भी सब चाहते हैं कि गन्ने की जो क़ीमत किसानों को मिले और उनको ज्यादा से ज्यादा जहां तक संभव हो सुविधा हम कर सकें वह करें। जहां तक उद्देश्य की बात है, उसके बारे में कोई मतभेद हमारे बीच में नहीं है और जो ख्वाजा साहब ने कहा कि वह चाहते हैं कि यह जो सरकार के कारखाने हैं वह कोआपरेटिव बेसिस पर चल सकें और जहां पर इसका प्रबन्ध किया जायगा जनता उसका काफी स्वागत करेगी। परन्तु इस किस्म के कामों को जितना भी हो गैर-सरकारी तरीके पर करने में उसमें ज्यादा कूवत होती है। वर्ना सरकार की तरफ से सहूलियतें दी जा सकती हैं। उससे ज्यादा सरकार क्या करे, यह एकाएक समझ में आता नहीं है। आपको मालूम है कि जो कानून सन् ५१ में बना है उसके मुताबिक जो शुगर फैक्ट्रीज हैं उनका संचालन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपने हाथ में ले लिया है। उनके बारे में यदि हम कुछ करना भी चाहें तो कोई कानून बना नहीं सकते हैं। इसलिये वह हमारे दायरे के ऊपर की बात है। परन्तु जब आप अमली तरीक़े पर उस सवाल पर सोचेंगे तो कई कठिनाइयां सामने आवेंगी जिनको हल करने के लिये उपाय भी निकालने पड़ेंगे और इस प्रकार कहीं न कहीं कुछ कर ही सकते हैं। पहले जो भी हुआ था वह आशावर्द्धक नहीं हुआ था। यहां बिसवां में एक कोआपरेटिव शगर फैक्ट्री पहले खुली थी, मगर उसका हाल तो अच्छा नहीं रहा। अब ऐसा कोई कदम उठाया जाय तो अच्छी तरह से देख कर उठाना चाहिये। नहीं तो उसका नतीजा बाद को बहुत बुरा होता है। खैर, यह बात तो तुरन्त हमारे बिल से सम्बन्ध नहीं रखती है।

बिल के बारे में कहा गया कि यह अधूरा है। जहां तक उसके मानी यह हो कि शक्कर के कारखानों के बारे में बहुत सी और बातें कानून में लाई जा सकती हैं यह सही है। मगर जैसा मैंने कहा वह तो हमारे हाथ की चीज होगी और गवर्नमेंट आफ इंडिया और सेंट्रल पार्लियामेंट को ही अधिकार उस बारे में कानून बनाने का है। नारायणदत्त जी ने शायद यह कहा कि एक लाख से नीचे की पूंजी वालों के लिये तो सन् ५१ के सेंट्रल ऐक्ट के मुताबिक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। बात सही है, मगर कहीं हमें तो अधिकार नहीं है। जहां तक शुगर फैक्ट्री का ताल्लुक़ है वह तो कितनी ही कीमत की हो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। वह हमारे जूरिस्डिक्शन (क्षेत्राधिकार) के बाहर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदणीय महोदय से पूछना चाहूंगा कि किस धारा के अनुसार यह माना जा सकता है कि जूरिस्डिक्शन (क्षेत्राधिकार) हमारा खत्म हो गया है?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--आप अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट को देखेंगे और उसके बाद आप अगर सन् ५१ के ऐक्ट ४५ को देखेंगे तो उस ऐक्ट में है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऐंड रिक्लेमेशन ऐक्ट का दूसरा सेक्शन है--

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

"It is hereby declared that it is expedient in the public interest that Union should take under its control the industries specified in the first Schedule."

[यह घोषित किया जाता है कि यह सार्वजनिक हित में है कि संघ प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों को अपने नियंत्रण में ले ले।]

और फर्स्ट शेड्यूल (परिशिष्ट) में जो इंडस्ट्रीज स्पेसिफाइड (निर्दिष्ट) हैं उसकी शाखों में जो सब है वह शुगर की है। लिहाजा इसमें कोई बात ऐसी रहती नहीं जिसके बारे में कोई शंका की बात हो, यह तो इसमें साफ लिखा है।

"that Union should take under its control the industries specified in the first schedule."

[प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों को संघ अपने नियंत्रण में ले ले।]

इसके माने यह हैं कि "That the Union should take sugar industry under its control."

[संघ चीनी उद्योग को अपने नियंत्रण में ले ले।]

वह बात यूनियन ने कर दी, लिहाजा वह हमारे दायरे से निकल गयी। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं कि हमारे दायरे से निकले। अगर आ सके तो बहुत अच्छी बात है। पूरी या आंशिक रूप में आ सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इस बिल के बारे में हमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से काफी बातचीत करनी पड़ी। मुश्किल से रजामन्दी उनकी हुई कि हम इस बिल को जिस शक्ल में माने हैं उस शक्ल में पेश कर सकें। अगर हमारा अधिकार बढ़ सके तो इस काम को करना तो चाहते नहीं। अगर पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसके विरुद्ध हमें कहने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि कानून के बारे में मैंने उनको जो कुछ सुनाई है उसके बाद कोई किसी तरह का शुबहा नहीं रह गया। अब जब शुगर इंडस्ट्री हमारे जुरिस्डिक्शन (क्षेत्राधिकार) में नहीं रहती, तो हमारा जुरिस्डिक्शन सिर्फ गन्ने के बारे में रह जाता है, इसलिये इस पुराने ऐक्ट में से शुगर फैक्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन वगैरह के और उनसे ताल्लुक रखने वाले जो कायदे थे वह अलग कर दिये गये, वह सब डिलीट कर (निकाल) दिये गये, वर्ना सारा ही हमारा बिल अल्ट्रावायरिस (अवैध) हो जाता और हमारे अधिकार के बाहर हो जाता। अब जो बिल आपके सामने है उसके मुताबिक हमें गन्ने की कीमत मुकर्रर करने का अधिकार है। गन्ने की कीमत हमने मुकर्रर कर दी। अगर हम जून तक हम इस बिल को पास न करें तो उसके बाद हमको गन्ने की कीमत मुकर्रर करने का अधिकार नहीं रहता और गन्ना ऐसी चीज है जो कि कायम नहीं रह सकता जिस वक्त वह तैयार हो अगर वह उस वक्त काम में न लाया जाय। इसलिये गन्ना बोने वालों की हालत नाजुक होती है। उनकी कीमत अगर कायम न की जाय तो आधी चौथाई कीमत पर उनका गन्ना बिकेगा। इसलिये ऐसे कानून का होना किसान के लिये बहुत जरूरी है।

सन् १९३७ ई० का कुछ जिक्र यहां पर गेंदासिंह जी ने किया। उस वक्त पूर्वी जिलों में गन्ने की या शुगर फैक्ट्रीज की जो हालत हुई थी उसको वहां के रहने वाले परिचित होंगे। मैं इस वक्त कह सकता हूं कि हमने उस वक्त इस बात की पूरी कोशिश की कि गन्ने की खेती और कारखानों को जिन्दा रखें, क्योंकि उससे हमारी पूर्वी जिलों की जनता को खास कर अपनी जीविका के निर्वाह के लिए कुछ साधन मिल सकता है। जो कुछ उपाय हो सकते थे वह किये गये और उससे लाभ भी हुआ। आप देखेंगे कि इस बिल में जो पुराना ऐक्ट है जो जिन्दा रहेगा उसमें हमें कायदे बनाने का अधिकार है और हम कायदे बना सकते हैं और जैसे चाहें

हम उनको बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह बेहतर होगा कि हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे और वह गवर्नमेंट की तरफ से जैसा कि ऐक्ट है कायदों को देखे और उसके बाद गौर करे कि कायदों में तरमीम करने की जरूरत है या नहीं या ऐक्ट में ही तरमीम की जरूरत है और उसके बाद हम निश्चय करें कि आगे क्या करना है।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक़ है इसको ३० जून से पहले ही पास करना है। हमें कोई आपत्ति नहीं थी सेलेक्ट कमेटी बना देते, लेकिन सेलेक्ट कमेटी में अगर यह जाता तो ३० जून तक पास नहीं हो सकता है, क्योंकि इस सेशन में अब दो ही दिन रह गये हैं। इस तरह से मीयाद ख़त्म हो जायगी और गन्ने की क़ीमत न रहने पर काश्तकारों को बहुत तक़लीफ हो सकती है। लिहाजा कोई उपाय नहीं हो सकता है। वैसे हम चाहते हैं कि इस मसले में हमें जितनी मदद मिल सके वह हम लें और जो क़ायदे बना सकते हैं उनको हम बनावें और अगर कानून में तरमीम की जरूरत हो तो वह भी करें। इसके लिये मेरा ख्याल है कि कमेटी बनाना अच्छा है और उसमें जो विरोधी दल के लोग हैं उनमें से भी कोई रखा जा सकता है जो शरीक हों और वह गवर्नमेंट कमेटी होगी। अगर कायदों से काम न चले तो मैं समझता हूं कि ऐक्ट में भी संशोधन लाये जा सकते हैं और उसके लिये संशोधन बिल लाया जा सकता है। लेकिन इस समय इस बिल को रोकना हानिकारक होगा।

इसी सिलसिले में मैं मुनासिब समझता हूं कि जो गन्ने की क़ीमत के बारे में कहा गया उस पर भी थोड़ा सा विवरण दे दूं। मुझे इस बात का खेद है कि गन्ने की क़ीमत काश्तकारों को नहीं दी जा सकी। हालत यह रही है कि अब के गुड़ ७, ८, ९ रुपये के भाव तक गिर गया और इस वजह से गन्ना जो कि गुड़ के काम में आता वह बहुत सा खड़ा रह गया और गन्ना पहले से ज्यादा बोया गया था। कारखाने जो मामूली-तौर पर पेरते थे वह पेर चुके और इस पर भी करोड़ों मन गन्ना खड़ा रह गया। सवाल यह था कि इसको किस तरह काम में लाया जाय। गुड़ के काम में वह इसलिये नहीं आता था, क्योंकि कीमत गुड़ की इतनी कम थी और उसकी कोई ख़रीद ही नहीं थी। ऐसी हालत में एक ही जरिया था कि कारखानों को तैयार किया जाय कि वह अपने कारखानों को जारी रखें और उस गन्ने को लेकर अपने यहां शकर बनावें और हमने इस तरह का इंतजाम किया और जो भी और साधन हो सकते थे उनका उपयोग किया और दूसरे सालों के मुक़ाबले में अब तक ७ करोड़ मन गन्ना ज्यादा पिर चुका है उसकी क़ीमत क़रीब-क़रीब ११ या १२ करोड़ होती है। अगर ऐसा न किया जाता तो बड़ा भारी नुक़सान काश्तकारों का होता। बमुकाबले इसके कि गन्ना बाक़ी रह जाता ज्यदा बेहतर हुआ कि दाम ज्यदा मिल जायेंगे और इसवक्त कुछ रुपया बाकी रह गया है इसलिये दामों के बारे में नक़द देने के लिये सख्ती करना मुनासिब नहीं समझा गया। इसलिये सारे हालात देख कर गन्ना पेरने की कोशिश की गई। इधर शक्कर की खरीद भी मन्दी हो गई और शक्कर के कारखानों से आफ़टेक कम हो गया। इस आफ़टेक के कम होनेकी वजह से इसकी जरूरत हुई कि कोई न कोई ऐसा जरिया निकाला जाय जिससे गन्ना पिर जाय और काश्तकार को नुक़सान न पहुंचे, गन्ना जलाना न पड़े। इसलिये बमुकाबले इसके कि गन्ना बिल्कुल बरबाद हो यह बेहतर समझा गया कि उसमें कुछ ऐसी सहूलियतें दी जायं जिससे गन्ना पिर जाय और शक्कर बन जाय। अब के हमारे पास इतनी शक्कर हुई है जितनी गुजिश्ता सालों में कभी नहीं बनी और कारखानेदारों की शक्कर बाहर इतनी नहीं निकल पाती है। इसलिये उन सब बातों को देख कर यह जरूरी समझा गया कि गन्ना किसी न किसी तरह से निकल जाना चाहिये ताकि शकर ज्यादा से ज्यादा बन सके। अगर इसमें भी कोई बेहतरी आइन्दा के लिये हो सकती है तो उसके लिये कायदा बनाने की हमारी कोशिश होनी चाहिये। इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि इस बिल को तो अब बिना किसी वादविवाद के पास कर देना

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

चाहिये। बिल के बारे में तो किसी को मतभेद नहीं है। जरूरत हो तो कुछ चीजें आयें, उनकी देखभाल की जाय और आइन्दा जो लाने की जरूरत है उसको लाया जाय जिससे बाकिया जरूरत पूरी हो जाय। लेकिन हम इस बात को देखें कि कोन ऐसा तरीका बर्ता जा सकता है जिससे कि बेहतरी हो सके।

श्री ख्वाजा अतहर हुसैन---जनाबवाला, मिनिस्टर साहब ने जो एश्योरेंस (आश्वासन) दिया है उसको देखते हुये मैं अपनी तरमीम वापस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष---तरमीम आपकी नहीं है। तरमीम श्री नारायण दत्त जी की है। आपका तो केवल समर्थन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के सामने दो चार बातें, चूंकि वह पहले आये नहीं थे, रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष---आप दोबारा स्पीच (भाषण) नहीं दे सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मैं स्पीच नहीं देना चाहता। केवल सूचना के लिये कुछ कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष---अब आप कुछ नहीं कह सकते। हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके पश्चात् सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२९ मई, १९५२।

कैलास चन्द्र भटनागर
मन्त्री, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९२ पर)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ।)

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधन करने के निमित्त,

विधेयक

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८।

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० में इसमें आगे दिये हुए प्रयोजनों के लिए संशोधन किया जाय;

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिस पर उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० का भाग १ प्रचलित होगा।

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ८ के परिशिष्ट (शिड्यूल) का संशोधन।

२--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० के परिशिष्ट के पैरा ३ में शब्द "उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल असोसिएशन" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रक्खा जायगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० में अन्य बातों के साथ साथ यह भी व्यवस्था की गयी है कि होम्योपैथिक चिकित्सक (प्रेक्टिशनर) को ऐसी शर्तों के अधीन निबन्धित किया जायगा, जो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (चिकित्सा प्रणाली) बोर्ड नियत करे। परिशिष्ट के पैरा ४ के अधीन उक्त बोर्ड को किसी व्यक्ति को होम्योपैथिक की हैसियत से चिकित्सा करने के लिए योग्य होने का प्रमाण-पत्र देने का अधिकार होगा। अतएव परिशिष्ट के पैरा ३ में उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल असोसियेशन के अभिदेश के स्थान पर "बोर्ड" का अभिदेश (रेफ़रेंस) समझा जाना चाहिए।

उपर्युक्त उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्र भानु गुप्त,
स्वास्थ्य मंत्री।